[2021] 3 एस. सी. आर 903

एम/एस वेलांकी फ्रेम कार्य करता है

वी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

(सिविल अपील सं। 1322-1323 2019 का)

जनवरी, 13 2021

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956: धारा 5 (2)-'आयात के क्रम में बिक्री'-आवश्यक विशेषताएं-निर्धारण के लिए बुनियादी सिद्धांत

आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है, यह एस में निहित है। 5 सी. एस. टी. अधिनियम-उप के तहत

धारा (2), माल की बिक्री या खरीद भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान केवल तभी मानी जाएगी जब बिक्री या खरीद ऐसे आयात के अवसर पर होती है या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती है। ' आयात के दौरान बिक्री में तीन आवश्यक विशेषताएं होती हैं-(i) बिक्री होनी चाहिए; (ii) वस्तुओं का वास्तव में भारत के क्षेत्र में आयात किया जाना चाहिए; और (iii) बिक्री आयात का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए-एक बिक्री आयात का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी यदि वह या तो ऐसे आयात का अवसर देती है या यदि वह हस्तांतरण के माध्यम से होती है।

भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल के स्वामित्व का दस्तावेज।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: एस. 2 (26)-आयातक, जो है-उच्च समुद्रों पर बिक्री-अपीलार्थी का मामला था कि एक चतुर्भुज समझौता था

जिसके द्वारा आपूर्तिकर्ता ने विचाराधीन माल को पहले खरीदार को बेच दिया और उन्हें शिपमेंट के बंदरगाह पर वितरित कर दिया-इसके बाद, जब माल समुद्र में था, तो पहले खरीदार ने अपीलकर्ता के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करके उन्हें अपीलकर्ता को स्थानांतरित कर दिया-इसके अलावा जब माल समुद्र में था, तब भी अपीलकर्ता कथित तौर पर उन्हें अंतिम खरीदार के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करके अंतिम खरीदार को हस्तांतरित कर दिया गया-अपीलकर्ता ने यह भी सुझाव दिया कि अंतिम खरीदार के पास माल का आयात करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं था, जबकि अपीलकर्ता के पास आयात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा था, इसलिए, अपीलकर्ता को

अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में कार्य करना और सीमा शुल्क अधिकारियों से माल को साफ़ करना-आयोजित: एस में "आयातक" की समावेशी परिभाषा। 2 (26)

सीमा शुल्क अधिनियम का उपयोग किसी आयातक की पहचान हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता है

प्रवेश पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति से; और जिस व्यक्ति के नाम पर प्रवेश पत्र दाखिल किया गया है, वह आयातक नहीं रह जाता है-इस मामले में, अपीलकर्ता का नाम उस पोत/पोत के आयात सामान्य घोषणापत्र (आई. जी. एम.) में आयातक के रूप में परिलक्षित हुआ था जो विशाखापत्तनम में बंदरगाह पर माल लाया था-उच्च न्यायालय ने कहा यह कि यदि कथित दूसरी उच्च समुद्र बिक्री हुई होती, तो आई. जी. एम. आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्र बिक्री खरीदार का नाम प्रतिबिंबित करता और यदि कोई वास्तविक चूक होती, तो आई. जी. एम. को संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि केवल उच्च समुद्रों पर माल का अंतिम खरीदार आयातक/प्रेषक हो सकता था-यह स्पष्ट है कि भारत के बाहर से भारत में कुछ भी लाने को आम तौर पर "आयात" माना जाता है, लेकिन जब माल को घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी जाती है, तो वे अब सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य से आयातित सामान नहीं हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, किसी भी माल के संबंध में, आयातक में कोई भी मालिक या कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है जो खुद को आयातक मानता है, लेकिन केवल उनके आयात के समय और घरेलू खपत के लिए उनकी मंजूरी के बीच-दूसरे शब्दों में, "आयातक" अभिव्यक्ति की विस्तारित परिभाषा का शुद्ध परिणाम यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में माल का आयात करता है, वह आयातक होगा, लेकिन माल का मालिक या धारक व्यक्ति।

स्वयं को एक आयातक होने के नाते माल के आयात और घरेलू उपभोग के लिए उनकी निकासी के बीच की अवधि के दौरान एक आयातक के रूप में भी माना जाएगा।

उस अवधि में जब माल को आयात के बाद भंडारित किया जाता है और माल का वास्तव में आयात करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोदाम से साफ़ किया जाता है-यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि आयातक की इस परिभाषा का उपयोग प्रवेश पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति से आयातक की पहचान हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता है-दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जिसके नाम पर प्रवेश पत्र दाखिल किया गया है, वह आयातक नहीं रह जाता है और यदि वह व्यक्ति मालिक या आयातक नहीं होने का दावा करता है, तो यह स्थापित करने की जिम्मेदारी उस पर भारी होगी कि कोई और माल का मालिक या आयातक है।

इसके अलावा, यदि अपीलार्थी केवल एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, तो प्रविष्टि पत्र आयातक के रूप में अंतिम खरीदार और आयातक के अभिकर्ता के रूप में अपीलार्थी का नाम दर्शाता; और इसके अलावा, उक्त अंत खरीदार का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया होता-ऐसा नहीं था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

अपीलार्थी स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी आयातक था, इसके परिणाम आने के लिए बाध्य हैं

दोहराया कि जब प्रवेश पत्रों में नाम दर्ज किया गया था

आयातक के रूप में अपीलार्थी और अकेले अपीलार्थी का मूल्यांकन किया गया था - सीमा शुल्क, तथाकथित दूसरा उच्च समुद्र बिक्री समझौता कभी नहीं

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 लागू हुआ - एस. 5 (2)।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956: धारा 5 (2)-छूट का दावा

अंत में-अपीलार्थी द्वारा डेबिट नोटों को उठाना-खरीदार

-

इसका प्रभाव-अंतरराज्यीय बिक्री-अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि डेबिट बढ़ा दिया था

अंत में नोट-खरीदार लेकिन केवल माल को साफ़ करने के बाद

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करना-एक बार जब दूसरे उच्च समुद्र बिक्री के बारे में सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता है और यह पाया जाता है

कि अपीलार्थी माल का आयातक था और उसने मंजूरी दे दी थी

उन्हें घर की खपत के लिए, बढ़ाने का प्राकृतिक परिणाम

अंत में ऐसे डेबिट नोट-विभिन्न राज्यों में स्थित खरीदार और ऐसे उद्देश्य के लिए माल की आवाजाही-खरीदारों को इन्हें लेना होगा।

एस के संदर्भ में अंतर-राज्य बिक्री की श्रेणी में लेनदेन। 3 (ए) का

सी. एस. टी. अधिनियम-अपीलार्थी एस. की छूट का हकदार नहीं था। 5 (2) सी. एस. टी. अधिनियम और उचित रूप से अंतर-राज्य कर के लिए उत्तरदायी ठहराया गया बिक्री-अपीलार्थी द्वारा घर की खपत के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करके माल जारी करने के बाद, निर्विवाद रूप से, माल अंततः था

विभिन्न राज्यों में खरीदारों और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त

आंध्र प्रदेश राज्य से उठाये गए डेबिट नोट-ये तथ्य यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे कि अंदर माल की आवाजाही

अंत तक अपीलकर्ता द्वारा-खरीदार; और ऐसी बिक्री केवल हुई अपीलार्थी द्वारा बन्धित गोदाम से माल प्राप्त करने के बाद

घरेलू उपभोग के लिए-उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करने में सही था कि एक बार अपीलार्थी के बिल दाखिल करने के बाद माल को छोड़ दिया गया।

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश, आयात धारा सूख जाती है और

स्थानीय वस्तुओं में माल मिश्रित हो गया-उसके बाद माल की कोई भी आवाजाही एस के तहत बिक्री के लिए बाध्य थी। 3 (क) सी. एस. टी. अधिनियम; और आंध्र प्रदेश राज्य से दूसरे राज्य में इस तरह की आवाजाही होने के कारण, यह अंतर-राज्यीय बिक्री का विषय रहा है-यह सिद्धांत कि

वास्तविक बिक्री आवश्यक रूप से माल की आवाजाही से पहले नहीं हो सकती है,

अंत तक बिक्री-घर के लिए सामान को मंजूरी दिए जाने के बाद खरीदार उपभोग-एस के तहत दावा की गई छूट। 5 (2) सीएसटी अधिनियम

अपीलार्थी को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था और उच्च न्यायालय को उचित ठहराया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में-कोई मामला नहीं

हस्तक्षेप किया जाता है।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956: धारा 5 (2) के लिए कोई मामला है या नहीं

अपीलार्थी को की गई अपील के उपचार के लिए खारिज करना

-

अपीलार्थी, वैधानिक अपील के उपचार की उपलब्धता से अवगत होने के बावजूद, जानबूझकर मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर करने का विकल्प चुना और सचेत रूप से पूरे मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी-उच्च न्यायालय, प्रमाणिक अधिकार क्षेत्र के ढांचे को नोटिस करने के बाद भी, मामले के गुण-दोष की अच्छी तरह से जांच की।

और यहां तक कि रिट याचिकाओं में पहली बार किए गए प्रस्तुतिकरण की जांच की कि माल का आयात विचाराधीन बिक्री के कारण हुआ था-बेशक, उस संबंध में, उच्च न्यायालय ने बताया कि यह विशुद्ध रूप से कानून का सवाल नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में, इस तरह के प्रस्तुतिकरण को इस तथ्य से झुठलाया गया था कि अपीलकर्ता का नाम आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में परिलक्षित हुआ था न कि अंतिम खरीदार का-इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या गलती नहीं है-सचेत रूप से रिट का आह्वान करने के बाद

उच्च न्यायालय की अधिकारिता और गुण-दोष के आधार पर मामले को लड़ने के बाद, अपीलार्थी को अब अपील में मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती-असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

एक वादी द्वारा केवल मौका लेने के लिए और फिर मूल गुणों पर अपने प्रयास में विफल होने के बाद दूसरे उपाय का सहारा लेने के लिए

उच्च न्यायालय के समक्ष मामला-एक मुकदमे को वादी की पसंद पर अंतहीन रूप से जीवित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-अधिकार क्षेत्र लिखें।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1.1 के खंड (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अनुच्छेद 286, संसद ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 लागू किया है। उसकी धारा 3 में यह निर्धारित किया गया है कि माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद-(ए)

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही; या

(ख) माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके आवागमन के दौरान। [पैरा 20.2] [943 ई-एफ]

1.2 बिक्री कब होगी, यह निर्धारित करने के लिए बुनियादी सिद्धांत

या वस्तुओं की खरीद आयात या निर्यात के दौरान होती है।

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 में निहित हैं।

उप-धारा (2) के तहत, मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

माल की बिक्री या खरीद भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान केवल तभी मानी जाएगी जब बिक्री या खरीद या तो ऐसे आयात के अवसर पर या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती है। [पैरा 20.3] [944-डी. एफ]

होटल अशोक (भारतीय पर्यटक विकास निगम)

लिमिटेड)। वी. सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त और ए. एन. आर. (2012) 3 एससीसी 204: [2012] 1 एससीआर 808-आयोजित अप्रयोज्य।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे बनाम एस. आर. सरकार और ओआरएस। ए. आई. आर 1961 एस. सी 65: [1961] 1 एससीआर 379; खनिज

& भारतीय धातु व्यापार निगम लिमिटेड बनाम। बिक्री

कर अधिकारी और अन्य। (1998) 7 एससीसी 19: [1998] 2 पूरक।

एससीआर 112-प्रतिष्ठित।

के. गोपीनाथन नायर और अन्य। वी. केरल राज्य (1997)

10 एससीसी 1: [1997] 3 एस. सी. आर. 226-पर निर्भर।

जे. वी. गोकल एंड कंपनी (निजी) लिमिटेड बनाम। सहायक कलेक्टर बिक्री-कर (निरीक्षण) और अन्य। [1960] 2 एससीआर 852; महाराष्ट्र राज्य बनाम। एम्बी कॉर्पोरेशन, बॉम्बे (1997)

7 एससीसी 190: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 497-संदर्भित।

2.1 अपीलार्थी ने चतुर्भुज समझौते के अस्तित्व का सुझाव दिया है जिसके तहत आपूर्तिकर्ता (पक्ष संख्या 1) ने पहले खरीदार (पक्ष संख्या 2) को माल बेचा और उन्हें शिपमेंट के बंदरगाह पर वितरित किया। इसके बाद, जब माल समुद्र में था, तब दल संख्या 2 ने उन्हें समुद्र में स्थानांतरित कर दिया।

कथित तौर पर उन्हें अंतिम खरीदार (पार्टी नंबर 4) को अंतिम खरीदार के पक्ष में लेडिंग बिल का समर्थन करके स्थानांतरित कर दिया गया। अपीलार्थी ने यह भी सुझाव दिया है कि हालांकि माल खरीदा जा रहा था अंत तक-खरीदार और अंत तक-खरीदार द्वारा निरीक्षण और चयन के बाद ही स्थानांतरित होना था, लेकिन इस तरह की कार्यप्रणाली

चतुर्भुज समझौते को इन कारणों से अपनाया गया था कि अंतिम खरीदार के पास माल का आयात करने के लिए 'आवश्यक बुनियादी ढांचा' नहीं था, जबकि अपीलार्थी के पास [2021] 3 एस. सी. आर. था।

आयात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और पहले खरीदार के पास विक्रेता के पास ऋण सुविधा थी। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि विक्रेता और अंतिम खरीदार के बीच अनुबंध की गोपनीयता हमेशा बनी रहती है और अपीलार्थी को अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में कार्य करना होता है और सीमा शुल्क अधिकारियों से माल का भुगतान करना होता है। अपीलार्थी ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक लेन-देन में, प्रक्रिया को चतुर्भुज समझौते में परिकल्पित रूप से और इस तरीके से किया गया था कि पहला खरीदार अपीलार्थी के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करता है जब माल समुद्र में होता है और जब माल चालू रहता है।

उच्च समुद्रों में और भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं किया था, अपीलार्थी ने अंतिम खरीदार के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन किया। इन सुझावों के अनुसार, अपीलार्थी ने विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क बंदरगाह से माल की निकासी कराते समय केवल अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में काम किया। [पैरा 26] [962-एफ-एच; 963-ए-डी]

2.2 हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा दिए गए सुझाव उतने हानिरहित और अति-सरलीकृत नहीं रहते हैं जितना कि अनुमान लगाया गया है, क्योंकि

इनमें से प्रत्येक लेन-देन में, जब विचाराधीन माल विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर पहुंचा, तो अपीलार्थी ने

सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा परिकल्पित कार्यवाहियां और भंडारण के लिए एक प्रविष्टि बिल दायर किया और उसके बाद, घर के उपभोग (एक्स-बॉन्ड) के लिए एक और प्रविष्टि बिल दायर किया; और ऐसे प्रविष्टि बिलों के आधार पर, अपीलार्थी का सीमा शुल्क के लिए विधिवत मूल्यांकन किया गया। मान लीजिए, घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दिए जाने के बाद, वे आंध्र प्रदेश राज्य से विभिन्न राज्यों में चले गए, जहां संबंधित खरीदार स्थित थे और अपीलार्थी ने अंत में खरीदारों के डेबिट नोट उठाए। इन लेन-देनों में, गंतव्य के बंदरगाह पर पहुंचने पर, आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद खरीदारों को अंत तक मंजूरी नहीं दी गई थी। [पैरा 26.1] [963-डी-जी]

3. अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करना: प्रभाव

3.1 उच्च न्यायालय ने कहा है कि समावेशी

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा का उपयोग प्रवेश पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति से आयातक की पहचान हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता है और जिस व्यक्ति के नाम पर प्रवेश पत्र दाखिल किया गया है, वह आयातक नहीं रहेगा।

इस मामले में, एम/एस वेलांकी फ्रेम काम करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

अपीलार्थी का नाम माल लाने वाले पोत/पोतों के आयात सामान्य घोषणापत्र में आयातक के रूप में परिलक्षित होता था।

विशाखापत्तनम में बंदरगाह के लिए प्रश्न। उच्च न्यायालय ने आगमन से संबंधित पूरी प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक जांच की है।

कथित तौर पर दूसरी उच्च समुद्र बिक्री हुई थी, आई. जी. एम. ने आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्र बिक्री खरीदार का नाम दर्शाया होता और यदि कोई वास्तविक चूक होती, तो आई. जी. एम. को संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि केवल अंतिम गहरे समुद्र में माल का खरीदार आयातक/प्रेषक हो सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि या तो आई. जी. एम. में आयातक/माल प्राप्तकर्ता के रूप में अंतिम खरीदार का नाम था या बाद में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 (3) के संदर्भ में इसमें संशोधन किया गया था। ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण उच्च न्यायालय ने अंतिम खरीदारों के पक्ष में दूसरे उच्च समुद्र बिक्री के सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलार्थी का एकमात्र प्रयास सी. एस. टी. अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री से बचना था। दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से

निष्कर्ष यह है कि अपीलार्थी द्वारा अंत तक माल की बिक्री-खरीदार उच्च समुद्री बिक्री नहीं थी; और ऐसी बिक्री तभी प्रभावित हो सकती थी जब अपीलार्थी को सीमा शुल्क का आकलन किया गया था और घर के उपभोग के लिए माल को मंजूरी दे दी गई थी। [पैरा 27.1] [964-डी-एच; 965-ए-सी]

3.2 यह स्पष्ट है कि भारत के बाहर से भारत में कुछ भी लाते समय इसे आम तौर पर "आयात" माना जाता है। और आयातित वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो बाहर से भारत में लाई जाती हैं, लेकिन जब माल को घरेलू उपभोग के लिए साफ़ कर दिया जाता है, तो वे अब सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य से आयातित वस्तुएँ नहीं हैं। महत्वपूर्ण रूप से, आयात की प्रक्रिया में, किसी भी माल के संबंध में, आयातक में कोई भी मालिक या कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है जो खुद को आयातक मानता है, लेकिन केवल उनके आयात के समय और घरेलू उपभोग के लिए उनकी मंजूरी के बीच। दूसरे शब्दों में, [2021] 3 एस. सी. आर. का शुद्ध परिणाम।

उपभोग। यह महत्वपूर्ण अवधि आम तौर पर वह अवधि होती है जब माल को आयात के बाद भंडारित किया जाता है और गोदाम से उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साफ़ किया जाता है जो वास्तव में माल का आयात करता है। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि आयातक की इस परिभाषा का उपयोग प्रवेश पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति से आयातक की पहचान छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जिसके नाम पर प्रवेश पत्र दाखिल किया जाता है, वह आयातक नहीं रह जाता है और यदि वह व्यक्ति मालिक या आयातक नहीं होने का दावा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस पर यह स्थापित करना भारी होगा कि कोई और माल का मालिक या आयातक है। [पैरा 30] [967-बी-सी; 968-ए-सी]

भारत संघ और एएनआर। वी. संपत राज दुगर और अन्र।

(1992) 2 एस. सी. सी. 66 [1992] 1 एस. सी. आर. 269

अप्रयोज्य।

3.3 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा, भले ही स्वामित्व के प्रश्न के बारे में प्रत्यक्ष रूप से निर्णायक न हो, वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसका प्रभाव इस कारण से पड़ता है कि अकेले अपीलार्थी ने भंडारण के लिए और घर के उपभोग के लिए भी प्रवेश पत्र दाखिल किए थे। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 के अनुसार आयात मैनिफेस्ट दाखिल करने की आवश्यकताओं का वर्तमान मामले पर अपना प्रभाव है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी का नाम आई. जी. एम. में आयातक के रूप में परिलक्षित हुआ था। यदि, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है, माल को समुद्र में बेचा गया था, तो आई. जी. एम. की माल ढुलाई घोषणा में आयातक के रूप में अंतिम समुद्र खरीदार का नाम परिलक्षित होता और अन्य मामलों में, आई. जी. एम. को संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि समुद्र में माल के केवल अंतिम खरीदार को ही आई. जी. एम. में प्रेषक/आयातक घोषित किया जाता। तथ्य यह है कि आई. जी. एम. में राधा (और अन्य अंतिम खरीदारों) के नाम का उल्लेख आयातक/प्रेषक के रूप में नहीं किया गया था और न ही संबंधित आई. जी. एम. में संशोधन किया गया था, राधा (और अन्य अंतिम खरीदारों) के पक्ष में दूसरी उच्च समुद्र बिक्री के बारे में सुझाव केवल अपीलार्थी का एक स्व-सेवारत सुझाव है, जिसकी अभिलेख पर कोई पुष्टि नहीं है; बल्कि एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

आधिकारिक अभिलेख अपीलार्थी के सुझाव को पूरी तरह से नकारते हैं। [पैरा 32] [973-डी-जी; 974-ए]

3.4 तथ्य यह है कि भले ही

अपीलार्थी ने सुझाव दिया है कि लदान के बिलों का समर्थन राधा (और अन्य अंत-खरीदारों) के पक्ष में किया गया था जब माल अधिक था।

समुद्र लेकिन इस गंजे दावे की पुष्टि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज से नहीं होती है जो प्रक्रिया का हिस्सा हैं

जो केवल प्रवेश पत्र के तहत आयातित माल की निकासी के लिए कागजात प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता है। बेशक, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 147 के तहत, एक व्यक्ति आयातक या मालिक की ओर से कार्य कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को माल का मालिक नहीं माना जा सकता है और न ही उसे सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यदि अपीलार्थी केवल एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, तो प्रविष्टि का बिल प्रतिबिंबित होता आयातक के रूप में अंतिम खरीदार का नाम और आयातक के एजेंट के रूप में अपीलकर्ता का नाम और इसके अलावा, उक्त अंतिम खरीदार का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया होगा। ऐसा नहीं था। [पैरा 32.1,33] [974-ए-एफ]

3.5 हालांकि आयातक की परिभाषा में मालिक या खुद को आयातक के रूप में रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है; और आयातक की यह परिभाषा वास्तव में स्वामित्व के सवाल के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति जो खुद को आयातक मानता है; और जो घर के उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करता है; और जिसका सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता है; और जिसका किसी तीसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में सुझाव किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में, उच्च समुद्रों पर स्थानांतरण [2021] 3 एस. सी. आर. हो सकता है।

के कथित समर्थन के बारे में केवल सुझाव पर अनुमान लगाया गया लदान का बिल। जब अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेज और अपीलार्थी के व्यवहार भी स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी आयातक था, तो परिणाम आने के लिए बाध्य हैं। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि जब प्रवेश पत्रों में अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में दर्ज किया जाता है और केवल अपीलार्थी का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो तथाकथित दूसरा उच्च समुद्र बिक्री समझौता होता है।

कभी संचालन में नहीं आया। [पैरा 34,34.1] [974-एफ-एच; 975-ए-बी]

4. क्या विचाराधीन बिक्री माल के आयात का कारण बनी:

सी. टी. ओ. ने विशेष रूप से कहा कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं था कि विचाराधीन बिक्री के कारण

देश में वस्तुओं का आयात। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष यह सुझाव देने का प्रयास किया गया था कि पूरा आयात था राधा के पक्ष में अंतिम बिक्री के कारण और इसलिए, यह मामला सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के पहले भाग में भी शामिल किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने देखा कि इस तरह की याचिका पहली बार रिट याचिका में तथ्यों और कानून का मिश्रित सवाल होने के कारण नहीं उठाई जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के सुझाव को भी इस तथ्य से झुठलाया गया है कि केवल अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में परिलक्षित होता है न कि राधा का। यह तर्क दिया गया कि चतुर्भुज समझौते ने विदेश से भारत में माल की आवाजाही को प्रेरित किया और न केवल आंध्र प्रदेश से अन्य राज्यों में; कि वास्तव में, विचाराधीन बिक्री अंतर-राज्य बिक्री नहीं थी, बल्कि इन बिक्री से भारत के बाहर से भारत में माल की आवाजाही हुई थी; और एकीकृत लेनदेन के भारतीय चरण को अलग नहीं किया जा सकता है ताकि सी. एस. टी. अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री के रूप में कर लगाया जा सके। ये सुझाव भी पूरी तरह से निराधार हैं। [पैरा 35] [975-बी-एफ]

5. ये अंतर-राज्यीय बिक्री थीं।

5.1 अपीलार्थी द्वारा डेबिट नोटों को उठाने का अंत में खरीदारों पर प्रभाव वर्तमान मामले में अपना प्रभाव डालता है। द. अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि इस तरह के डेबिट नोट अंत में खरीदारों के लिए थे, लेकिन केवल घर के उपयोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करके माल को साफ़ करने के बाद। एक बार जब दूसरे उच्च समुद्र बिक्री के बारे में सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता है और यह पाया जाता है कि अपीलार्थी मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

माल का आयातक रहा था और उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी थी, इस तरह के डेबिट को बढ़ाने का स्वाभाविक परिणाम

5.3 उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि एक बार जब अपीलकर्ता ने घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने के बाद सामान छोड़ दिया, तो आयात की धारा सूख गई और सामान स्थानीय सामानों में मिल गया। माल की कोई भी आवाजाही इसके बाद सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत बिक्री होना तय था और आंध्र प्रदेश राज्य से दूसरे राज्य में इस तरह की आवाजाही होने के कारण यह अंतर-राज्यीय बिक्री का मामला था। यह सिद्धांत कि वास्तविक बिक्री आवश्यक रूप से पहले नहीं हो सकती है

माल की आवाजाही, अपने वास्तविक प्रभाव में, घर के उपभोग के लिए माल को मंजूरी दिए जाने के बाद अंतिम खरीदारों को बिक्री के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ काम करती है। [पैरा 39] [979-डी-एफ]

6. यदि अपीलार्थी को अपील के उपचार के लिए खारिज करने के लिए कोई मामला बनाया गया है अपीलार्थी, वैधानिक अपील के उपचार की उपलब्धता से अवगत होने के बावजूद, सचेत रूप से उपरोक्त मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर करने का फैसला किया और सचेत रूप से [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तथ्य से कि अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में परिलक्षित होता था, न कि अंतिम खरीदार का। इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या दोष नहीं है। सचेत रूप से उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने और गुण-दोष के आधार पर मामले को लड़ने के बाद, अपीलार्थी ऐसा नहीं कर सकता है अब अपील में मामले को फिर से खोलने की अनुमति दी जाए। असाधारण रिट अधिकारिता का उपयोग एक वादी द्वारा केवल मौका लेने और फिर उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के मूल गुणों पर अपने प्रयास में विफल होने के बाद दूसरे उपाय का सहारा लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। मुकदमेबाजी को वादी की पसंद पर अंतहीन रूप से जीवित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 40.1,40.2,40.3] [979-जी-एच; 980-ए-सी; 981-सी-डी]

स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और ओआरएस। (1995)

4 पूरक। एस. सी. सी. 674-लागू नहीं होता है।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड।

वी. आंध्र प्रदेश राज्य 1999 (106) ईएलटी 23; राज्य

त्रावणकोर-कोचीन और ओआरएस। वी. षण्मुघा विलास

काजू कारखाना, क्विलॉन एयर 1953 एससी 333: [1954]

एस. सी. आर. 53-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 1 एससीआर 808

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 14.6

[1997] 3 पूरक। एससीआर 497

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16.2

[1961] 1 एससीआर 379

प्रतिष्ठित

पै

रा 16.2

[1960] 2 एससीआर 852

पै

रा 16.3

संदर्भित किया गया है

[1998] 2 पूरक। एससीआर 112

प्रतिष्ठित

पै

रा 16.3

[1954] एससीआर 53

पै

रा 16.5

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 एससीआर 66

पै

रा 16.6

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स v. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम

अप्रयोज्य रखा गया

(1995) 4 पूरक। एस. सी. सी. 674

पै

रा 16.8

[1997] 3 एससीआर 226

पै

रा 24

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 1322

1323 2019 से।

उच्च न्यायालय के 18.12.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में रिट याचिका संख्या। 4552 2013 का और 2013 का 6258।

सिद्धार्थ भटनागर, आर. वेंकटरमानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री चरण्या

लक्ष्मीकुमारन, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री अपेक्षा मेहता, सुश्री इशिता माथुर, ध्रुव सुराना, आदित्य सिद्धरा, जॉयदीप मजूमदार, आशीष चौधरी, सुश्री शालिनी कौल, रोहित दत्ता, सुश्री प्रियता चक्रवर्ती, सुश्री सुजाता बागड़ी, प्रवीण विग्नेश, टी. विजय भास्कर रेड्डी, जी. एन. रेड्डी, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, संदीप, सुश्री मधुमिता

भट्टाचार्य, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा

1. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें आम लोगों के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

रिट याचिका संख्या में 18.12.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश। 2552 2013 का

और 2013 का 6258 जिसके तहत, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य 1 के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, चिनवाल्टेयर सर्कल 2 द्वारा पारित 20.01.2010 और 18.05.2010 दिनांकित मूल्यांकन आदेशों को बरकरार रखा और कहा कि

विचाराधीन लेन-देन आयात के दौरान बिक्री नहीं थी, बल्कि अंतर-राज्य बिक्री थी, जो केंद्रीय बिक्री कर के लिए उत्तरदायी थी; और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) के तहत दावा की गई छूट से इनकार कर दिया, जबकि अपीलार्थी को कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए निर्धारण प्राधिकरण को निर्धारित सी-फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था।

2. हम शुरुआत में उपयोगी रूप से देख सकते हैं कि कुल मिलाकर सात

1 इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित 2 इसके बाद 'सीटीओ' के रूप में संदर्भित। 3 इसके बाद 'सी. एस. टी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2006-07 के लिए मूल्यांकन के लिए। इन सभी लेन-देनों की सामान्य मुख्य विशेषताएं यह थीं कि वे विदेश से लकड़ी की आपूर्ति के लिए थे और कथित तौर पर इसी तरह से निष्पादित किए गए थे: आपूर्तिकर्ता (पार्टी नंबर 1) ने पहले खरीदार (पार्टी नंबर 2) को माल बेचा और उन्हें शिपमेंट के बंदरगाह पर वितरित किया। इसके बाद, जब माल समुद्र में पारगमन में था, तब पक्ष संख्या 2 ने अपीलकर्ता के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करके अपीलकर्ता (जो इन लेन-देन में निश्चित रूप से पक्ष संख्या 3 था) को माल हस्तांतरित किया। इसके अलावा और जब माल समुद्र में था, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उन्हें अंतिम खरीदार (पक्ष संख्या 4) को अंतिम खरीदार के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करके स्थानांतरित कर दिया।

2.1 . हालाँकि, इनमें से प्रत्येक लेन-देन में, जब विचाराधीन माल विशाखापत्तनम (जिसे विजाग के नाम से भी जाना जाता है) के बंदरगाह पर पहुँचा, तो अपीलार्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 19624 द्वारा परिकल्पित कार्यवाही को अंजाम दिया और भंडारण के लिए एक प्रविष्टि बिल दायर किया और उसके बाद, घर के उपभोग (एक्स-बॉन्ड) के लिए एक और प्रविष्टि बिल दायर किया। तदनुसार और प्रवेश के ऐसे बिलों के आधार पर, अपीलार्थी का सीमा शुल्क के लिए विधिवत मूल्यांकन किया गया था। अपीलार्थी ने बाद में खरीदारों के डेबिट नोटों को उठाया।

3. उपर्युक्त लेन-देनों और उच्च समुद्र बिक्री समझौतों के संदर्भ में, अपीलार्थी का मामला यह था कि उसने केवल

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के आधार पर बिक्री कर के भुगतान से छूट पाने के लिए पात्र खरीदार, भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान होने वाली बिक्री होने के नाते, अंतिम एजेंट के रूप में कार्य करते थे-प्रवेश के बिल दाखिल करते समय खरीदार; और अंत तक विचाराधीन माल की बिक्री। हालांकि, दिनांकित मूल्यांकन आदेशों में 20.01.2010 और 18.05.2010, सीटीओ ने अपीलार्थी को छूट के लाभ से इनकार कर दिया, विशेष रूप से इस कारण से कि अपीलार्थी ने प्रवेश के बिल दाखिल करने के बाद सीमा शुल्क से माल को हटा दिया और बाद में उठाए गए डेबिट नोटों पर, अंतिम खरीदारों को बिक्री दिखाते हुए। सी. टी. ओ. ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन माल ने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था जब अपीलार्थी द्वारा प्रवेश पत्र दाखिल किए गए थे और माल का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा अंतिम खरीदारों को की गई बिक्री को उच्च समुद्री बिक्री नहीं कहा जा सकता है।

4. अपीलार्थी ने सी. टी. ओ. द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों से व्यथित महसूस किया, लेकिन अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के बजाय, उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से इसे चुनौती देने का विकल्प चुना। इन रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और खारिज कर दिया गया है 4 इसके बाद 'सीमा शुल्क अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

हम दिनांकित मूल्यांकन आदेश से संबंधित तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं। 20.01.2010 आवश्यक विवरणों में कर अवधि 2005-06 से संबंधित और कर अवधि 2006-07 से संबंधित दिनांकित 18.05.2010 मूल्यांकन आदेश।

मूल्यांकन आदेश दिनांक 20.01.2010: प्रासंगिक तथ्य और

पृष्ठभूमि

6. अपीलार्थी एम/एस। वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स को एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था कहा जाता है, जो बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगी हुई है। लट्ठ, लकड़ी और लकड़ी के डंडे; और अपने व्यवसाय के दौरान, अपीलार्थी अन्य देशों से भी लकड़ी का आयात करता है।

7. अपीलार्थी ने दावा किया कि कर अवधि 2005-06 के लिए सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 के खंड (ए) के अंतर्गत आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में

4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान। 55,23,233 / - और उसके समर्थन में, 9-संख्या प्रस्तुत की गई। सी-प्रपत्रों का; और इसके कारोबार पर कर के भुगतान से छूट की भी मांग की रु. 1,14,86,342 / - इस आधार पर कि ये बिक्री भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले स्वामित्व दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा की गई थी। अंतर-राज्य बिक्री कारोबार पर कर की रियायती दर के लिए अपीलार्थी के दावे को स्वीकार करते हुए भी, सी. टी. ओ. ने साक्षय के अभाव में छूट के दावे को अस्वीकार करने और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत विचाराधीन लेनदेन को अंतर-राज्य बिक्री के रूप में मानने का प्रस्ताव रखा। इसलिए, सी. टी. ओ. ने अपीलार्थी को दिनांक 19.11.2009 का कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया।

5 ' संक्षेप में आई. जी. एम. '।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.1 . उक्त कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि विचाराधीन लेन-देन सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत आते हैं; और सात दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनमें बिक्री चालान, लेडिंग बिल, दो उच्च समुद्र बिक्री समझौते, भंडारण के लिए प्रवेश बिल, एक्स-बॉन्ड के लिए प्रवेश बिल और अंतिम खरीदार पर उठाया गया डेबिट नोट शामिल हैं। तथापि, सी. टी. ओ. ने पाया कि उक्त प्रवेश पत्रों को दाखिल करने पर, दोनों चरणों में केवल अपीलार्थी पर सीमा शुल्क लगाया गया था। इसलिए, सी. टी. ओ. की राय थी कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इस तरह की मंजूरी पर आयात की धारा सूख जाती है और माल स्थानीय वस्तुओं की धारा में मिल जाता है और अपीलार्थी द्वारा बाद में की गई किसी भी बिक्री से स्थानीय वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया जा सकता है। इस राय को ध्यान में रखते हुए, सी. टी. ओ. ने अपीलार्थी द्वारा अंतिम खरीदार को की गई बिक्री को सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में मानने का प्रस्ताव किया और अपीलार्थी से आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए दिनांक 02.12.2009 का कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया। 8. कुछ स्थगन लेने के बाद, अपीलार्थी ने अपना आपत्ति पत्र 02.12.2009 दिनांकित कारण बताए जाने का नोटिस देते हुए दाखिल किया

विचाराधीन लेन-देनों का विवरण और उसके रुख का विवरण जिसे निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से देखा जा सकता है:

8.1 . अपीलार्थी का मामला यह था कि एम/एस। राधा इंडस्ट्रीज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) इसकी करीबी व्यापारिक सहयोगी थी; कि राधा

मेसर्स से विषय वस्तु खरीदना चाहते हैं। वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडिंग कंपनी। (एल. एल. सी.), दुबई (यू. ए. ई.) 'लेकिन, सीमा शुल्क विभाग के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं होने के कारण, अपीलार्थी से संपर्क किया।

आयात के लिए; कि दी गई परिस्थितियों में, अपीलकर्ता और राधा ने विक्रेता और इंडस ट्रॉपिक्स लिमिटेड के साथ एक चतुर्भुज समझौता किया, जिसके तहत यह सहमति हुई कि सिंधु माल खरीदेगी और शिपमेंट के बंदरगाह से माल के पारगमन के दौरान, उन्हें अपीलकर्ता को बेचेगी; कि अपीलकर्ता राधा के एजेंट के रूप में सिंधु से उक्त माल खरीदेगा और दस्तावेजों को हस्तांतरित करेगा। ' 6 अंतिम खरीदार, जिसे इसके बाद 'राधा' भी कहा जाता है। इसके बाद विक्रेता को 'डब्ल्यू. बी. टी.' भी कहा जाता है।

8 पहला खरीदार, जिसे इसके बाद 'सिंधु' भी कहा जाता है।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

गहरे समुद्र में राधा के पक्ष में, जिसके लिए राधा अपीलार्थी को 2 प्रतिशत कमीशन और बैंक शुल्क का भुगतान करेगी। 8.2 . अपीलार्थी द्वारा यह दावा किया गया कि उक्त चतुर्भुज समझौते के अनुसार, सिंधु ने डब्ल्यू. बी. टी. से माल खरीदा और

विक्रेता ने लदान के बंदरगाह से खेप को दिनांक 09.12.2005 के लदान के बिल के साथ भेजा; कि 10.12.2005 पर, सिंधु ने अपीलार्थी के पक्ष में उच्च समुद्रों पर लदान के बिल का हस्तांतरण किया; और 12.12.2005 पर, अपीलार्थी और राधा के बीच एक और उच्च समुद्र बिक्री समझौता किया गया था जिसके तहत लदान का बिल राधा के पक्ष में बेचा गया था। अपीलार्थी द्वारा आगे यह दावा किया गया कि 12.12.2005 पर और उससे, अपीलार्थी का दिनांकित 09.12.2005 के लदान के बिल पर नियंत्रण नहीं था, क्योंकि तब तक इसे राधा के पक्ष में विभाजित कर दिया गया था। यह अभी तक आगे दावा किया गया था कि चूंकि राधा के पास सीमा शुल्क सुविधा नहीं थी

विशाखापत्तनम सीमा शुल्क बंदरगाह, अपीलार्थी ने अपनी सहायता बढ़ा दी थी

सीमा शुल्क बंधन के साथ-साथ सीमा शुल्क मंजूरी के उद्देश्य से अपने नाम से प्रवेश पत्र दाखिल करना, लेकिन यह केवल राधा के पक्ष में अपीलार्थी द्वारा व्यवस्थित एक मैत्रीपूर्ण लेनदेन था और अपीलार्थी ने कमीशन के रूप में कुछ भी रखे बिना सिंधु को पूरी राशि का भुगतान किया।

8.3 . अपीलार्थी की दलीलें यह थीं कि

प्रविष्टि बिल दाखिल करने की परिस्थिति की लेन-देन की प्रकृति को निर्धारित करने में कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जो संबंधित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसमें (i) दिनांक 21.11.2005 का चतुर्भुज मास्टर समझौता; और (ii) दिनांक 12.12.2005 का उच्च समुद्र बिक्री समझौता शामिल है। अपीलार्थी के अनुसार, उसने आयात दस्तावेज़ को समुद्र में स्थानांतरित कर दिया था और किसी भी तरह से, माल में शीर्षक हमेशा राधा में निहित था, क्योंकि माल का मालिक था।

और यह कि अपीलार्थी हर समय केवल राधा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था। अपीलार्थी ने कहा कि आयात दस्तावेज़ के हस्तांतरण के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने राधा को माल बेचा था; इसके विपरीत, क्योंकि अपीलार्थी ने राधा के एजेंट के रूप में काम किया था, खरीद के समय सहित हर समय, अपीलार्थी और राधा के बीच लेनदेन को एक के बीच के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रधान और दूसरा। अपीलार्थी ने आगे कहा कि उसने राधा से 2 प्रतिशत और बैंक शुल्क पर कमीशन लिया था और पूरी राशि सिंधु को दे दी थी, जो इस बात का प्रमाण था कि उसने राधा के लिए एक दोस्ताना संकेत के रूप में केवल एक माध्यम के रूप में काम किया था। यह भी कहा गया कि

लेन-देन को अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों में एक एजेंसी खरीद के रूप में दर्ज किया गया था; कि रसीद और कमीशन का भुगतान भी उसकी लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया था; और वर्ष [2021] 3 एस. सी. आर. के लिए बैलेंस शीट।

उन्होंने भी इस प्रस्तुति का समर्थन किया। संक्षेप में कहें तो, अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि उसके द्वारा राधा को आयातित वस्तुओं के हस्तांतरण से वस्तुओं की बिक्री का चरित्र नहीं बनता है और यह कि, किसी भी स्थिति में, हस्तांतरण, सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ बंधन से पहले उच्च समुद्रों पर प्रभावित किया गया है, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है।

9. अपीलार्थी की दलीलों की जाँच सीटीओ द्वारा दिनांक 20.01.2010 के आक्षेपित मूल्यांकन आदेश में की गई थी। उनकी प्रासंगिकता के लिए,

इस मूल्यांकन क्रम में टिप्पणियों और निष्कर्षों को निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से देखा जा सकता है: 9.1 . सी. टी. ओ. ने अपीलार्थी के रुख का सारांश दिया कि माल के स्वामित्व के दस्तावेजों को उच्च समुद्र बिक्री समझौते दिनांक 12.12.2005 के आधार पर गहरे समुद्र में राधा को हस्तांतरित किया गया था; कि लेनदेन एक अंतर-राज्य बिक्री के चरित्र को प्राप्त नहीं करता था; और प्रवेश के बिल को दाखिल करने की प्रकृति को निर्धारित करने में कोई प्रासंगिकता नहीं थी

लेन-देन। सी. टी. ओ. ने पाया कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं था कि बिक्री या खरीद सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के पहले अंग के तहत आने वाले आयात का कारण बनी थी और जिस प्रश्न की जांच आवश्यक थी वह यह था कि क्या अपीलार्थी द्वारा माल की बिक्री की गई थी, या यह एक कमीशन लेनदेन था जैसा कि अपीलार्थी ने कहा था। सीटीओ ने वर्ष 2005-2006 के लिए व्यापार खाते के कंप्यूटर प्रिंटआउट की जांच की, जहां खरीद को इस रूप में दिखाया गया था खरीद व्यापार (उच्च समुद्र), और प्रासंगिक बिक्री को बिक्री व्यापार (उच्च समुद्र) के रूप में दिखाया गया था। खाता बही और डेबिट नोट आदि के कुछ अन्य विवरणों का उल्लेख करने के बाद, सीटीओ ने सिंधु और अपीलार्थी के बीच किए गए उच्च समुद्र बिक्री समझौते की सामग्री को नोट किया, जिसमें अपीलार्थी को 'खरीदार' के रूप में वर्णित किया गया था। दूसरे उच्च समुद्र बिक्री समझौते की सामग्री दिनांकित 12.12.2005 जिसमें

बिक्री चालान, लदान का बिल, उच्च समुद्र बिक्री समझौता, भंडारण के लिए प्रवेश का बिल और भंडारण का बिल जैसे कुछ दस्तावेज जमा करते समय। घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि, अपीलार्थी ने कहा था कि कर के भुगतान से छूट का दावा इस आधार पर किया गया था कि माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से उक्त बिक्री प्रभावित हुई थी। इसलिए, सी. टी. ओ. ने देखा कि जाहिर है, अपीलार्थी का इरादा माल बेचना था और वास्तव में, एक बिक्री थी; और अपीलार्थी के बयान में कोई सच्चाई नहीं थी कि उसने राधा के एजेंट के रूप में काम किया था। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

" 1) ..... मेसर्स इंडस ट्रपिक्स एल. डी. और मेसर्स वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स के बीच हुए उच्च सागर बिक्री समझौते की तारीख 10.12.2005

निर्धारिती को 'खरीदार' के रूप में वर्णित किया गया था।

भारत से। इसलिए , यह स्पष्ट है कि माल बेचने का इरादा था और वास्तव में बिक्री हुई थी। उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्होंने मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के एजेंट के रूप में काम किया।

9.2 . अपीलार्थी के मुख्य तर्क के संबंध में कि स्वामित्व का दस्तावेज माल के सीमा शुल्क सीमा पार करने से पहले हस्तांतरित किया गया था

भारत सरकार और लेन-देन अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत आता है, सीटीओ ने रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्षय की जांच की और तथ्यों को पाया कि: (i) सिंधु ने यांगून (म्यांमार) से विजाग (भारत) में म्यांमार हार्डवुड गुरजन राउंड लॉग के 324 पी. सी. एस. का आयात किया था और आयातक द्वारा दिनांकित 09.12.2005 के लदान संख्या 1/वाई. जी. एन.-वी. जेड. जी. के बिल का समर्थन अपीलार्थी के पक्ष में किया गया था। (ii) ऐसे समर्थित दस्तावेजों के बल पर, श्री संजीव कुमार अग्रवाल (अपीलार्थी के एकमात्र मालिक) ने प्रस्तुत किया।

भंडारण और सीमा शुल्क के लिए दिनांक 804116 दिनांकित प्रविष्टि बिल का आकलन केवल अपीलार्थी पर इस प्रविष्टि बिल पर किया गया था।

भंडारण; और (iii) बाद में, अपीलार्थी ने गृह उपभोग संख्या 804353 दिनांक 28.12.2005 के लिए प्रविष्टि का बिल दाखिल किया और इस प्रविष्टि के बिल पर अकेले अपीलार्थी पर सीमा शुल्क का आकलन किया गया। सीटीओ ने अपीलार्थी द्वारा उठाए गए दिनांकित 12.01.2006 के डेबिट नोट का भी उल्लेख किया।

राधा रुपये की राशि के लिए। 1,14,86,342 / -और यह देखा कि हालांकि उच्च समुद्र बिक्री समझौते दिनांक 12.12.2005 में पक्षों का इरादा था

माल के भारत में सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले हस्तांतरण को प्रभावित करता है, लेकिन वास्तव में, उक्त समझौता लागू नहीं हुआ और बिक्री 12.01.2006 पर हुई, जैसा कि डेबिट नोट में दिखाया गया है। 9.3 . सीटीओ ने आगे कहा कि माल को भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के रूप में माना जाना चाहिए जब प्रवेश का बिल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट था

निर्मित और माल का मूल्यांकन सीमा शुल्क के अनुसार किया जाता था और अपीलार्थी द्वारा की गई बिक्री को आयात या उच्च समुद्र बिक्री के दौरान बिक्री नहीं कहा जा सकता था क्योंकि माल सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर चुका था। सीटीओ ने दोहराया कि दूसरा उच्च समुद्र बिक्री समझौता नहीं था और यह दावा करने का कोई मामला नहीं था कि दस्तावेजों का हस्तांतरण उक्त समझौते के आधार पर ही किया गया था। मामले के तथ्यों और प्रासंगिक मामले-कानून के संदर्भ में, सी. टी. ओ. ने माना कि बिक्री वास्तव में सीमा शुल्क मंजूरी के बाद ही हुई थी और अपीलार्थी की दलीलों को खारिज करने के लिए आगे बढ़े। सीटीओ ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" 2) ..... उपरोक्त कानूनी स्थिति और इसके तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

इसे आयात या उच्च समुद्री बिक्री के दौरान बिक्री नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक माल सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर चुका था।

***

***

***

4) यह उल्लेख करना अनुचित नहीं हो सकता है कि जहाँ तक

21.11.05 पर किया गया चतुर्भुज समझौता है संबंधित, यह संचालन में नहीं आया है जबकि लेनदेन

हो रहा है। क्या इसके संबंध में कोई सांठगांठ थी बाद के दो उच्च समुद्री बिक्री समझौतों की आवश्यकता

10.12.2005 और 12.12.2005 योजना में उत्पन्न नहीं हुआ होगा। 5) यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्पष्ट रूप से दूसरी उच्च समुद्री बिक्री

जब बिक्री हो रही है तो समझौता लागू नहीं हुआ है।

जगह। इस प्रकार यह दावा करने का कोई मामला नहीं है कि

दस्तावेज उक्त समझौते के आधार पर ही प्रभावी हुए थे।

के रूप में। टाटा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था

आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। एस. आर. सरकार और अन्य 11 एसटीसी

655 – ऐसी बिक्री के पूरा होने पर बिक्री को बिक्री के रूप में माना जाएगा।

और केवल बिक्री का अनुबंध की परिभाषा के भीतर एक बिक्री नहीं है धारा 2 (ए) में बिक्री। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि बिक्री

समझौते में विचार किए गए तरीके से नहीं हुआ है।

बिक्री वास्तव में सीमा शुल्क मंजूरी के बाद ही हुई थी। इस प्रकार,

उक्त समझौते का कोई संबंध नहीं है।

9.4 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीटीओ ने छूट की अनुमति नहीं दी

रुपये के कारोबार पर अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया। 1,14,86,342 / - मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्कस v. का इलाज करते हुए।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में लेन-देन और तदनुसार मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें अपीलार्थी को रुपये के शेष कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। 14,35,793 / - .

मूल्यांकन आदेश दिनांक 18.05.2010: प्रासंगिक तथ्य और

पृष्ठभूमि

10. समान प्रकृति के छह अन्य लेनदेन कर अवधि 2006-07 से संबंधित दिनांकित 18.05.2010 मूल्यांकन आदेश की विषय वस्तु बने। सीटीओ ने पाया कि अपीलार्थी ने रुपये के कारोबार के संबंध में कर के भुगतान से छूट का दावा किया था। 4,05,09,427 / - , यह तर्क देते हुए कि यह कारोबार माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत दायर नहीं किया था कि उक्त बिक्री इस तरह से की गई थी। तदनुसार, 26.11.2009 दिनांकित एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में, अपीलार्थी ने समान प्रकृति के इन छह लेन-देनों से संबंधित कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए

इसमें चार पक्ष शामिल हैं, जो क्रमशः विक्रेता, पहला खरीदार, अपीलार्थी और अंतिम खरीदार हैं।

10.1 . जहां तक पहले लेन-देन का संबंध है, लकड़ी के लट्ठों की आपूर्ति के लिए अलकेमल के बीच दिनांक 01.04.2006 का प्रमुख समझौता किया गया था

सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (विक्रेता), पुरबनचल लुम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (प्रथम खरीदार), वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स (अपीलार्थी) और उक्त राधा इंडस्ट्रीज (अंतिम खरीदार)। पुरबनचल लम्बर्स प्रा. लि. लिमिटेड ने यांगून (म्यांमार) से विजाग (भारत) के लिए म्यांमार हार्डवुड गुरजन राउंड लॉग के 155 पी. सी. एस. का आयात किया। जी. सी. टी. सी./531/06/11 दिनांक 08.04.2016 को उच्च समुद्री बिक्री समझौते के अनुसार 11.04.2006 पर अपीलार्थी के पक्ष में समर्थन दिया गया था; और 11.04.2006 पर ही, अपीलार्थी द्वारा राधा के पक्ष में लेडिंग बिल का समर्थन किया गया था। इसके बाद, 12.04.2006 पर, अपीलार्थी द्वारा लकड़ी के भंडारण के लिए भंडारण के लिए प्रवेश पत्र (बी/ई नंबर 601744) दायर किया गया था और फिर, 26.04.2006 पर, अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र (बी/ई नंबर 602044) दायर किया गया था।

10.2 . जहाँ तक दूसरे लेन-देन का संबंध है, लकड़ी की आपूर्ति के लिए लकड़ी शिल्प के बीच दिनांक 1 का प्रमुख समझौता किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पीटीई। लिमिटेड (विक्रेता), अल्पाइन पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (पहला खरीदार),

वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स (अपीलार्थी) और मेसर्स। इंडो बिटुमेन उत्पाद, राजस्थान (अंतिम-खरीदार)। एम/एस। अल्पाइन पैनल्स प्रा. लिमिटेड ने सिंगापुर से विशाखापट्टनम के लिए मलेशियाई

राउंड लॉग के 273 पी. सी. एस. का आयात किया। ए. एम. बी. 1106/वी. आई. जेड.-05 दिनांक 20.08.2006 का समर्थन [2021] 3 एस. सी. आर. के पक्ष में किया गया था।

फिर, 07.09.2006 पर, अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र (बी/ई संख्या 604677) दाखिल किया गया था। यहां फिर से, श्री संजीव कुमार अग्रवाल, वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स, विजाग (अपीलकर्ता) पर सीमा शुल्क का आकलन किया गया। 10.3 . इस मूल्यांकन में तीसरा और चौथा लेनदेन एक ही प्रकृति का था जिसमें दो प्रमुख समझौते दिनांकित किए गए थे।

01.10.2006 लकड़ी की आपूर्ति के लिए उक्त वुड क्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता), पुरबनचल लम्बर्स प्राइवेट को शामिल किया गया था। लिमिटेड (प्रथम खरीदार), वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स (अपीलार्थी) और मेसर्स। पाइन निर्यातक, नई दिल्ली (अंतिम-खरीदार)। इन लेन-देनों में लेडिंग के दो बिल शामिल थे, संख्या। ए. एम. बी. 1306/वी. आई. जेड.-01 और ए. एम. बी. 1306/वी. आई. जेड.-02 दिनांक 08.10.2006, जिनका इसी तरह पहले खरीदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में समर्थन किया गया था।

18.10.2006 और उसी तारीख को, अपीलार्थी ने अंतिम खरीदार के पक्ष में इसका समर्थन किया। इसके बाद, इसी तरह से, अपीलार्थी ने भंडारण के लिए 19.10.2006 पर प्रविष्टि के बिल दाखिल किए और फिर

31.10.2006 घरेलू उपभोग के लिए।

10.4 . पुनः, इस मूल्यांकन में पाँचवाँ और छठा लेन-देन भी उसी प्रकृति का था जिसमें लकड़ी की आपूर्ति के लिए दो प्रमुख समझौते दिनांक 11.12.2006 और 15.12.2006 किए गए थे, जिसमें उक्त वुड क्राफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता), मैसर्स शामिल थे। जी. के. गनेरीवाला एंड संस (प्रथम खरीदार), वेल्लंकी फ्रेम वर्क्स (अपीलार्थी) और मेसर्स। एस्स्के इम्पेक्स, नई दिल्ली (अंतिम-खरीदार)। इन लेन-देनों में लेडिंग के दो बिल शामिल थे, संख्या। CON1206/VIZ-04 और CON1206/VIZ-05 दिनांक 21.12.2006 जिनका इसी तरह पहले खरीदार द्वारा 04.01.2007 पर अपीलार्थी के पक्ष में समर्थन किया गया था और उसी तारीख को, अपीलार्थी ने अंतिम-खरीदार के पक्ष में उसी का समर्थन किया। इसके बाद, इसी तरह से, अपीलार्थी ने भंडारण के लिए 05.01.2007 पर प्रविष्टि के बिल दाखिल किए और फिर

18.01.2007 घरेलू उपभोग के लिए।

10.5 . इन सभी लेन-देन और लेन-देन में, प्रवेश के बिल दाखिल करने के बाद, श्री संजीव कुमार अग्रवाल पर सीमा शुल्क का आकलन किया गया था।

अपीलकर्ता फर्म का स्वामी। हालाँकि, अपीलार्थी ने कहा कि उक्त लेन-देन संबंधित अंतिम खरीदारों को उच्च समुद्री बिक्री के थे, जिन पर बाद में अपीलार्थी द्वारा डेबिट नोट उठाए गए थे।

11. दिनांक 18.05.2010 के मूल्यांकन आदेश में, सी. टी. ओ. ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि भंडारण के लिए प्रवेश पत्र और प्रवेश पत्र दाखिल करने पर एम./एस. वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एक्स-बॉन्ड (घरेलू खपत) के लिए, अकेले अपीलकर्ता का सीमा शुल्क के लिए आकलन किया गया था; कि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा इस तरह की मंजूरी और स्थानीय वस्तुओं की धारा में मिश्रित माल पर आयात धारा सूख जाती है; कि अपीलार्थी द्वारा कोई भी बाद की बिक्री, इसलिए, कर के लिए स्थानिक वस्तुओं की बिक्री का गठन करती है; और यह कि वे लेनदेन, जिनके लिए अपीलार्थी ने उच्च समुद्री बिक्री के रूप में छूट का दावा किया था, सीएसटी अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत आने वाली अंतर-राज्य बिक्री के रूप में माने जाने के लिए उत्तरदायी थे। दूसरे शब्दों में, निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा अंतिम खरीदारों तक की बिक्री प्रवेश पत्र दाखिल करने पर अपीलार्थी पर सीमा शुल्क के मूल्यांकन के बाद ही हुई और इस प्रकार, उक्त बिक्री ने स्थानीय वस्तुओं की बिक्री के रूप को प्राप्त किया, जो कि विचाराधीन वस्तुओं के लिए

भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार किया।

11.1 . उपरोक्त के अलावा, सीटीओ ने यह भी बताया कि जब पत्रों को दूसरे छोर पर विक्रेताओं (यानी अंतिम खरीदारों) को संबोधित किया जाता है, तो उनमें से एक, मेसर्स। पाइन एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली ने कहा कि संदर्भित पक्ष (यानी, अपीलार्थी) उन्हें ज्ञात नहीं था और उन्हें अपीलार्थी से कभी भी कोई मलेशियाई राउंड लॉग प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि पत्र मेसर्स को भेजा गया था। एस्स्के इम्पेक्स, नई दिल्ली को डाक समर्थन के साथ वापस कर दिया गया था कि दिए गए पते पर ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं थी। मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी का दावा वास्तविक नहीं था और जिन लेन-देनों पर अपीलार्थी ने उच्च समुद्री बिक्री के रूप में छूट का दावा किया था, उन्हें सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत आने वाली अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में माना जाना चाहिए।

11.2 . दिनांकित 18.05.2010 मूल्यांकन आदेश में सीटीओ की टिप्पणियों और निष्कर्षों का प्रासंगिक भाग भी उपयोगी हो सकता है। निम्नानुसार निकाला गया:

" जब इन तय किए गए सिद्धांतों को तत्काल मामले में लागू किया जाता है, जैसा कि गोदाम के लिए प्रवेश के बिल और प्रवेश के पूर्व बांड से पता चलता है, तो प्रवेश के बिल और शुल्क के मूल्यांकन को दाखिल करने से पहले स्वामित्व विलेखों का हस्तांतरण नहीं हुआ है। बिक्री निर्धारिती पर मूल्यांकन किए जाने और प्रवेश पत्र दाखिल करने के बाद हुई। इस प्रकार उक्त बिक्री ने प्राप्त किया

स्थानीय वस्तुओं की बिक्री का स्वरूप।

इसलिए, उपरोक्त कानूनी स्थिति और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि जब प्रवेश का बिल बनाया गया था, तो माल ने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था, माल का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था। इसलिए निर्धारिती द्वारा की गई बिक्री को आयात के दौरान की गई बिक्री या [2021] 3 एस. सी. आर. नहीं कहा जा सकता है।

जितना माल सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर गया था, उतनी ही अधिक समुद्री बिक्री।

इसके अलावा, जब दूसरे छोर पर विक्रेताओं को संबोधित किया जाता है और निर्धारिती से खरीद की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है-मेसर्स पाइन

निर्यातक, नई दिल्ली (लेनदेन संख्या 3 पर बिक्री की सूचना दी गई)

Rs.11057059/- और लेन-देन संख्या 4 Rs.4124375/- कुल 15581434 00) पक्ष ने जवाब दिया कि वे संदर्भित पक्ष को नहीं जानते हैं और उन्हें कभी भी उक्त पक्ष से कोई मलेशियाई राउंड लॉग प्राप्त नहीं हुआ है।

पक्ष जो दर्शाता है कि विक्रेता का दावा वास्तविक नहीं है।

इसके अलावा, मेसर्स एस्स्के इम्पेक्स, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र में लेन-देन में निर्धारिती से खरीद की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है सं. 5 Rs.8277263 और लेन-देन सं. 6 Rs.3454968 कुल =

11732231 / - , डाक अधिकारियों द्वारा "इस स्थान पर ऐसी कोई फर्म नहीं" के समर्थन के साथ वापस किया गया था जो यह भी दर्शाता है कि

विक्रेता का दावा वास्तविक नहीं है।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिन लेन-देनों पर निर्धारिती ने उच्च समुद्री बिक्री होने का दावा किया है, उन्हें सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अंतरराज्यीय बिक्री माना जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष
लिखित याचिकाएँ

12. जैसा कि देखा गया है, उपरोक्त मूल्यांकन आदेशों को वैधानिक अपील में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अपीलार्थी ने समान रूप से रिट याचिकाओं के माध्यम से, 2013 का डब्ल्यू. पी. सं. 4552 (के विरुद्ध)

2013 का मूल्यांकन आदेश दिनांक 20.01.2010) और डब्ल्यू. पी. संख्या 6258 (दिनांक 18.05.2010 के मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध)। इन दोनों रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ विचार के लिए लिया गया था और सामान्य निर्णय और दिनांक 18.12.2014 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

13. उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.12.2014 के विवादित फैसले और आदेश में पक्षों द्वारा आग्रह किए गए विभिन्न प्रकार के तर्कों की जांच की

और मुख्य रूप से 2013 के डब्ल्यू. पी. संख्या 4552 में शामिल 20.01.2010 के मूल्यांकन आदेश से संबंधित तथ्यों से निपटने के दौरान विभिन्न शीर्षकों के तहत मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए उठाया। उच्च न्यायालय ने इन मुद्दों की जांच की: (i) जिस सी. टी. ओ. के समक्ष विक्रेता ने सी. एस. टी. अधिनियम के तहत विवरणी दाखिल की थी, क्या उसे पारित करने का अधिकार था।

डिप्टी से प्राधिकरण के अभाव में मूल्यांकन आदेश आयुक्त; (ii) रिट अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन आदेश की न्यायिक समीक्षा की सीमा, दायरा और रूपरेखा; (iii) इस बारे में कि क्या अपीलार्थी द्वारा राधा को की गई बिक्री अपीलार्थी के लिए एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी जिसने मैसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

प्रवेश का बिल और सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया है; (iv) क्या राधा के पक्ष में बिक्री ने देश में माल की आवाजाही का कारण बना; (v) क्या शुल्क मुक्त दुकान के लिए निर्धारित प्रक्रिया वर्तमान मामले में लागू थी; और (vi) क्या अपीलकर्ता सी-फॉर्म जमा करने के लिए समय देने का हकदार था?

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इन मुद्दों के संबंध में।

14.1 . विचाराधीन मूल्यांकन आदेश पारित करने के लिए सीटीओ के अधिकार के सवाल के संबंध में, उच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से जांच की

ए. पी. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, ए. पी. मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 9 (2) में निहित प्रावधानों का दायरा और अंततः अपीलार्थी की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज कर दिया कि सी. टी. ओ. के पास सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के लिए अपीलार्थी का आकलन करने का अधिकार नहीं था।

14.2 . जहां तक रिट अधिकार क्षेत्र में मूल्यांकन आदेश की न्यायिक समीक्षा का संबंध है, उच्च न्यायालय ने चार-पक्षीय समझौते के संदर्भ में लेन-देन की प्रकृति के संबंध में अपीलार्थी की ओर से व्यापक दलीलों पर ध्यान दिया।

अपीलार्थी के पक्ष में आयातक और बाद में अपीलार्थी द्वारा राधा (अंतिम-खरीदार) के पक्ष में जबकि माल समुद्र में था और यह भी तर्क कि माल की वास्तविकता के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लदान के बिल पर अनुमोदन। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाए बिना मूल्यांकन आदेश के खिलाफ रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था; और यह भी बताया कि हालांकि एक अर्ध न्यायिक आदेश को चुनौती देने में प्रमाणपत्र उचित उपाय था, अपीलकर्ता ने अनिवार्य रिट की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह अपीलार्थी का मामला भी नहीं था

कि प्रथम प्रत्यर्थी एक वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा था या कि अपीलार्थी के कानूनी अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे और इसलिए,

अपीलार्थी परमादेश के रिट का हकदार नहीं था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उन सीमित मापदंडों की ओर इशारा किया जिनके भीतर मूल्यांकन आदेशों और उनमें निष्कर्षों की वैधता की जाँच निश्चित अधिकार क्षेत्र में की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने विवादित मूल्यांकन आदेशों में अपनाए गए विचार और दर्ज किए गए निष्कर्षों पर ध्यान दिया और कहा कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने उच्च समुद्र बिक्री समझौते और माल के बिल आदि के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा राधा और राज्य के बाहर अन्य खरीदारों को की गई बिक्री को अंतर [2021] 3 एस. सी. आर. माना है।

बिक्री को इस कारण से बताएँ कि वे बिक्री केवल अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिल दाखिल करने और सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किए जाने के बाद ही प्रभावित हो सकती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल अगर उन निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है तो मामला रिमांड की मांग करेगा। अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी को निर्देश। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" विवादित मूल्यांकन आदेशों को पारित करने और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में लेनदेन पर कर लगाने में, मूल्यांकन प्राधिकरण ने उच्च समुद्र बिक्री समझौतों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है।

और अन्य समझौते, लेडिंग बिल या भारतीय लेडिंग बिल अधिनियम के प्रावधान। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा राधा इंडस्ट्रीज (और राज्य के बाहर अन्य) को माल की बिक्री खरीदार) इस आधार पर एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी कि ये बिक्री केवल याचिकाकर्ता द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करने के बाद और उसके मूल्यांकन के बाद ही प्रभावित हो सकती थी

सीमा शुल्क। यह केवल तभी होता है जब इन निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है, तो मामले को रिमांड की आवश्यकता होगी, और मूल्यांकन प्राधिकरण को अन्य दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश दिया जा रहा है।

याचिकाकर्ता "।

14.3 . उपरोक्त प्रारंभिक पहलुओं पर विचार करने के बाद,

उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल मुख्य मुद्दे में प्रवेश किया, अर्थात कि क्या राधा को अपीलार्थी द्वारा की गई बिक्री अपीलार्थी के लिए एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी जिसने प्रवेश पत्र दाखिल किया था और सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी की उस दलील पर ध्यान दिया जिसमें एक ओर अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सीमा शुल्क अधिनियम या बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत कोई निषेध नहीं है इसके तहत, माल ढुलाई के बिल का समर्थन करने वाले द्वारा प्राधिकरण के धारक द्वारा माल की निकासी के लिए; कि अन्यथा भी, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक आयातक में कोई भी मालिक या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खुद को आयातक मानता है और जैसा कि माल ढुलाई के बिल में उसका समर्थन किया गया था।

पक्ष में, अपीलार्थी एक आयातक के रूप में प्रवेश पत्र दाखिल करने का हकदार था; और यह कि विभाग का तर्क, कि द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान

अपीलार्थी इस बात का निर्णायक था कि आयात समाप्त हो गया है और उसके बाद अपीलार्थी द्वारा की गई कोई भी बिक्री केवल एक घरेलू बिक्री हो सकती है, जो सीमा शुल्क के प्रावधानों से प्रवाहित नहीं हो रही थी, दूसरी ओर विभाग की ओर से यह तर्क दिया गया कि अकेले अपीलार्थी को एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स V के रूप में प्रविष्टि बिल दाखिल करने के आधार पर सीमा शुल्क का आकलन किया गया था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आयातक; कि प्रणाली केवल अपीलार्थी को बिल दाखिल करने की अनुमति देती है केवल उनके नाम के रूप में प्रविष्टि आयात सामान्य घोषणापत्र में दर्ज की गई थी

(आई. जी. एम.) आयातक के रूप में; कि प्रवेश के बिल की सामग्री से यह स्पष्ट हो गया है कि अपीलार्थी के पक्ष में उच्च समुद्र बिक्री के बाद कोई उच्च समुद्र बिक्री नहीं हुई थी, क्योंकि प्रवेश का बिल आई. जी. एम. के आधार पर उत्पन्न किया गया था; कि राधा का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया था और यदि राधा आयात के दौरान अंतिम खरीदार होती, तो आई. जी. एम. ने प्रतिबिंबित किया होता समान; कि सामान के सामान्य सामान के साथ मिलने से पहले अपीलार्थी को माल का अंतिम खरीदार/अंतिम आयातक होने के रूप में सीमा शुल्क का आकलन किया गया था और अपीलार्थी द्वारा राधा को माल की बिक्री आयात के दौरान बिक्री नहीं थी, बल्कि यह एक अंतर-राज्य बिक्री थी क्योंकि राधा आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थित थी; और यदि

अपीलार्थी ने राधा को सामान बेच दिया और फिर भी खुद को सीमा शुल्क के लिए निर्धारित कर लिया, इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि अपीलार्थी और राधा ने बिक्री लेनदेन मूल्य पर सीमा शुल्क से बचने के लिए सांठगांठ की थी।

14.4 . प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया कि 'आयात के क्रम में' होने के लिए, यह या तो वह होना चाहिए जिसने आयात को प्रेरित किया है या वह जो माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण से प्रभावित हुआ है। चूंकि अपीलार्थी का दावा, कि बिक्री को आयात के क्रम में माना जा रहा है, विभाग द्वारा इस कारण से अस्वीकार किया जा रहा था कि अकेले अपीलार्थी ने भंडारण के लिए प्रवेश पत्र और घर के उपयोग के लिए प्रवेश पत्र भी दायर किया था, उच्च न्यायालय आयात और प्रवेश पत्र दाखिल करने की प्रक्रियाओं से संबंधित आवश्यक विशेषताओं के साथ मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। सीमा शुल्क अधिनियम और सी. एस. टी. अधिनियम में विभिन्न शर्तों और विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में इसके विचार को विभाजित करना।

14.4. 1 . उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" अभिव्यक्ति को सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) में परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ सीमा शुल्क स्टेशन के क्षेत्र की सीमा को पार करना है जिसमें आयातित माल या निर्यात किए गए सामान को आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है; और इसके स्पष्टीकरण के अनुसार, "सीमा शुल्क स्टेशन" और "सीमा शुल्क अधिकारियों" का वही अर्थ होगा जो निम्नानुसार है: सीमा शुल्क अधिनियम। उच्च न्यायालय ने कहा कि सी. एस. टी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए "सीमा शुल्क सीमाओं" को उस सीमा शुल्क स्टेशन के क्षेत्र की सीमाओं के बराबर माना गया था जिसमें माल संग्रहीत किया गया था और ऐसे स्टेशन को पार करना भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बराबर माना जाता है।

14.4. 2 . "आयातक" शब्द के अर्थ के संबंध में, उच्च

न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (23) में "आयात" और धारा 2 (25) में "आयातित वस्तुओं" की परिभाषा की जांच की और कहा कि

जिस क्षण किसी विदेशी देश से भारत में लाए गए सामान को घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है, वे स्थानीय सामानों के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद आयातित सामान बनना बंद हो जाते हैं। उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की समावेशी परिभाषा की भी जांच की और कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी विदेश से भारत में माल का आयात करता है, वह निस्संदेह एक आयातक होगा और माल का मालिक और खुद को आयातक रखने वाला व्यक्ति भी एक आयातक होगा, लेकिन केवल माल के आयात और घरेलू उपभोग के लिए उन्हें मंजूरी दिए जाने के बीच की अवधि के दौरान, और उससे पहले या बाद में नहीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि "आयातक" की विस्तारित परिभाषा का उपयोग उस व्यक्ति से आयातक की पहचान हड़पने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसने प्रवेश पत्र दाखिल किया है और जैसा कि प्रवेश पत्र से पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दी गई है, अपीलकर्ता माल का आयातक था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि अपीलकर्ता ने राधा को समुद्र में माल बेचा होता, तो केवल राधा ही आयातक होती, न कि अपीलकर्ता और स्वयं

यह तथ्य कि राधा का नाम घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र में आयातक के रूप में नहीं दिखाया गया था, राधा को उच्च समुद्र बिक्री के बारे में अपीलार्थी के तर्क को गलत साबित करता है। उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निष्कर्षों के प्रासंगिक भागों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

" सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (23) आयात को परिभाषित करती है, इसके साथ

भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करना। धारा 2 (25) आयातित को परिभाषित करती है। माल का अर्थ है
भारत में बाहर से लाया गया कोई भी माल।

भारत में लेकिन उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें मंजूरी दे दी गई है। घरेलू उपभोग। शब्दों का उपयोग खंड में शामिल नहीं है।

2 (25) इसका मतलब यह होगा कि जिस क्षण से भारत में सामान लाया गया था एक विदेशी देश, घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है, उन्हें मिलता है

स्थानीय वस्तुओं के साथ मिलाया जाता है और आयातित माल होना बंद कर दिया जाता है। इसके बाद। 'आयात' शब्द की परिभाषा के अनुसार

अधिनियम की धारा 2 (25) के अनुसार "भारत में बाहर से लाने के लिए"

भारत ", और जैसा कि उन्होंने माल का आयात किया है (उनका नाम प्रतिबिंबित हो रहा है)

आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में), याचिकाकर्ता ने सही कहा है आयातक माना जाता है।

***

***

*** वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

धारा 2 (26) में आयातक की विस्तारित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, जबकि कोई भी व्यक्ति जो किसी विदेश से भारत में माल का आयात करता है, निस्संदेह एक आयातक होगा, माल का मालिक और खुद को आयातक रखने वाला व्यक्ति भी एक आयातक होगा।

आयातक, हालांकि केवल माल के आयात और घरेलू उपभोग के लिए उन्हें मंजूरी दिए जाने के समय के बीच की अवधि के दौरान, और उससे पहले या उसके बाद नहीं। यह अवधि तब होती है जब माल को आयात के बाद भंडारित किया जाता है, और ऐसे गोदाम से उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साफ़ किया जाता है जो वास्तव में

माल का आयात किया। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में आयातक की परिभाषा का वह अंग, मालिक या निर्यातक के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, जहां माल नहीं रखा गया है। भारत में नामित आयातक द्वारा दावा किया गया या भुनाया गया। इस परिभाषा का उपयोग प्रवेश पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति से आयातक की पहचान छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है। चूंकि धारा 2 (26) एक समावेशी परिभाषा है, वह व्यक्ति जिसके नाम पर प्रवेश पत्र दाखिल किया जाता है, आयातक नहीं रह जाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति

जिसने वाहक से माल की रिहाई सुनिश्चित की है, जिसने प्रवेश का बिल दाखिल किया है, और जिसने निकासी का काम शुरू किया है, वह आयातक बना हुआ है। प्रविष्टि बिल से पता चलता है कि माल को याचिकाकर्ता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दी गई है, जो इसलिए माल का आयातक है।

जो व्यक्ति खुद को माल का आयातक मानता है, उसे माल से पहले आयातक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। घरेलू उपभोग के लिए साफ किए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 2 (26) किसी भी व्यक्ति को तारीख के बीच खुद को आयातक होने की अनुमति देती है।

घरेलू उपभोग के लिए माल का आयात और निकासी। लेकिन यहाँ याचिकाकर्ता, जिसके नाम पर माल प्रकट किया गया है, ने प्रवेश पत्र दाखिल करके पहले ही खुद को आयातक माना है। जैसा कि इसके बाद विस्तार से बताया जाएगा, आयात घोषणापत्र में संशोधन नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता ने घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के लिए प्रवेश पत्र दायर किया है, और खुद को आयातक बताया है। ..... अतः यह स्पष्ट है कि इसके आयात से पहले केवल वही व्यक्ति आयातक होगा जो माल का आयात करता था। यदि, जैसा कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है, उन्होंने राधा को समुद्र में माल बेचा था, तो केवल राधा ही आयातक होगी, न कि याचिकाकर्ता। तथ्य यह है कि राधा का नाम बिल [2021] 3 एस. सी. आर. में आयातक के रूप में नहीं दिखाया गया है।

प्रविष्टि एक्स-बॉन्ड (घरेलू खपत) याचिकाकर्ताओं द्वारा राधा इंडस्ट्रीज को उच्च समुद्री बिक्री के तर्क को झुठलाता है।

14.4. 3 . उच्च न्यायालय, इसके बाद, आयात सामान्य घोषणापत्र की प्रासंगिकता और महत्व की जांच करने के लिए आगे बढ़ा।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में सीमा शुल्क स्टेशन पर जहाज के आगमन से पहले वितरित किया गया; शुल्क (सीमा शुल्क दस्तावेज) विनियम, 1970 के तहत इसके संशोधन या पूरक की अनुमति; और आयात घोषणापत्र (पोत) विनियम, 1971 के संदर्भ में इसकी सामग्री। उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. जी. एम. की आवश्यकताओं के अनुसार, इसमें आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्री बिक्री खरीदार का नाम प्रतिबिंबित होना चाहिए था; और अन्यथा, आई. जी. एम. आवश्यक संशोधन, क्योंकि यह केवल उच्च समुद्रों पर माल का अंतिम खरीदार है जो आयातक/प्रेषक होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि आई. जी. एम.

इसमें राधा का नाम आयातक/प्रेषक के रूप में या यह कि बाद में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 (3) के संदर्भ में इसमें संशोधन किया गया था; और इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च समुद्र बिक्री का विवाद अपीलार्थी द्वारा केवल सी. एस. टी. अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री के रूप में माल पर कर से बचने के लिए उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

" आयात सामान्य घोषणापत्र में एक कार्गो घोषणा शामिल है।

जिसमें, अन्य बातों के अलावा, आयातक का नाम, आयातक कोड संख्या, आई. जी. एम. संख्या और तिथि का विवरण होना आवश्यक है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला भी नहीं है कि आयात सामान्य घोषणापत्र में उनका नाम आयातक के रूप में नहीं दिखाया गया है। यदि, जैसा कि अब उनके द्वारा तर्क दिया जाता है, माल समुद्र में बेचा गया था, तो आयात सामान्य घोषणापत्र में आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्री बिक्री खरीदार का नाम प्रतिबिंबित होना चाहिए था। अन्यथा, आयात सामान्य घोषणापत्र में संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि यह केवल उच्च समुद्रों पर माल का अंतिम खरीदार जो होगा

आयातक/प्रेषक। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि

या तो आयात सामान्य घोषणापत्र में राधा का नाम आयातक/प्रेषक के रूप में था या बाद में इसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 (3) के संदर्भ में संशोधित किया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उच्च समुद्र बिक्री का विवाद द्वारा उठाया गया है याचिकाकर्ता केवल माल को कर के अधीन होने से बचने के लिए

सी. एस. टी. अधिनियम के तहत राज्य की बिक्री।

14.4. 4 . यह पता चलने के बाद कि अपीलार्थी को उचित रूप से माल का आयातक माना गया था और इस तरह के निष्कर्ष को मैसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स V द्वारा मजबूत किया गया था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आई. जी. एम. की सामग्री, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने के प्रभाव की आगे जांच की। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने आयात पर माल के प्रवेश से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम में निहित प्रावधानों के दायरे और आवश्यकताओं की जांच की; घरेलू उपभोग के लिए माल की मंजूरी के साथ-साथ प्रवेश पत्र (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियम, 1995 की आवश्यकताओं की भी जांच की। उच्च न्यायालय ने प्रवेश के बिलों में से एक की सामग्री की जांच की, जैसा कि 2013 के डब्ल्यू. पी. संख्या 6258 के रिकॉर्ड में रखा गया है, जहां दूसरा पक्ष (पहला खरीदार) पुरबनचल लम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड था। लिमिटेड और पाया गया

कि उक्त प्रविष्टि पत्र में राधा का कोई संदर्भ नहीं था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस चूक से यह स्पष्ट हो गया है कि माल का आयात अपीलार्थी द्वारा किया गया था

उक्त प्रथम खरीदार द्वारा उसके पक्ष में की गई उच्च समुद्र बिक्री। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने माल का आयात किया था और अपीलार्थी द्वारा राधा को माल की बिक्री घर के उपभोग के लिए माल को मंजूरी दिए जाने के बाद ही की जा सकती थी। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:

परिवहन। यदि, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा तर्क दिया गया है, उनके द्वारा माल मेसर्स को बेचा गया था। गहरे समुद्र में स्थित राधा इंडस्ट्रीज, और माल के सीमा शुल्क बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले, आयातक का नाम राधा इंडस्ट्रीज के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, न कि संजीव कुमार अग्रवाल, वेल्लंकी फ्रेमवर्क के रूप में। यह तथ्य कि आयातक का नाम संजीव कुमार अग्रवाल, वेल्लंकी फ्रेमवर्क्स के रूप में दिखाया गया है और बिल ऑफ एंट्री में राधा इंडस्ट्रीज का कोई संदर्भ नहीं है, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा पुर्बांचल लुम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके पक्ष में की गई उच्च समुद्री बिक्री पर माल का आयात किया गया था; यह वही हैं जिन्होंने माल का आयात किया था; और उनके द्वारा राधा इंडस्ट्रीज को माल की बिक्री केवल हो सकती थी। घर के लिए सामान को साफ करने के बाद प्रभावित किया गया था

उपभोग "।

14.4. 5 . उच्च न्यायालय ने इन दलीलों की भी जांच की कि अपीलार्थी ने केवल अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में काम किया और इसे खारिज कर दिया, फिर से प्रविष्टि पत्र की सामग्री के संदर्भ में जहां अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में दिखाया गया था और राधा का कोई संदर्भ नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सीमा शुल्क हो सकता है केवल माल के आयातक पर मूल्यांकन किया गया और उसके एजेंट पर नहीं; और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पाई गई

21] 3 एस सी आर।

कि केवल अपीलार्थी को सीमा शुल्क के लिए निर्धारित किया गया था, राधा को नहीं। दिए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को दोहराया कि राधा को अपीलकर्ता द्वारा माल की बिक्री एक उच्च समुद्र बिक्री नहीं थी; और ऐसी बिक्री केवल तभी प्रभावी हो सकती थी जब अपीलकर्ता को सीमा शुल्क का आकलन किया गया था और घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दे दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की और अभिनिर्धारित किया:

" यदि, जैसा कि उनके द्वारा तर्क दिया गया है, याचिकाकर्ता केवल एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, तो प्रवेश पत्र का नाम प्रतिबिंबित होता एम/के रूप में आयातक s.Radha उद्योग और याचिकाकर्ता मेसर्स के बजाय उनके एजेंट के रूप में। क्लियरिंग हाउस एजेंट के रूप में श्रीनिवास ट्रेडर्स;

याचिकाकर्ता द्वारा, पुरबनचल लम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उन्हें समुद्र में बेचे जा रहे सामान पर। उनके द्वारा राधा इंडस्ट्रीज को माल की बिक्री माल के बाद ही की जा सकती थी। घरेलू उपयोग के लिए साफ कर दिया गया था।

***

***

***

उच्च समुद्रों पर माल के स्वामित्व के हस्तांतरण से वह व्यक्ति, जो उच्च समुद्रों पर माल खरीदता है, आयातक बन जाता है। माल
और यह वह है जो सीमा शुल्क के लिए अभिनिर्धारित होने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसा कि प्रवेश पत्र में याचिकाकर्ताओं का नाम दर्ज किया गया है -

सीमा शुल्क के लिए, और उसने घर के लिए सामान साफ़ कर दिया था उपभोग "।

14.4. 6 . खनिज और धातु व्यापार के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले के संदर्भ में भारतीय निगम लिमिटेड बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य: 1999 (106) ई. एल. टी. 23, अपीलार्थी की ओर से एक तर्क दिया गया था कि प्रवेश पत्र पर नाम अप्रासंगिक था क्योंकि इसमें केवल आयातक का नाम दर्ज किया जाएगा, भले ही प्रवेश पत्र और शुल्क के मूल्यांकन को दाखिल करने से पहले स्वामित्व विलेखों का हस्तांतरण किया गया हो।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स वी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

उच्च न्यायालय ने खनिज और धातुओं के उक्त मामले में शामिल प्रमुख मुद्दे पर ध्यान दिया और कहा कि सवाल यह है कि क्या इसका नाम

प्रविष्टि-पत्र प्रासंगिक था या नहीं और इस बारे में कि क्या अकेले आयातक का नाम उसमें दर्ज किया जाएगा, भले ही प्रविष्टि-पत्र और शुल्क के निर्धारण से पहले स्वामित्व विलेख द्वारा हस्तांतरण किया गया हो, उसमें विचार के लिए नहीं आया था। इसलिए, में होने वाली टिप्पणियाँ प्रविष्टि बिल में नाम की प्रासंगिकता के संबंध में उक्त निर्णय को कानून की बाध्यकारी घोषणा का नहीं माना गया था।

14.5 . इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सी. टी. ओ. का यह अभिनिर्धारित करना उचित था कि अपीलार्थी द्वारा राधा को माल की बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी जो कर के लिए उत्तरदायी थी।

14.6 . उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से एक अन्य तर्क दिया गया था कि उक्त प्रभाग में प्रतिपादित सिद्धांत खनिज और धातुओं के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ के फैसले और मद्रास उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले को मौन मंजूरी मिली [2021] 3 एस. सी. आर.

होटल अशोक (भारतीय पर्यटक विकास निगम लिमिटेड) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में। वी. सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर और ए. एन. आर : (2012) 3 एससीसी 204। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के उक्त निर्णय को अलग करते हुए कहा कि यह शुल्क मुक्त दुकानों पर बेचे जाने वाले माल से संबंधित है जो भारत की सीमा शुल्क सीमा से बाहर हैं; वहां बेचे जाने वाले माल को भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले बेचा गया था; और इसके परिणामस्वरूप, वहां माल की बिक्री आयात के क्रम में है।

14.7 . इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि विचाराधीन बिक्री एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी, उच्च न्यायालय ने अपनी ओर से किए गए वैकल्पिक अनुरोध पर ध्यान दिया खरीदारों से सी-प्रपत्र जमा करने के अवसर के लिए अपीलकर्ता का अनुरोध और केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियम, 1957 के नियम 12 (7) के संदर्भ में इस अनुरोध को मंजूरी दी।

14.8 . उपरोक्त निष्कर्षों और स्वतंत्रता के साथ, उच्च न्यायालय ने विवादित मूल्यांकन आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया अपीलार्थी को निर्धारित सी-प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय देते हुए। उच्च न्यायालय ने कुछ विक्रेताओं के अस्तित्व के बारे में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए संदेहों पर भी टिप्पणी की और कहा कि अपीलकर्ता केवल तभी सी-फॉर्म प्राप्त कर पाएगा जब ऐसे विक्रेता मौजूद हों। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष निकाला:

" उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित मूल्यांकन आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए चुनौती है

तीन महीने की अवधि के लिए, उन्हें लाभ दिया जाएगा कर की रियायती दर जिस सीमा तक सी-फॉर्म का उत्पादन किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि याचिकाकर्ता मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

वाणिज्यिक कर

अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सी-फॉर्म आज से तीन महीने के भीतर, यह खुला है

उत्तरदाताओं को आगे बढ़ने और शेष कर की वसूली करने के लिए

कानून के अनुसार उनके कारण।

उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन, दोनों रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। लंबित विविध याचिकाएँ, यदि कोई हों, भी स्वतः ही खारिज हो जाएंगी। हालांकि,

परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ और इसमें शामिल मुद्दे

15. इन अपीलों में उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर सवाल उठाया गया है। अब हम मुख्य प्रस्तुतियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दलों की ओर से।

16. विवादित निर्णय पर जोर देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने चतुर्भुज समझौते का विस्तृत संदर्भ दिया है

दिनांक 21.11.2005 में चार पक्षों को शामिल किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि सिंधु विदेशी निर्यातक यानी डब्ल्यू. बी. टी. पर खरीद आदेश जारी करेगी और उसके बाद, जब माल समुद्र में होगा, तो सिंधु अपीलकर्ता के पक्ष में स्वामित्व (लदान का बिल) के दस्तावेजों को हस्तांतरित करेगी। और अपीलार्थी तब स्वामित्व के दस्तावेजों को राधा के पक्ष में माल में स्थानांतरित कर देगा। इससे पहले कि माल भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करे। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि एक चतुर्भुज में प्रवेश करने के पीछे का इरादा

समझौता यह था कि सिंधु को डब्ल्यू. बी. टी. के साथ 180 दिनों की ऋण सुविधा प्राप्त थी।

जबकि अपीलार्थी के पास कार्य करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा था

माल का आयात लेकिन समझौते में विशेष रूप से राधा को माल के अंतिम खरीदार के रूप में पहचाना गया और यह निर्धारित किया गया कि माल राधा द्वारा निरीक्षण और चयन के बाद ही आगे बढ़ेगा और इसलिए, डब्ल्यू. बी. टी. (विक्रेता) और राधा (अंतिम खरीदार) के बीच अनुबंध की गोपनीयता हमेशा बनी रहती थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अनुसूची I के अनुसार

समझौता, अपीलार्थी को राधा के एजेंट के रूप में कार्य करना था और साफ़ करना था

सीमा शुल्क अधिकारियों से माल जहां अपीलार्थी द्वारा राधा को डिलीवरी नोट जारी करने के बाद माल की डिलीवरी पूरी की जानी थी; और निकासी के बाद, बंदरगाह से उत्तर प्रदेश राज्य में कारखाने परिसर तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारी राधा की थी। 16.1 . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि विचाराधीन बिक्री, "आयात के दौरान बिक्री" की प्रकृति में होने के कारण, सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर योग्य नहीं है; कि विचाराधीन बिक्री, भारत के भीतर दो राज्यों के बीच माल की आवाजाही के कारण नहीं है, धारा [2021] 3 एस. सी. आर. के तहत "अंतर-राज्य बिक्री" नहीं है।

3 (क) सी. एस. टी. अधिनियम और इसके बजाय, इस बिक्री ने भारत के बाहर से भारत में माल की आवाजाही को प्रेरित किया है; और यह कि विभाग ने अपीलार्थी और राधा के बीच दूसरे उच्च समुद्र बिक्री समझौते की अनदेखी करके और अपीलार्थी को केवल प्रवेश बिल दाखिल करने और डेबिट बढ़ाने के लिए माल के मालिक के रूप में व्यवहार करके अन्यायपूर्ण और गलत किया था। नोट करें।

16.2 . प्रस्तुतियों पर विस्तार से बताते हुए, विद्वान वकील ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह राज्य सरकार को राज्य में की गई बिक्री पर बिक्री कर लगाने से रोकता है।

आयात या निर्यात का पाठ्यक्रम; और संसद तैयार कर सकती है

आयात या निर्यात के दौरान बिक्री कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत। विद्वान वकील ने धारा 5 का उल्लेख किया है सी. एस. टी. अधिनियम, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि आयात या निर्यात के दौरान बिक्री कब हुई है और इसकी उप-धारा (2) का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि माल की बिक्री निम्नलिखित अवधि में हुई है -

भारत के क्षेत्र में माल का आयात केवल तभी किया जाता है जब बिक्री के अवसर पर ऐसा आयात किया जाता है या भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण से प्रभावित होता है। विद्वान वकील ने सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 और महाराष्ट्र राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया है। एम्बी निगम, बाम्बे: (1997) 7 एस. सी. सी. 190 यह प्रस्तुत करता है कि जहां तक सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 और 5 का संबंध है, 'वस्तुओं की बिक्री के अवसर पर आवाजाही' और 'वस्तुओं के आयात के अवसर पर बिक्री' शब्दों का वही अर्थ है और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 4 (2) में 'वस्तुओं की बिक्री' शब्द और 'बिक्री अनुबंध' शब्द का वही अर्थ निर्धारित किया गया है, जो सामान्य कानून में बिक्री के अर्थ के लिए व्यापक है। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया। लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। एस. आर. सरकार और अन्य। : ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 65, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दोनों स्थितियों में जहां बिक्री के अवसरों पर माल की आवाजाही और बिक्री के अवसरों पर माल का आयात होता है, बिक्री का अनुबंध या बिक्री के अनुबंध की वाचा एक राज्य से दूसरे राज्य में या भारत के बाहर से भारत में आवाजाही को प्रेरित करती है।

16.3 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, उच्च समुद्री बिक्री के आवश्यक तत्व स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण और माल के हस्तांतरण के लिए होंगे जब माल समुद्र में होता है। "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" शब्द की परिभाषा के संदर्भ में,

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (ए. बी.) में आने वाले विद्वान वकील ने मैसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम की ओर इशारा किया है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस शब्द का अर्थ सीमा शुल्क स्टेशन के क्षेत्र की सीमा को पार करना है जिसमें आयातित माल या निर्यातित माल को आम तौर पर पहले रखा जाता है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकासी। फिर, माल की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 2 (4) और जे. वी. गोकल एंड कंपनी (निजी) लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में। सहायक बिक्री कलेक्टर-कर (निरीक्षण) और अन्यः (1960) 2 एस. सी. आर. 852 और मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बिक्री कर अधिकारी और अन्यः (1998) 7 एस. सी. सी. 1910, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि लेडिंग के बिल का हस्तांतरण माल में स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है। जहाँ तक भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने वाले माल के हस्तांतरण का संबंध है, विद्वान वकील ने होटल अशोक (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब माल को बंधुआ गोदाम में रखा जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार किया है।

16.4 . जहाँ तक मामले के तथ्यों का संबंध है, विद्वान वकील करेंगे

प्रस्तुत करें कि राधा के पक्ष में लदान के बिल पर अपीलार्थी द्वारा समर्थन 12.12.2005 पर किया गया था जब माल समुद्र में था और भारत की सीमा शुल्क सीमाओं तक भी नहीं पहुंचा था और फिर, घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश बिल 28.12.2005 पर दायर किया गया था। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, माल के सीमा शुल्क को पार करने से पहले संबंधित माल का शीर्षक राधा के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था।

भारत की सीमाएँ और तदनुसार, याचिकाकर्ता और राधा के बीच लेनदेन सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए उत्तरदायी नहीं आयात के दौरान एक बिक्री थी।

16.5 . विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि विचाराधीन लेनदेन पर अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में कर लगाने की मांग की गई है।

सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए), सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत कवर नहीं होने के लिए, लेकिन सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत कवर किए जाने वाले लेनदेन के लिए, बिक्री के समझौते को माल की आवाजाही को ट्रिगर करना चाहिए और इस तरह के समझौते के परिणामस्वरूप माल को भारत के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहिए। विद्वान वकील ने उल्लेख किया है

त्रावणकोर राज्य-कोच्चि और अन्य में इस न्यायालय का निर्णय। वी. शनमुघा विलास काजू कारखाना, क्विलोनः आकाशवाणी 1953 एस. सी. 333

9 इसके बाद 'माल की बिक्री अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है। 10 इसके बाद खनिज और धातुओं के इस मामले को 'उड़ीसा मामला' के रूप में भी संदर्भित किया गया है, ताकि आंध्र प्रदेश उच्च

न्यायालय के अन्य निर्णय के साथ अंतर बनाए रखा जा सके। एक ही प्रथम नाम वाला न्यायालय, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में संदर्भित किया गया था।

भारत के भीतर अंतर-राज्य आंदोलन बिक्री के एक संपूर्ण एकीकृत लेनदेन का केवल एक हिस्सा था; कि जब एकीकृत आयात लेनदेन के एक हिस्से में भारत के भीतर माल की आवाजाही शामिल होती है, तो विभाग चुनिंदा रूप से लेनदेन के केवल एक हिस्से पर सवाल नहीं उठा सकता है; और यह कि

स्पष्ट रूप से शामिल पक्षों के बीच गोपनीयता स्थापित करने वाले चतुर्भुज समझौते को आंशिक रूप से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और कर लगाने के लिए लेनदेन के भारतीय चरण को विच्छेदित नहीं किया जा सकता था।

16.6 . प्रमुख प्रस्तुतियों के एक अन्य चरण में, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय प्रवेश पत्र का उपयोग करने में त्रुटि में पड़ गया है

माल के स्वामित्व का निर्धारण करना। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि माल का स्वामित्व केवल भारतीय अनुबंध अधिनियम के साथ पठित माल की बिक्री अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा सकता है; कि सीमा शुल्क है आयात के समय माल के कब्जे वाले व्यक्ति से एकत्र किया गया, जिसे माल का मालिक होने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत "आयातक" की परिभाषा से प्रतीत होता है, जिसमें "मालिक और कोई अन्य व्यक्ति" शामिल है; कि सीमा शुल्क के विपरीत, बिक्री कर माल के स्वामित्व के समय बिक्री या खरीद के लेनदेन पर एक कर है।

हस्तांतरण किया जाता है और यह प्रश्न कि बिक्री कब होती है और माल का मालिक कौन है, केवल माल की बिक्री अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, न कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत। भारत संघ और ए. एन. आर. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर एक मजबूत निर्भरता के साथ। वी. संपत राज दुगर और अन्र। : (1992) 2 एस. सी. सी. 66, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क अधिनियम में आयातक की परिभाषा केवल उस व्यक्ति को इंगित करती है जो प्रवेश पत्र दाखिल करने के समय माल के कब्जे में है, लेकिन माल के स्वामित्व का संकेत नहीं देता है।

बाद की तारीख के नोट का माल के स्वामित्व के पारित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले हुआ था। विद्वान वकील के अनुसार, लदान के बिल का समर्थन और इसकी तारीख ही निर्धारण के लिए प्रासंगिक कारक हैं कि क्या विचाराधीन बिक्री सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत आती है या नहीं; और अन्य सभी कारक बिक्री केंद्र के संबंध में मुख्य मुद्दे को निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक हैं; और उच्च न्यायालय अप्रासंगिक मैसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

प्रासंगिक पहलुओं और मामले में लागू कानून की अनदेखी करते हुए विचार। 16.8 . वैकल्पिक भाग में, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय, फिर से सराहना करने के लिए अपनी अनिच्छा का संकेत देने के बावजूद

रिट अधिकार क्षेत्र में साक्षय, मामले को अपीलीय प्राधिकरण को सौंपने के बजाय तथ्य पर निष्कर्ष देने के लिए आगे बढ़े हैं। स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए v. भारत संघ और ओआरएस। : 1995 बशर्ते (4) एस. सी. सी. 674, विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी को वैधानिक अपील में मामले को लड़ने की अनुमति दी जा सकती है, विशेष रूप से इसमें शामिल तथ्यों को देखते हुए।

17. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि समझौतों के संयुक्त अध्ययन पर भरोसा किया जाना चाहिए

अपीलार्थी और अपीलार्थी विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क सीमा से पहले माल के साथ सौदा करते हुए, यह स्पष्ट करते हैं कि कथित एजेंसी अपीलार्थी और राधा के बीच समझौता एक नकली और नाममात्र का दस्तावेज था, जो केवल सी. एस. टी. अधिनियम के तहत कर देयता की चोरी के उद्देश्य से तैयार किया गया था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि कथित एजेंसी समझौते ने आयात लेनदेन में कोई भूमिका नहीं निभाई और यह था

केवल अपीलार्थी जो वास्तविक आयातक था और उसके साथ उचित व्यवहार किया गया था। विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता द्वारा विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क सीमा के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में राधा को समुद्र में बिक्री के बाद से वास्तविक आयातक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता था।

खरीदार के रूप में नामित समझौता; और सीमा शुल्क सीमा

विशाखापत्तनम में एजेंसी समझौते को प्रवेश पत्र के आधार के रूप में भी नहीं माना गया था।

17.1 . प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है

कि तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, प्रश्नगत समझौतों और उनके पीछे के वास्तविक इरादे को पढ़ते समय, अपीलार्थी द्वारा प्रविष्टि पत्र दाखिल करने के साथ, उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि केवल अपीलार्थी ही आयातक था, स्पष्ट नहीं है। विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि आयात केवल पूर्ण था

अपीलार्थी द्वारा और उसके माध्यम से और आयात पूरा होने तक, राधा कहीं भी तस्वीर में नहीं थी; और अपीलार्थी और राधा के बीच मौद्रिक लेनदेन माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद उनके बीच बिक्री के लेनदेन का पर्याप्त प्रमाण हैं। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी

द्वारा राधा को माल की डिलीवरी और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश राज्य में) से लखनऊ (उत्तर प्रदेश राज्य में) के रास्ते में उनकी आवाजाही।

यह एक अंतर-राज्यीय बिक्री थी और इसलिए, अपीलार्थी को इस अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए कर के लिए उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

17.2 . अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णयों में अंतर करते हुए, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि उन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जो अनिवार्य रूप से उन प्रश्नों से संबंधित हैं कि आयात को क्या प्रेरित किया और स्वामित्व आयातक को कब दिया गया, यह तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं कि वर्तमान मामले में आयातक कौन रहा है। विद्वान वकील के अनुसार, इस प्रश्न की पक्षकारों के व्यवहार की प्रकृति के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उचित रूप से जांच की गई है और इस तरह के निष्कर्षों का उच्च न्यायालय द्वारा उचित समर्थन किया गया है।

18. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड को स्कैन किया है।

19. ऊपर जो देखा गया है, उसके सारांश में यह स्पष्ट है कि यह कहते हुए कि विचाराधीन बिक्री "आयात के दौरान" हुई थी और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत छूट के लिए योग्य है, अपीलार्थी के मामले का मुख्य मुद्दा यह है कि -

चतुर्भुज समझौतों के अनुसार, अपीलार्थी ने

सवाल केवल अंतर-राज्यीय बिक्री का था। विभाग के ऐसे रुख के प्रति अपीलार्थी का प्रतिवाद यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार प्रवेश के बिल को दाखिल करना और सीमा शुल्क का निर्धारण करना माल के स्वामित्व के निर्धारक कारक नहीं हैं क्योंकि आयातक मालिक या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है और केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने प्रवेश के बिल दायर किए हैं, जब माल समुद्र में था तो माल के हस्तांतरण के कानूनी परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 19.1 . इसलिए, इन अपीलों में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विचाराधीन बिक्री माल के आयात के दौरान हुई थी।

भारत के क्षेत्र में प्रवेश करना और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करना?

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

आयात के दौरान बिक्री: संकेतन

20. मुख्य मुद्दे और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के निर्धारण के लिए

इस मामले में उत्पन्न होने पर, शुरुआत में, "आयात के दौरान बिक्री" से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों में एक संक्षिप्त अंतर्दृष्टि उचित होगी। 20.1 . भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 के तहत, बिक्री और खरीद की निर्दिष्ट श्रेणी पर कर लगाने के संबंध में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रासंगिक समय पर, अनुच्छेद 286 के खंड (1) और (2) को 1 1 के तहत पढ़ा जाता है:

((क) राज्य के बाहर; या
((ख) भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या निर्यात के दौरान।

(2) संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है कि किसी भी तरीके से माल की बिक्री या खरीद कब होती है।

खंड (1) में उल्लिखित है।

20.2 . अनुच्छेद 286 के खंड (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 लागू किया है। खंड में 3 , इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि माल की बिक्री या खरीद अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद-(ए) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही का अवसर देता है; या (बी) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है। धारा 3 को इसके स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के साथ भी 1 2 12 के तहत उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है।

“ 3.माल की बिक्री या खरीद कब होती है?

अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठ्यक्रम।

1 1 इस अनुच्छेद 286 में बाद में कुछ संशोधन किए गए हैं जिन्हें यहाँ संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। 12 2016 के अधिनियम 28 द्वारा इस धारा 3 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण 3 वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

21] 3 एस सी आर।

वस्तुओं की बिक्री या खरीद अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि बिक्री या खरीद

(ख) एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के दौरान स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है।
स्पष्टीकरण 1. - जहाँ माल किसी वाहक या अन्य को पहुँचाया जाता है

पारेषण के लिए, खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए माल की आवाजाही, के समय शुरू हुई मानी जाएगी

ऐसी डिलीवरी और उस समय समाप्त हो जाती है जब डिलीवरी ली जाती है

ऐसे वाहक या बेली से।

स्पष्टीकरण 2. — जहाँ माल की आवाजाही शुरू होती है और एक ही राज्य में समाप्त होने पर इसे केवल इस तथ्य के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही नहीं माना जाएगा कि इस तरह की आवाजाही के दौरान माल गुजरता है।

किसी अन्य राज्य के क्षेत्र के माध्यम से।
20.3 . बिक्री कब या कब होगी, यह निर्धारित करने के लिए बुनियादी सिद्धांत

भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात का क्रम केवल तभी जब बिक्री या खरीद दोनों अवसरों पर ऐसा निर्यात होता है या माल के सीमा पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होता है। भारत की सीमा शुल्क सीमाएँ। उप-धारा (2) के तहत, माल की बिक्री या खरीद भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान केवल तभी मानी जाएगी जब बिक्री या खरीद या तो ऐसे आयात के अवसर पर होती है या स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होती है।

माल से पहले का माल भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर चुका है। वर्तमान मामले में, हम केवल धारा की उप-धारा (2) से संबंधित हैं। 5 आयात की प्रक्रिया से संबंधित और इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार निकाला जा सकता है:

" 5. माल की बिक्री या खरीद कब होती है?

आयात या निर्यात के दौरान।

—

XXX।

XXX

XXX

(2) माल की बिक्री या खरीद में हुई मानी जाएगी

भारत के क्षेत्र में माल के आयात की प्रक्रिया/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

केवल तभी जब बिक्री या खरीद किसी भी अवसर पर ऐसा आयात या है माल से पहले स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित

माल भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर चुका है।

XXX "

XXX

XXX

20.4 . "भारत की सीमाओं को पार करना" और "बिक्री" अभिव्यक्तियों की परिभाषा/अर्थ, जैसा कि प्रासंगिक समय पर होता है, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए. बी.) और (जी.) को भी 1,3 के तहत उपयोगी रूप से स्पष्ट किया जा सकता है:

सीमा शुल्क अधिकारी। स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सीमा शुल्क स्टेशन" और "सीमा शुल्क प्राधिकरणों" का वही अर्थ होगा जो इन में है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

((ख) किसी कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)। ((iii) किराए पर माल की डिलीवरी-खरीद या भुगतान की कोई भी प्रणाली।

किश्तों में;

((iv) किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण। (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकद, विलंबित भुगतान के लिए

या अन्य मूल्यवान विचार;

प्रासंगिक समय में, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (डी) में अभिव्यक्ति वस्तुओं को परिभाषित किया गया था:

" (घ) "माल" में सभी सामग्री, वस्तुएं, वस्तुएं और अन्य सभी प्रकार की चल संपत्ति शामिल हैं, लेकिन इसमें समाचार पत्रों के कार्रवाई योग्य दावे, स्टॉक, शेयर और प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं।

निर्विवाद रूप से, विचाराधीन माल उक्त परिभाषा में शामिल थे।

21] 3 एस सी आर।

(v) किसी भी अनिगमित संघ या निकाय द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति

(vi) किसी सेवा के माध्यम से या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य तरीके से, भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे मादक हो या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है, लेकिन इसमें बंधक या अनुमान या शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है।

माल पर; "

20.5 . "भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करना" अभिव्यक्ति "सीमा शुल्क बंदरगाह" और "सीमा शुल्क स्टेशन" को संदर्भित करती है, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसलिए, हम उपयोगी रूप से खंडों में प्रासंगिक परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं।

(11) , (12) , (13) और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 का (29), जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, नीचे दिया गया है:

" (11) " सीमा शुल्क क्षेत्र का अर्थ है सीमा शुल्क स्टेशन 1 4 का क्षेत्र और इसमें कोई भी क्षेत्र शामिल है जिसमें आयातित माल या निर्यात माल शामिल हैं। आम तौर पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी से पहले रखा जाता है;

(12) " सीमा शुल्क बंदरगाह का अर्थ है धारा 7 के खंड (ए) के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में नियुक्त कोई भी बंदरगाह और इसमें उस धारा के खंड (एए) के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के रूप में नियुक्त स्थान शामिल है।

या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन;
(29) " भूमि सीमा शुल्क स्टेशन "का अर्थ है धारा 7 के खंड (बी) के तहत सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में नियुक्त कोई भी स्थान;

20.6 . प्रस्तुतियों और उठाए गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम अभिव्यक्ति की परिभाषा पर भी ध्यान दे सकते हैं। " माल की बिक्री अधिनियम की धारा 2 (4) में माल के स्वामित्व का दस्तावेज:

" (4) " माल के स्वामित्व के दस्तावेज़ में माल का बिल, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर का प्रमाणपत्र, व्हार्फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रसीद, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट दस्तावेज़, माल की डिलीवरी के लिए वारंट या ऑर्डर और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ शामिल है।

14 1 4 2017 के अधिनियम 18 द्वारा इस स्थान पर "या गोदाम" शब्द अंत:स्थापित किए गए 15 1 5 2017 के अधिनियम 7 द्वारा इस स्थान पर "सीमा शुल्क हवाई अड्डे" के स्थान पर "सीमा शुल्क ह्वाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, विदेशी डाकघर" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

माल का, या दस्तावेज़ के मालिक को, या तो समर्थन या वितरण द्वारा, अधिकृत करने या अधिकृत करने का उद्देश्य

इस प्रकार प्रस्तुत माल का हस्तांतरण या प्राप्त करना;

इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार किया गया और इससे संबंधित विविध तथ्यात्मक व्यवस्थाओं में निर्णय का विषय रहा लेन-देन और इसमें शामिल पक्षों के लेन-देन। सभी आवश्यक बारीकियों में प्रवेश करने से पहले, हम उपयोगी रूप से देख सकते हैं कि 'आयात के दौरान बिक्री' वाक्यांश में तीन आवश्यक विशेषताएं हैं-(i) कि बिक्री होनी चाहिए; (ii) कि वस्तुओं को वास्तव में भारत के क्षेत्र में आयात किया जाना चाहिए; और (iii) कि बिक्री आयात का अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। एक बिक्री आयात का अभिन्न अंग बन जाएगी यदि वह भी

ऐसे आयात के अवसर या यदि यह माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल को स्वामित्व के दस्तावेज के हस्तांतरण के रूप में होता है।

22. 'आयात के क्रम में बिक्री' वाक्यांश की आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान देने के बाद, अब हम उद्धृत निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, ताकि उनमें व्याख्याओं का पता लगाया जा सके और वर्तमान मामले में उनकी प्रयोज्यता की जांच की जा सके।

22.1 . जे. वी. गोकल एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में याचिकाकर्ता कंपनी ने दो मामलों में प्रवेश किया।

चीनी की दो खेपों को बेचने के लिए भारत सरकार के साथ 24.03.1954 और 15.04.1954 पर अनुबंध-एक पेरू मूल के 9,500 लंबे टन में से और दूसरा महाद्वीपीय मूल के 25,000 मीट्रिक टन में से। याचिकाकर्ता ने विदेशों में विक्रेताओं को आदेश दिए। विचाराधीन माल को ले जाने वाले जहाज के बॉम्बे बंदरगाह पर पहुंचने से कुछ हफ्ते पहले, यानी जब जहाज गहरे समुद्र में थे, भारत सरकार को स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनमें माल ढुलाई के बिल भी शामिल थे।

उनके द्वारा खरीदी गई चीनी का भुगतान किया और याचिकाकर्ता को कीमत का भुगतान किया। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद, आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद भारत सरकार द्वारा उन्हें उतार दिया गया, डिलीवरी ली गई और मंजूरी दे दी गई। निर्धारण वर्ष 1954-55 के लिए, याचिकाकर्ता का मूल्यांकन बिक्री कर के लिए किया गया था जहां बिक्री कर अधिकारी ने याचिकाकर्ता के कारोबार से उक्त दो बिक्री की कीमत काट ली थी। हालाँकि, 31.01.1958 पर, बिक्री कर के सहायक कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था उक्त मूल्यांकन की समीक्षा करना। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए अपनी आपत्तियां दायर कीं कि बिक्री आयात के दौरान हुई थी और इसलिए वे बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थे। प्रथम प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि बिक्री कर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थी

21] 3 एस सी आर।

उक्त दो लेन-देन के संबंध में देय। याचिकाकर्ता ने याचिका के माध्यम से उसके खिलाफ जारी किए गए मांग नोटिस पर सवाल उठाया इस न्यायालय में। यह संतोषजनक था कि विचाराधीन बिक्री बिक्री कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि वे भारत के क्षेत्र में माल के आयात के दौरान हुई थी। इस न्यायालय ने इन प्रश्नों की जांच की कि "भारत के क्षेत्र में माल के आयात के क्रम में" वाक्यांश क्या बताता है और यह कब कहा जा सकता है कि एक बिक्री है

आयात यात्रा के दौरान हुआ। इस न्यायालय ने षण्मुघा विलास काजू कारखाने (उपरोक्त) के मामले में व्यक्त की गई राय सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और कहा:

" 9 ..... हम विद्वान न्यायाधीशों की उपरोक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। माल के आयात का क्रम हो सकता है -

कहा जाता है कि यह तब शुरू होता है जब माल अपनी आयात यात्रा में प्रवेश करता है यानी जब वे विदेश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करते हैं और तब समाप्त होता है जब वे आयातक देश के सीमा शुल्क अवरोध को पार करते हैं।

10. अगला सवाल यह है कि यह कब कहा जा सकता है कि आयात यात्रा के दौरान बिक्री होती है? राज्य में यह न्यायालय त्रावणकोर-कोच्चि। बॉम्बे कंपनी लिमिटेड ने माना कि एक बिक्री जो निर्यात का कारण बनती है, वह बिक्री है जो माल के निर्यात के दौरान होती है। यदि ए, भारत में एक व्यापारी, अपना बेच देता है

माल को लंदन में एक व्यापारी को दिया जाता है और माल को जहाज द्वारा लंदन ले जाकर लेन-देन किया जाता है, उक्त बिक्री जो

अवसर पर निर्यात को कला के तहत छूट दी गई है। 286 (1) (ख) संविधान के बिक्री-कर के उद्ग्रहण से। यही सिद्धांत उन वस्तुओं के विपरीत मामले पर लागू होता है जिनके कारण भारत में वस्तुओं का आयात होता है। यह न्यायालय फिर से त्रावणकोर राज्य-कोचीन और अन्य में है। वी. शनमुघा विलास काजू कारखाने ने इस सिद्धांत का विस्तार माल के पारगमन के दौरान प्रेषण दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा राज्य के भीतर माल की बिक्री या खरीद के मामले तक किया। यह निर्णय तीन प्रकार की खरीद से संबंधित था। ((i) स्थानीय मार्कर में की गई खरीद; (ii) आस-पास के राज्य के पड़ोसी जिलों में की गई खरीद; और (iii) अफ्रीका से आयात। अफ्रीका से आयात में दो समूह शामिल थे-एक समूह में वे सामान शामिल थे जो समुद्र में खरीदे गए थे और अफ्रीकी बंदरगाहों से कोच्चि या क्विलोन भेजे गए थे: हम दूसरे समूह से चिंतित नहीं हैं। उक्त मामले में बॉम्बे में कुछ कमीशन एजेंट

निर्धारिती की ओर से खरीद के लिए व्यवस्था की गई, डिलीवरी वेलांकी फ्रेम वर्क्स v।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

एक बैंक के माध्यम से बॉम्बे में प्रेषण दस्तावेजों का, जो प्रेषण दस्तावेजों के विरुद्ध धन आगे बढ़ाता था और गंतव्य पर कर निर्धारकों से एकत्र करता था। इस न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि आयात के पहले समूह के अंतर्गत आने वाली खरीद के संबंध में, कमीशन एजेंट केवल उत्तरदाताओं के एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं और उक्त खरीद आयात का कारण बनती है और इसलिए छूट के दायरे में आती है। यह ऐसा मामला नहीं था जब भारत में एक आयातक द्वारा किसी तीसरे पक्ष को माल बेचा जाता था जब माल समुद्र में होता था। यह एक ऐसा मामला था जहां कोचीन में एक पक्ष ने बॉम्बे में अपने एजेंट के माध्यम से समुद्र में सामान खरीदा था और एजेंट ने शिपिंग दस्तावेजों के खिलाफ एक बैंक के माध्यम से कीमत का भुगतान किया था। लेकिन विद्वान न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री, सी. जे. ने बहुमत के विचार को व्यक्त करते हुए, छूट के सभी पहलुओं पर विचार किया और संक्षेप में कहा

इस प्रकार निष्कर्ष पी। 69 :

" हमारे निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है: (1) निर्यात द्वारा बिक्री और आयात द्वारा खरीद छूट के दायरे में आती है।

अनुच्छेद 286 (1) (ख). (2) राज्य में निर्यातक द्वारा राज्य में निर्यात के साथ-साथ बिक्री के उद्देश्य से की गई खरीद। माल के सीमा शुल्क की सीमा पार करने के बाद आयातक छूट के दायरे में नहीं आते हैं। (3) राज्य में निर्यातक या आयातक द्वारा प्रेषण दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा बिक्री, जबकि माल सीमा शुल्क बाधा से परे है, छूट के दायरे में है।

यह मानते हुए कि राज्य की कराधान की शक्ति इस प्रकार तक फैली हुई है

लेनदेन "।

दास, जे., जैसा कि वे तब थे, अपने असहमत निर्णय में, तीसरे निष्कर्ष पर पतंजलि शास्त्री, सी. जे. से सहमत थे, जिससे हम अब चिंतित हैं। विद्वान न्यायाधीश ने पी में अपना विचार रखा। 94 इस प्रकार:

" इस तरह की बिक्री या खरीद, शिपिंग दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा, जब माल अपनी आयात यात्रा पर समुद्र में होता है, लेनदेन की अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रजातियां होती हैं और होती हैं।

और कलकत्ता और वास्तव में आवश्यक और संगत हैं। विदेशी व्यापार की घटनाएँ। यह अभिनिर्धारित करना कि ये बिक्री या खरीद 'आयात या निर्यात' के दौरान नहीं होती हैं, लेकिन

विशुद्ध रूप से सामान्य स्थानीय या घरेलू लेनदेन के रूप में माना जाए

विदेशी व्यापार से अलग, [2021] 3 एस. सी. आर. की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना है।

 स्थिति। इस तरह के निर्माण से किसी राज्य द्वारा संसद द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क या निर्यात शुल्क के अलावा कर लगाने की अनुमति मिलेगी। समान वस्तुओं पर इस तरह के दोहरे कराधान से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी और निर्यात के मामले में, निर्यातकों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोका जा सकता है और आयात के मामले में, उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ पड़ेगा। यह अंततः बाधा डालेगा और पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

यह हमारे विदेशी व्यापार को प्रभावित करेगा और ठीक उसी आपदा को लाएगा जो हमारे संविधान की मंशा और उद्देश्य है

रोकने के लिए "।

विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय में एक भारतीय आयातक को होने वाली बड़ी कठिनाई पर भी विस्तार से विचार किया यदि उसे भुगतान के बदले शिपिंग दस्तावेजों की डिलीवरी द्वारा समुद्र में माल बेचने की अनुमति नहीं दी गई। यद्यपि उस मामले को एक अलग स्थिति से निपटाया गया था, हम विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से सहमत हैं कि एक आयातक, यदि वह प्राप्त करता है

प्रेषण दस्तावेज़, जब वे समुद्र में होते हैं तो माल में संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को भुगतान के खिलाफ प्रेषण दस्तावेज़ वितरित करके हस्तांतरित करें और ऐसी बिक्री आयात के दौरान की जाती है।

22.1. 1 . इसके बाद न्यायालय ने कानूनी को संक्षेप में प्रस्तुत किया

आयात बिक्री के संबंध में निम्नलिखित शब्दों में:

" 11. आयात-बिक्री के संबंध में कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है; (1) वस्तुओं के आयात का क्रम इस प्रकार शुरू होता है -

जब माल विदेशी सीमा शुल्क बाधा को पार करता है

देश और आयातक देश में एक बिंदु पर समाप्त होता है

माल सीमा शुल्क बाधा को पार करता है; (2) वह बिक्री जो

आयात आयात के क्रम में एक बिक्री है; (3) एक द्वारा एक खरीद

माल का आयातक जब वे भुगतान द्वारा समुद्र में होते हैं

प्रेषण दस्तावेजों के विरुद्ध भी आयात के क्रम में एक खरीद है, और (4) माल के आयातक द्वारा बिक्री, माल में संपत्ति के बाद या तो भुगतान के खिलाफ स्वामित्व के दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद या अन्यथा, किसी तीसरे पक्ष को समान रूप से।

प्रक्रिया भी आयात के दौरान एक बिक्री है।

22.1. 2 . कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए, न्यायालय ने

मामले के तथ्यों का खनन किया और माना कि मामला के तहत आता है

उपरोक्त सिद्धांत जब याचिकाकर्ता, पूर्ववर्ती मैसर्स वेलांकी फ्रेम वर्कस v. के अनुसरण में कहा गया हो।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सरकार के साथ अनुबंध, माल के समुद्र में होने पर भुगतान के बदले सरकार को लदान के बिल सहित शिपिंग दस्तावेज वितरित किए। इसलिए, यह माना गया कि विचाराधीन बिक्री भारत में वस्तुओं के आयात के दौरान हुई थी। न्यायालय ने भी अनुबंध की शर्तों की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने पक्षों के किसी भी इरादे का खुलासा किया है कि भुगतान के खिलाफ लदान के बिलों की डिलीवरी के बावजूद, माल में संपत्ति सरकार को नहीं दी जानी चाहिए और अनुबंध की सभी शर्तों की जांच के बाद यह माना कि उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया है। यद्यपि अनुबंध की शर्तों की जांच और विश्लेषण केवल उस मामले के तथ्यों से संबंधित है, लेकिन

यह इंगित करने के लिए उसी को पुनः प्रस्तुत करना सार्थक होगा कि अंततः, तथ्यों पर, न्यायालय ने पाया कि बिक्री आयात के दौरान हुई थी। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में विश्लेषण और निर्णय दिया:

" 13. आइए अब हम अनुबंध की शर्तों की जांच करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे पक्षों के किसी भी इरादे का खुलासा करते हैं कि भुगतान के खिलाफ लेडिंग बिल के वितरण के बावजूद माल में संपत्ति सरकार को नहीं दी जानी चाहिए। द.

जिन परिस्थितियों में अनुबंध किए गए थे

पक्षों के बीच यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष यह देखने में रुचि रखते थे कि माल में संपत्ति सामान्य तरीके से पारित हो जब प्रेषण दस्तावेज भुगतान के बदले सरकार को सौंप दिए गए थे। विक्रेताओं को उन विदेशी कंपनियों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना पड़ता था जिनके साथ उन्होंने ऋण पत्र खोले थे और

सरकार निश्चित रूप से माल का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए उत्सुक रही होगी ताकि विक्रेता अधिक आकर्षक कीमतों के लिए माल को अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं की ओर या अन्य खरीदारों की ओर न मोड़ सकें। अनुबंध के तहत पहले के खंडों में सहमत विनिर्देशों के माल को सुरक्षित करने के लिए हर सुरक्षा प्रदान की गई थी और इसलिए

जब तक माल वास्तव में बंदरगाह में वितरित नहीं किया जाता, तब तक माल में संपत्ति को खरीदार को देने को स्थगित करने का कोई कारण नहीं था। उनके पक्ष के विक्रेता चिंतित होंगे कि

जब माल समुद्र में होता तो संपत्ति को गुजरना चाहिए, अन्यथा वे बिक्री-कर का भुगतान करने के लिए मजबूर होते। न ही प्रत्यर्थियों द्वारा अनुबंधों के खंडों पर भरोसा किया जाता है जो व्यापारिक उपयोग के अनुसार गुजरने वाले माल में संपत्ति के साथ असंगत हैं। 14. अनुबंध की शर्तों के अलावा, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा निम्नलिखित [2021] 3 एस. सी. आर. पर भी निर्भरता रखी जाती है।

परिस्थितियाँ: (i) विक्रेता ने स्वयं जहाज को किराए पर लिया; और (ii) सरकार द्वारा जारी लाइसेंस को हस्तांतरणीय नहीं बनाया गया था। हम यह नहीं देखते कि ये दोनों तथ्य विपरीत इरादे का संकेत कैसे देते हैं। यदि विक्रेता स्वयं एक स्टीमर किराए पर लेता है, जब उसके द्वारा खरीदा गया माल जहाज में लादा जाता है, तो माल में संपत्ति उसके पास चली जाती है और इसलिए वह उसे सरकार को बेचने की स्थिति में होता है। इस तथ्य का कि लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं था, सरकार को दिए जाने वाले माल की संपत्ति से कोई संबंध नहीं है।
15. सभी पूर्वगामी कारणों से हम मानते हैं कि माल में संपत्ति भारत सरकार को तब दी गई जब शिपिंग दस्तावेज भुगतान के बदले उन्हें वितरित किए गए थे। यह इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता द्वारा सरकार को माल की बिक्री

भारत तब हुआ जब माल गहरे समुद्र में था।

16. ऐसा होने पर, विचाराधीन बिक्री भारत में आयात के दौरान हुई होनी चाहिए और इसलिए उन्हें कला के तहत बिक्री कर से छूट दी जाएगी। 286 (1) ((ख) संविधान का।

22.2 . निर्णय पर और विस्तार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

शनमुघा विलास काजू कारखाने (उपर्युक्त) के मामले में, जिस पर, जैसा कि देखा गया था, जे. वी. गोकल एंड कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में विस्तार से विचार किया गया था। हालांकि, अपीलार्थी की ओर से उद्धृत और आयात से जुड़े कई लेनदेन से संबंधित एक अन्य निर्णय उड़ीसा है।

खनिज और धातुओं (उपरोक्त) के मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस मामले में तथ्य यह था कि अपीलार्थी, भारत सरकार

उपक्रम, खनिजों और धातुओं के आयात और निर्यात के लिए एक नहर बनाने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहा था। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने अपीलार्थी से 15,000 मीट्रिक टन टिन मिल ब्लैक प्लेट कॉइल के आयात को पंजीकृत करने का अनुरोध किया। 14.07.1991 पर, सेल ने निर्यातक, मेसर्स के पक्ष में सीधे ऋण पत्र खोला। सैमसंग कंपनी लिमिटेड, सियोल, दक्षिण कोरिया। उसमें प्रेषक को सेल के रूप में दिखाया गया था। 02.08.1991 पर, अपीलार्थी ने सेल के लिए और उसकी ओर से निर्यातक को एक खरीद आदेश दिया। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने सेल को उसके खरीद आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए लिखा और कहा कि वे बैंकर द्वारा दस्तावेजों का भुगतान करने के बाद प्रेषण दस्तावेजों के समर्थन और हस्तांतरण द्वारा उच्च समुद्रों में वितरण की व्यवस्था करेंगे। 23.10.1991 पर, अपीलार्थी ने सेल को अपना चालान भेजा, उस राशि को समायोजित करते हुए जो सेल द्वारा अपने बैंकरों के माध्यम से पहले ही भुगतान की जा चुकी थी। 28.10.1991 पर, अपीलार्थी ने सेल को लिखा कि यह एम/एस वेलांकी फ्रेम बनाम काम करता है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

सेल को उक्त कुंडलियों की उच्च समुद्र बिक्री करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, लेडिंग के मूल बिल सहित दस्तावेजों को, उचित समर्थन के साथ, उक्त कुंडलियों को साफ करने के लिए सेल को भेजा गया था। उसी दिन, अपीलार्थी ने सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर, पारादीप बंदरगाह, कटक को लिखा कि उक्त कॉइल अपीलार्थी द्वारा आयात किए गए थे और सेल को समुद्र के उच्च स्तर के आधार पर बेचे गए थे और सेल प्रवेश के बिल को संसाधित करेगा और सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। जहाज 11.11.1991 पर पारादीप बंदरगाह पर पहुँचा। फिर, 18.11.1991 पर, उक्त कुंडलियों के संबंध में प्रविष्टि का बिल सेल द्वारा प्रस्तुत और संसाधित किया गया था। हालाँकि, 31.12.1994 पर, बिक्री कर अधिकारी ने उपरोक्त बिक्री पर बिक्री कर लगाया, जबकि इसे अस्वीकार कर दिया

अपीलार्थी का मामला कि कोई बिक्री कर देय नहीं था, यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 (2) द्वारा कवर किए गए आयात के दौरान एक बिक्री है। बिक्री कर अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि दो बिक्री हुई थी, एक निर्यातक और अपीलार्थी के बीच और दूसरी अपीलार्थी और सेल के बीच; और सेल को बिक्री आयात का कारण नहीं थी। अपीलार्थी द्वारा पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड को एक और बिक्री की गई थी, जिसके तथ्य समान थे। अपीलार्थी का

उपरोक्त बिक्री पर बिक्री कर लगाने की चुनौती उच्च न्यायालय में विफल रही और इसलिए, मामला इस न्यायालय के समक्ष था। 22.2. 1 . प्रासंगिक संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ जे. वी. गोकल एंड कंपनी (उपरोक्त) में निर्णय पर ध्यान देने के बाद, यह न्यायालय

उन्होंने इस प्रकार कहा:

यह माल के हस्तांतरण के रूप में कार्य करता है। बिल की डिलीवरी माल के तैरने के दौरान लेडिंग डिलीवरी के बराबर है

माल स्वयं "।

22.2. 2 . न्यायालय ने मामले के तथ्यों की जांच की और विचाराधीन बिक्री को निम्नलिखित में आयात के क्रम में माना। शब्द:

" 9. दस्तावेजों पर आधारित तथ्यों से पता चलता है कि माल ढुलाई बिल का समर्थन सेल के पक्ष में किया गया था, जबकि

उक्त कुंडलियों की खेप अभी भी गहरे समुद्र में थी। इसलिए, बिक्री भारत के क्षेत्र में उक्त कुंडलियों के आयात के दौरान एक बिक्री थी; यह पारादीप बंदरगाह पर सीमा शुल्क स्टेशन की सीमा को पार करने से पहले उक्त कुंडलियों को दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा प्रभावित किया गया था। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड को बेचे जाने वाले सामानों के संबंध में स्थिति समान होगी।

21] 3 एस सी आर।

22.3 . अपीलकर्ताओं ने एंबी कॉर्पोरेशन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 और 5 में 'वस्तुओं की आवाजाही के लिए बिक्री' और 'वस्तुओं के आयात के लिए बिक्री' शब्दों का एक ही अर्थ है और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 में 'वस्तुओं की बिक्री' शब्दों का उपयोग और बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 (2) में 'बिक्री अनुबंध' शब्दों का एक ही अर्थ दिया गया था, जो सामान्य कानून में बिक्री के अर्थ से बहुत अधिक व्यापक है। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 2 (जी) में प्रासंगिक समय पर बिक्री की परिभाषा की जांच की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 6. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन पर, यहाँ विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि "बिक्री अवसर आयात" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ दिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों से यह लगभग तय हो गया है कि अभिव्यक्ति "बिक्री अवसर आयात" की व्याख्या उसी तरीके से की जानी चाहिए जिसमें अभिव्यक्ति "के आंदोलन का अवसर देती है

अधिनियम की धारा 3 (ए) में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त हुआ है।

व्याख्या। दूसरे शब्दों में, "बिक्री अवसर आयात" अभिव्यक्ति को वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो अदालतों द्वारा "वस्तुओं की आवाजाही के अवसर" अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ है। संविधान पीठ के फैसलों से उभरी उपरोक्त तय कानूनी स्थिति के आलोक में, अब हम अर्थ की जांच करेंगे।

अधिनियम में परिभाषित "बिक्री" का। अधिनियम की धारा 2 (जी) परिभाषित करती है

" बिक्री "इस प्रकार:

2 (छ) 'बिक्री', इसके व्याकरणिक बदलावों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के साथ, एक व्यक्ति द्वारा नकदी या विलंबित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान विचार के लिए माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण, और इसमें किराए पर माल का हस्तांतरण या भुगतान की अन्य प्रणाली शामिल है।

किश्तें, लेकिन इसमें माल का बंधक या परिकल्पना या शुल्क या गिरवी शामिल नहीं है;

7. अधिनियम में "बिक्री" की उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि "बिक्री" शब्द को बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है ताकि इसमें शामिल किया जा सके। न केवल माल की बिक्री, बल्कि लेन-देन भी, अर्थात्, किराया-खरीद प्रणाली पर माल का हस्तांतरण। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3 में "माल की बिक्री" शब्दों का उपयोग और अधिनियम की धारा 4 (2) में आने वाले "बिक्री अनुबंध" शब्दों का वही अर्थ निर्धारित किया गया है जो इसके अर्थ से अधिक व्यापक है।

सामान्य कानून में बिक्री। ऐसी स्थिति में "बिक्री" शब्द ने एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स v को परिभाषित किया।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

माल की आवाजाही का समय और बाद में होता है। यह अधिनियम की धारा 3 (ए) की व्याख्या यदि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) पर लागू होती है, तो इसका मतलब होगा कि यदि बिक्री के लिए कोई समझौता है।

यह निर्धारित करता है कि माल का आयात या माल का आयात बिक्री के अनुबंध की घटना है और माल आयात धारा में प्रवेश कर चुका है, ऐसा आयात यह "सेल इवेंट्स इम्पोर्ट" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। में

वर्तमान मामले में, कार्बामाइट का आयात प्रत्यक्ष परिणाम है

बिक्री का अनुबंध और इस तरह से इसे वर्तमान मामले में सुरक्षित रूप से आयोजित किया जा सकता है कि बिक्री ने आयात को अवसर दिया है।

22.3. 1 . एम्बी निगम के उक्त मामले में, प्रतिवादी/निर्धारिती, जो रसायन खरीदने और बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ था, ने आपूर्ति महानिदेशक के निविदा के निमंत्रण का जवाब दिया और

कार्बामाइट की आपूर्ति के लिए निपटान (डीजीएस एंड डी)। की निविदा

प्रतिवादी को डी. जी. एस. एंड डी. द्वारा कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि अनुबंधित सामग्री का निरीक्षण बॉम्बे बंदरगाह पर मुख्य निरीक्षक, C.I.M.E, किर्की, पुणे और जनरल द्वारा किया जाएगा।

प्रबंधक, कॉर्डाइट फैक्ट्री, अरुवनकाडु को इंडेंटर के रूप में उल्लेख किया गया था। प्रत्यर्थी ने जर्मनी के आपूर्तिकर्ता के नाम का उल्लेख किया जिससे सामग्री का आयात किया जाना था और जिसके लिए, आयात किया जाना था।

अनुशंसा प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। आवश्यक आयात अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके बाद प्राधिकरण

संबंधित ने इस शर्त के साथ आवश्यक लाइसेंस जारी किया कि आयातित माल का उपयोग डीजीएस एंड डी के पत्र में निर्धारित तरीके से किया जाएगा और आयातित सामग्री का उपयोग या निपटान [2021] 3 एस. सी. आर. में नहीं किया जाएगा।

किसी अन्य तरीके से। डी. जी. एस. एंड डी. ने आवश्यक अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। लदान के बिल में, प्रतिवादी का नाम अधिसूचित किए जाने वाले पक्ष के रूप में दिखाया गया था और महाप्रबंधक, कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवनकाडु को कार्बामाइट के मालवाहक के रूप में वर्णित किया गया था। खेप के आने के बाद, उसे अनुबंध में नामित माल प्राप्तकर्ता को भेज दिया गया था। एक बार जब डी. जी. एस. एंड डी. को माल की आपूर्ति की गई, तो प्रतिवादी ने इस आधार पर बिक्री कर से छूट का दावा किया कि अनुबंध के तहत आपूर्ति भारत में माल के आयात के दौरान एक बिक्री थी। प्रतिवादी की याचिका को विभाग और न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि दो बिक्री हुई: एक प्रत्यर्थी और डीजीएस एंड डी के बीच और दूसरा विदेशी आपूर्तिकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच; और यह कि बिक्री ने सामग्री के आयात का अवसर दिया था, जो सीएसटी अधिनियम के तहत बिक्री कर से छूट के लिए उत्तरदायी था। अपील में, इस न्यायालय ने राज्य की अपील को खारिज करते हुए यह विचार रखा कि अधिनियम की धारा 5 (2) में आने वाली "बिक्री अवसर आयात" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय, यह आवश्यक नहीं था कि एक पूर्ण बिक्री आयात से पहले होनी चाहिए।

22.4 . टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (उपरोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ता

वे लोहा और इस्पात के सामान के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए थे और बिहार राज्य के जमशेदपुर में उनका कारखाना था और पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता में मुख्य बिक्री कार्यालय था। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार बिक्री कर अधिनियम के तहत और पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत भी विक्रेता के रूप में पंजीकृत। इस अवधि के लिए

याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रीय बिक्री कर के लिए उत्तरदायी बिक्री के संबंध में सकल कर योग्य कारोबार का खुलासा करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, ल्योंस रेंज, कलकत्ता को कर योग्य बिक्री का अपना विवरण प्रस्तुत किया। उक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी ने याचिकाकर्ता को निर्धारण अवधि के लिए जमशेदपुर से बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, "जिन दस्तावेजों से संबंधित पश्चिम बंगाल में हस्तांतरण किया गया था या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 (बी) के तहत पश्चिम बंगाल में हुई किसी अन्य बिक्री का विवरण"। याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 30.09.1959 के पत्र में कर अधिकारी को सूचित किया कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जमशेदपुर से की गई बिक्री के विवरण को पेश करने की मांग अधिकार क्षेत्र के बिना थी, जबकि यह तर्क देते हुए कि "जमशेदपुर से सभी बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 (ए) में उल्लिखित प्रकार की थी और साथ ही, उनमें से कुछ अधिनियम की धारा 3 (बी) में उल्लिखित श्रेणी के भीतर भी आती हैं"; कि भले ही बिक्री "अधिनियम की धारा 3 (बी) में उल्लिखित प्रकार की थी, लेकिन उस स्थान का उपयुक्त राज्य मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

केंद्रीय बिक्री कर को ऐसी बिक्री; और यह कि जमशेदपुर से अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में, बिक्री का स्थान हमेशा बिहार राज्य था क्योंकि माल या तो बिक्री के अनुबंध के समय या अनुबंध के विनियोग के समय बिहार में था। हालांकि, कर अधिकारी ने सकल कारोबार पर 'सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन' करने के लिए आगे बढ़ते हुए विवादित बिक्री को भी शामिल किया, जिसका लेखा-जोखा बिक्री कर अधिकारी, जमशेदपुर के पास दाखिल विवरणी में था। अतः उक्त मामले में, याचिकाकर्ता कंपनी ने बिहार बिक्री कर प्राधिकरणों के समक्ष मूल्यांकन कार्यवाही में शामिल बिक्री के संबंध में केंद्रीय बिक्री कर की वसूली के लिए कलकत्ता में कर अधिकारी के प्रस्ताव से व्यथित महसूस किया। दी गई पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 के दायरे को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया:

" 18. इसलिए, हमारे विचार में, धारा 3 के खंड (बी) के भीतर ऐसी बिक्री शामिल है जिसमें माल में संपत्ति इस अवधि के दौरान गुजरती है -

स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही: धारा 3 के खंड (ए) में खंड (बी) में शामिल बिक्री के अलावा अन्य बिक्री शामिल है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही एक वाचा का परिणाम है या

बिक्री अनुबंध की घटना, और माल पास में संपत्ति

किसी भी राज्य में "

इस न्यायालय ने कलकत्ता में कर अधिकारी की ओर से त्रुटि की ओर इशारा किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

धारा 3 (बी), और (2) वह स्थान जहाँ कंपनी द्वारा अपने मुख्य बिक्री कार्यालय के माध्यम से दस्तावेज़ वितरित किए जाते हैं क्रेता वह स्थान है जहाँ बिक्री की जाती है। इनमें से कोई भी

अनुमान सही हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी को, हमारे निर्णय में, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कर के भुगतान का आदेश देने से पहले यह पता लगाना था कि क्या वह सामग्री पर था

(क) स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण के समय माल बिहार राज्य से पश्चिम बंगाल राज्य में आवाजाही में था, (ख) जिस स्थान पर बिक्री की गई थी वह [2021] 3 एस. सी. आर. था।

पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर धारा 4, खंड (2) के तहत। वाणिज्यिक कर अधिकारी, हमारे विचार में, सही परीक्षणों को लागू करने में विफल रहा है और ऐसी धारणाएं की हैं जो आवश्यक नहीं हैं और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों की सही व्याख्या पर, मूल्यांकन का आदेश अपने चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि का खुलासा करता है और मूल्यांकन को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र का एक रिट जारी करना चाहिए। बिक्री के लेन-देन के संबंध में कंपनी का पुनर्मूल्यांकन करना पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर अधिकारी का काम होगा।

आवेदन द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर उचित रूप से कर योग्य

परीक्षण जो हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। 22.5 . अपीलार्थी के विद्वान वकील ने भी भरोसा करने का प्रयास किया है

होटल अशोक (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर, जो इस तथ्य की स्थिति में प्रस्तुत किया गया था कि माल को बंधुआ गोदाम में रखा गया था और बिक्री के लिए शुल्क मुक्त दुकानों में उपलब्ध कराया गया था। इस न्यायालय ने राय दी कि चूंकि माल की आपूर्ति शुल्क-मुक्त की गई थी बिक्री के लिए बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित दुकानें, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त माल ने भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार कर लिया था। अदालत ने अंत में अपीलकर्ताओं के इस दावे का जवाब इस निष्कर्ष पर दिया कि शराब, सिगरेट, इत्र और खाद्य पदार्थ बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर "शुल्क मुक्त दुकानों" पर बेचे गए थे, जिसके लिए अपीलकर्ताओं द्वारा कोई कर देय नहीं था क्योंकि शुल्क मुक्त दुकानों पर बेचा गया माल सीधे यात्रियों को बेचा गया था और यहां तक कि माल की डिलीवरी भी माल के आयात से पहले या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमा पार करने से पहले शुल्क मुक्त दुकानों पर हुई थी। अतः उक्त निर्णय में विचार किया गया मुद्दा यह था कि क्या बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री पर बिक्री कर लगेगा।

23. आगे बढ़ने से पहले, हम उपरोक्त निर्णयों की प्रासंगिक विशेषताओं के साथ-साथ इसमें शामिल प्रश्नों को भी देख सकते हैं।

वर्तमान मामला।

23.1 . होटल अशोक (ऊपर) के मामले में मूल सवाल यह था कि क्या शुल्क मुक्त दुकानों पर बिक्री पर शुल्क लगेगा

बिक्री कर। जैसा कि पहले देखा गया है, "सीमा शुल्क स्टेशन" की परिभाषा स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित सीमा शुल्क हवाई अड्डे को संदर्भित करती है। चूंकि शुल्क-मुक्त दुकान हवाई अड्डे के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए शुल्क-मुक्त दुकान पर माल की बिक्री इस दौरान हुई मानी गई थी भारत के क्षेत्र में और भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले माल का आयात। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी आरोप लगाता है कि मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स v.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

बिक्री भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने से पहले उच्च समुद्रों पर हुई थी, जबकि विभाग का तर्क है कि बिक्री में

प्रश्न तब हुआ जब अपीलार्थी ने घर के उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल किया था और माल को बंधुआ गोदाम से बाहर निकाला गया था। यह स्पष्ट है कि शुल्क मुक्त दुकानों पर माल की बिक्री से संबंधित होटल अशोक (उपरोक्त) में निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता। पश्चिम बंगाल राज्य में जिस पर कर लगाने की मांग की गई थी, वह वह बिक्री थी जिसमें उस राज्य में स्वामित्व के दस्तावेज इस धारणा पर सौंपे गए थे कि पश्चिम बंगाल के पक्षों के पक्ष में की गई बिक्री सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (बी) द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती है और वह स्थान जहां कंपनी द्वारा खरीदार को दस्तावेज वितरित किए गए थे, वह स्थान था जहां बिक्री की गई थी। सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 के संचालन के संबंध में उक्त मामले में दिए गए उद्धरणों पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे शायद ही हों। वर्तमान मामले में शामिल वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए कोई भी मार्गदर्शन प्रदान करें। इसी प्रकार, निगम (उपर्युक्त) की धारा 3 और धारा 5 में क्रमशः "वस्तुओं की आवाजाही के लिए बिक्री" और "वस्तुओं के आयात के लिए बिक्री" के बारे में टिप्पणियाँ दी गई हैं।

सी. एस. टी. अधिनियम का वही अर्थ है जो बहुत विवाद का विषय नहीं है। अन्य टिप्पणियां, कि अधिनियम की धारा 5 (2) में आने वाली "बिक्री अवसर आयात" अभिव्यक्ति की व्याख्या करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक पूर्ण बिक्री आयात से पहले होनी चाहिए, उनका निहितार्थ केवल तभी होगा जब विचाराधीन लेनदेन में पक्षों के लेन-देन की प्रकृति और माल की आवाजाही के प्रभाव की जांच की जाएगी। 23.2 . यह हमें खनिज और धातु (उड़ीसा मामला) और जे. वी. गोकल एंड कंपनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसलों की ओर ले जाता है।

23.2. 1 . जैसा कि देखा गया है, खनिज और धातुओं (उड़ीसा मामले) के मामले में, अपीलकर्ता, भारत सरकार का एक उपक्रम, खनिजों के आयात और निर्यात के लिए नहर बनाने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहा था। यह था।

ऐसी क्षमता में कि अपीलार्थी से सेल द्वारा अनुरोध किया गया था कि वह संबंधित माल का आयात सुनिश्चित करे और अपीलार्थी ने तदनुसार कार्यवाही शुरू की। पक्षों के लेन-देन से यह स्पष्ट हो गया कि अपीलकर्ता ने [2021] 3 एस. सी. आर. के बिल पर समर्थन करके समुद्र में सेल को माल बेचा था।

लेडिंग। इस तथ्य के बारे में बंदरगाह अधिकारियों को भी विधिवत सूचित कर दिया गया था। विशेष रूप से, जब पोत गंतव्य के बंदरगाह पर पहुंचा, तो माल के संबंध में प्रवेश का बिल अंतिम खरीदार सेल द्वारा प्रस्तुत और संसाधित किया गया था। इस न्यायालय ने विशेष रूप से पाया कि माल के बिल का समर्थन सेल के पक्ष में किया गया था, जबकि माल की खेप अभी भी गहरे समुद्र में थी। यह तथ्य के ऐसे निष्कर्षों पर था कि बिक्री में प्रश्न को आयात के क्रम में एक बिक्री माना जाता था और भारत की सीमा शुल्क सीमाओं की सीमा को पार करने से पहले माल के हस्तांतरण (लदान का बिल) द्वारा प्रभावित किया जाता था।

23.2. 2 . जे. वी. गोकल एंड कंपनी (ऊपर) में घोषित कानून है कि माल का बिल माल का प्रतिनिधित्व करता है और इसका हस्तांतरण माल के हस्तांतरण के रूप में संचालित होता है।

और माल के बहते समय माल के बिल का वितरण माल के वितरण के बराबर है (जैसा कि इस न्यायालय द्वारा खनिज और धातुओं में विधिवत लागू किया गया है) इसमें कोई संदेह नहीं है और न ही यह बहस का विषय हो सकता है। हालांकि, जे. वी. गोकल एंड कंपनी के उक्त मामले में भी, तथ्यों के आधार पर, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने सरकार के साथ पहले के अनुबंध के अनुसार, माल ढुलाई के बिल सहित शिपिंग दस्तावेजों को कंपनी को सौंप दिया। जब माल समुद्र में था तो भुगतान के खिलाफ सरकार। यह भी देखा गया कि माल के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद, उन्हें आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद सरकार (अंतिम खरीदार) द्वारा उतार दिया गया, डिलीवरी ली गई और मंजूरी दे दी गई। महत्वपूर्ण रूप से, जे. V.Gokal एंड कंपनी में, संविधान पीठ ने अनुबंध की शर्तों की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने उन पक्षों के किसी इरादे का खुलासा किया है जो

ऐसा था कि अंतिम खरीदार के साथ पिछले अनुबंध के अनुसार, संबंधित विक्रेता ने माल के आयात की व्यवस्था की; और अंतिम खरीदार के पक्ष में माल में संपत्ति को बिल के समर्थन से स्थानांतरित कर दिया। जब माल समुद्र में चढ़ाया जा रहा था। इनके साथ, एक और आम विशेषता यह थी कि उन दोनों मामलों में, गंतव्य के बंदरगाह पर पहुंचने पर, आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद अंतिम खरीदार द्वारा माल की डिलीवरी ली जाती थी और उसे मंजूरी दे दी जाती थी।

उनमें एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स वी था। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

वर्तमान जैसे मामले नहीं हैं जहां विक्रेता ने कथित रूप से एक मध्यस्थ के रूप में काम किया और जब माल समुद्र में था तो माल के बिल के कथित हस्तांतरण के बाद भी, गंतव्य के बंदरगाह पर घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दायर किया और माल को सीमा शुल्क से मुक्त कराया। 24. इस प्रकार उद्धृत निर्णयों के अलावा, 'आयात के दौरान बिक्री' की बारीकियों को समझने के लिए

मध्यस्थ, हम के. गोपीनाथन नायर और अन्य के मामले पर ध्यान दे सकते हैं। वी. केरल राज्यः (1997) 10 एस. एस. सी. 1 जिसमें, विभिन्न संविधान पीठ के फैसलों के विस्तृत संदर्भ के बाद, इस न्यायालय ने

यह निर्धारित करने के लिए गणना किए जाने वाले कारकों पर व्याख्या की गई कि क्या कोई विशेष बिक्री या खरीद आयात के दौरान हुई मानी जा सकती है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि इस मामले में निर्णय

के. गोपीनाथन नायर इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ में थे, जहाँ विद्वान न्यायाधीश इस सवाल पर अपने विचारों में भिन्न थे कि क्या विचाराधीन लेन-देन आयात के क्रम में थे और इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत प्रतिरक्षित थे। हम इस निर्णय और इसके तथ्यात्मक ढांचे पर विभिन्न विचारों के निहितार्थ का उल्लेख करेंगे

इस निर्णय के बाद के भाग में वर्तमान मामला। वर्तमान में, हम बहुमत के निर्णय के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, जो इस प्रश्न के निर्धारण के लिए बुनियादी कारकों को चित्रित करते हैं कि क्या कोई विशेष बिक्री आयात के क्रम में थी या नहीं, जैसे - इसके अंतर्गतः

" 14. इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों से उभरी उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में निम्नलिखित

प्रस्ताव स्पष्ट रूप से यह तय करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि क्या

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2) द्वारा निर्धारित वस्तुओं की संबंधित बिक्री या खरीद को आयात के दौरान माना जा सकता हैः (1) बिक्री या खरीद, जैसा भी मामला हो, वास्तव में होनी चाहिए।

हो जाता है।

(2) भारत में इस तरह की बिक्री या खरीद अपने आप में इस तरह के आयात का कारण बननी चाहिए, न कि इसके विपरीत यानी आयात को इस तरह की बिक्री का कारण नहीं बनना चाहिए।

(3) माल आयात धारा में तब प्रवेश किया होगा जब वे

बिक्री या खरीद के अधीन हैं।

(4) संबंधित वस्तुओं का आयात संबंधित बिक्री या खरीद लेनदेन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में किया जाना चाहिए।

(5) आयात की प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक कि

एक-दूसरे से जुड़े दो लेन-देन।
(7) एक बिक्री या खरीद को आयात के क्रम में माना जा सकता है यदि भारतीय आयातक और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध की प्रत्यक्ष गोपनीयता है और मध्यस्थ जिसके माध्यम से ऐसा आयात किया जाता है, केवल एक एजेंट या ठेकेदार के रूप में कार्य करता है और

भारतीय आयातक की ओर से।

(8) सार में लेन-देन ऐसा होना चाहिए कि नहर बनाने वाली एजेंसी या मध्यस्थ एजेंसी जिसके माध्यम से आयात भारत में किया जाता है ताकि अंतिम स्थानीय उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सके।

केवल एक नाम ऋणदाता के रूप में जिसके माध्यम से वह स्थानीय आयातक है

सह-स्थानीय उपयोगकर्ता जो मास्करेड करता है "।

25. उपरोक्त सिद्धांत स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले पर लागू होंगे; और यदि इस प्रकार बताए गए कारकों का उत्तर इसके पक्ष में दिया जाता है

अपीलार्थी, इसे आयात के क्रम में बिक्री का विषय माना जा सकता है। 26. मामले को उपरोक्त कारकों के चार कोनों के भीतर लाने के लिए, अपीलार्थी ने चतुर्भुज के अस्तित्व का सुझाव दिया है।

समझौता जिसके तहत और जिसके तहत, आपूर्तिकर्ता (पक्ष संख्या 1) ने पहले खरीदार (पक्ष संख्या 2) को माल बेचा और वितरित किया

उन्हें शिपमेंट के बंदरगाह पर। इसके बाद, जब माल समुद्र में था, तब पक्ष संख्या 2 ने अपीलार्थी के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन करके उन्हें अपीलार्थी (इन लेन-देनों में निश्चित रूप से पक्ष संख्या 3) को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा और जब माल अभी भी समुद्र में था, अपीलार्थी ने कथित तौर पर उन्हें अंतिम खरीदार (पक्ष संख्या 4) को अंतिम खरीदार के पक्ष में लेडिंग बिल का समर्थन करके स्थानांतरित कर दिया।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स वी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

अपीलार्थी ने यह भी सुझाव दिया है कि हालांकि माल अंतिम खरीदार द्वारा खरीदा जा रहा था और अंतिम खरीदार द्वारा निरीक्षण और चयन के बाद ही स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन इस तरह के चतुर्भुज समझौते की कार्यप्रणाली

इसे इन कारणों से अपनाया गया था कि अंतिम खरीदार के पास माल का आयात करने के लिए 'आवश्यक बुनियादी ढांचा' नहीं था, जबकि अपीलार्थी के पास आयात के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा था और पहले खरीदार के पास विक्रेता के साथ ऋण सुविधा थी। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि अनुबंध की गोपनीयता हमेशा बनी रहती है।

विक्रेता और अंतिम खरीदार के बीच; और यह कि अपीलार्थी को अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में कार्य करना था और सीमा शुल्क अधिकारियों से माल को साफ़ करना था। अपीलार्थी ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रत्येक लेन-देन में, प्रक्रिया को चतुर्भुज समझौते में परिकल्पना के अनुसार और इस तरीके से किया गया था कि पहले खरीदार ने बिल का समर्थन किया था। जब माल समुद्र में था तब अपीलार्थी के पक्ष में लदान करते हुए; और जब माल समुद्र में बना रहता था और भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार नहीं करता था, तब भी अपीलार्थी ने अंतिम खरीदार के पक्ष में लदान के बिल का समर्थन किया। इन सुझावों के अनुसार, अपीलार्थी ने विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क बंदरगाह से माल की निकासी कराते समय केवल अंतिम खरीदार के एजेंट के रूप में काम किया।

26.1 . तथापि, अपीलार्थी द्वारा दिए गए सुझाव उतने हानिरहित और अति-सरलीकृत नहीं रहते हैं जितना कि अनुमान लगाया गया है, क्योंकि प्रत्येक में

इन लेन-देनों में से, जब विचाराधीन माल विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर पहुँचा, तो अपीलार्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा परिकल्पित कार्यवाही को अंजाम दिया और भंडारण के लिए एक प्रविष्टि बिल दायर किया और उसके बाद, घर के उपभोग के लिए एक और प्रविष्टि बिल (एक्स-बॉन्ड) दायर किया; और ऐसे प्रवेश बिलों के आधार पर, अपीलार्थी का सीमा शुल्क के लिए विधिवत मूल्यांकन किया गया। मान लीजिए, घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दिए जाने के बाद, वे आंध्र प्रदेश राज्य से विभिन्न राज्यों में चले गए, जहां संबंधित खरीदार स्थित थे और अपीलार्थी ने अंत में खरीदारों के डेबिट नोट उठाए। इन लेन-देनों में, गंतव्य के बंदरगाह पर पहुंचने पर, खरीदारों को आवश्यक सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद अंत तक मंजूरी नहीं दी गई थी, जैसा कि जे. वी. गोकल एंड कंपनी के मामले में और उड़ीसा में भी खनिज और धातुओं (उपरोक्त) के मामले में तथ्य स्थिति रही थी। प्रासंगिक प्रश्न की जांच करते समय क्या अपीलार्थी ने केवल एक मध्यस्थ या नाम-ऋणदाता के रूप में कार्य किया जिसके माध्यम से आयात किया गया था और केवल उसके लिए और उसकी ओर से एक एजेंट के रूप में कार्य किया था।

भारतीय आयातक अर्थात अंतिम खरीदार, वर्तमान मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन माल के संबंध में, केवल अपीलार्थी ने भंडारण के लिए प्रविष्टि बिल और [2021] 3 एस. सी. आर. का बिल भी दायर किया था।

घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश और सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था और आगे यह कि सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष, इस बात का कोई सुझाव नहीं था कि विचाराधीन माल पहले से ही, उच्च समुद्रों पर, कथित वास्तविक आयातक को स्थानांतरित कर दिया गया था। जाहिर है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, विशाखापत्तनम में सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष अपीलार्थी के घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने के व्यवहार के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करनाः

प्रभाव

27. जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क की जांच की कि प्रवेश के बिल दाखिल करते समय, अपीलार्थी ने केवल अंतिम खरीदारों के एजेंट के रूप में काम किया था और इसे अस्वीकार कर दिया था, प्रवेश के बिलों की सामग्री के संदर्भ में जहां अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में दिखाया गया था और अंतिम खरीदारों का कोई संदर्भ नहीं था; साथ ही इन तथ्यों के संदर्भ में भी कि केवल अपीलार्थी ही आयातक था जिसने घर के उपभोग के लिए प्रवेश के बिल दायर किए थे और सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था और यह कि आई. जी. एम. में अंतिम खरीदारों के नाम शामिल नहीं थे।

27.1 . उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की समावेशी परिभाषा का उपयोग आयातक की पहचान को उस व्यक्ति से छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है जिसने सीमा शुल्क का बिल दाखिल किया था।

प्रविष्टि; और वह व्यक्ति जिसके नाम पर प्रविष्टि का बिल दाखिल किया गया है, आयातक बनना बंद नहीं करता है। इस मामले में, अपीलार्थी का नाम उस पोत/पोत के आयात सामान्य घोषणापत्र में आयातक के रूप में परिलक्षित किया गया था जो विशाखापत्तनम में बंदरगाह पर माल लाता था। उच्च न्यायालय ने एक पोत में माल के रूप में माल के आगमन से संबंधित पूरी प्रक्रिया की सावधानीपूर्वक जांच की है; और आई. जी. एम. दाखिल करने के साथ-साथ प्रवेश पत्र की सामग्री की भी जांच की है और बताया है कि माल घोषणा प्रपत्र, जो आई. जी. एम. का एक आवश्यक हिस्सा है, को अन्य बातों के अलावा, माल के बिल और माल भेजने वाले/आयातक के नाम का विवरण ले जाना आवश्यक था। यह पता लगाने के बाद कि अपीलार्थी का नाम आई. जी. एम. में आयातक के रूप में परिलक्षित हुआ था, उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कथित दूसरी उच्च समुद्र बिक्री हुई होती, तो आई. जी. एम. ने आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्र बिक्री खरीदार का नाम दर्शाया होता और यदि कोई वास्तविक था

इसे छोड़कर, आई. जी. एम. को संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि समुद्र में माल का केवल अंतिम खरीदार ही आयातक/प्रेषक हो सकता था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि कोई सामग्री एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम नहीं थी।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

यह दिखाने के लिए कि या तो आई. जी. एम. में आयातक/प्रेषक के रूप में अंतिम खरीदार का नाम था या बाद में उसमें संशोधन किया गया था

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 (3) के संदर्भ में। ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण उच्च न्यायालय ने अंतिम खरीदारों के पक्ष में दूसरे उच्च समुद्र बिक्री के सुझाव को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलार्थी का एकमात्र प्रयास सी. एस. टी. अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री से बचना था। दिए गए तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इन निष्कर्षों को दर्ज किया कि अपीलकर्ता द्वारा अंत तक माल की बिक्री-खरीदार उच्च समुद्री बिक्री नहीं थी; और ऐसी बिक्री केवल तभी प्रभावित हो सकती थी जब अपीलकर्ता को सीमा शुल्क का आकलन किया गया था और घरेलू उपभोग के लिए माल को मंजूरी दे दी गई थी।

28. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों पर काबू पाने के लिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने संपत राज डुगर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि सीमा शुल्क अधिनियम में आयातक की परिभाषा केवल उस व्यक्ति को इंगित करती है जो उच्च न्यायालय में है।

प्रवेश पत्र दाखिल करते समय माल का कब्जा, लेकिन माल के स्वामित्व का संकेत नहीं देता है; और यह कि बिक्री कब होती है और माल का मालिक कौन है, इस बारे में प्रश्न केवल माल बिक्री अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाएंगे, न कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत।

29. प्रस्तुतियों के इस भाग से निपटने के लिए, हम उपयोगी हो सकते हैं

धारा 2 के खंड (23), (24), (25) और (26) में प्रासंगिक परिभाषाओं के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 और 47 (1) में अन्य प्रावधानों पर भी ध्यान दें, जो प्रासंगिक समय पर लागू और प्रभावी हैं।

(24) " आयात मैनिफेस्ट "1 6 या" आयात रिपोर्ट "का अर्थ है धारा 30 के तहत वितरित करने के लिए आवश्यक मैनिफेस्ट या रिपोर्ट;
(25) " आयातित माल "से भारत में लाया गया कोई भी माल अभिप्रेत है।

भारत के बाहर स्थित है लेकिन इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल नहीं हैं जो

घरेलू उपभोग के लिए साफ किया गया;
(26) " आयातक ", उनके बीच किसी भी समय किसी भी माल के संबंध में

आयात और वह समय जब उन्हें घर के लिए साफ़ किया जाता है

16 2018 के अधिनियम 13 द्वारा "आयात प्रकटीकरण" शब्दों के स्थान पर "आगमन प्रकटीकरण या आयात प्रकटीकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपभोग में कोई भी मालिक या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खुद को आयातक मानता है।

30. आयात मैनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट की डिलीवरी।

(1) प्रभारी व्यक्ति ((i) एक पोत; या

((ख) एक विमान; या

((ग) एक वाहन,

आयातित माल या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में, किसी पोत या विमान के मामले में, पोत के आगमन से पहले उचित अधिकारी को एक आयात घोषणापत्र वितरित करेगा।

या विमान, जैसा भी मामला हो, और किसी वाहन के मामले में, सीमा शुल्क में आने के बारह घंटे के भीतर एक आयात रिपोर्ट।

(3) यदि उचित अधिकारी संतुष्ट है कि आयात मैनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट किसी भी तरह से गलत या अधूरी है, और यह कि यदि कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं था, तो वह इसे संशोधित या पूरक करने की अनुमति दे सकता है। 18

47. घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी। - (1) जहाँ उचित अधिकारी संतुष्ट हो कि कोई भी सामान घर के लिए प्रवेश किया गया है।

उपभोग निषिद्ध वस्तु नहीं है और आयातक ने उस पर निर्धारित आयात शुल्क, यदि कोई हो, और किसी भी देय शुल्क का भुगतान कर दिया है।

शब्दों के स्थान पर "कोई भी मालिक, लाभकारी मालिक" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

2017 के अधिनियम 7 द्वारा "स्वामी"।

धारा 30 में समय के साथ कई संशोधन किए गए हैं। इसमें

यह बनता है, यह नीचे लिखा है:

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर

अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

इस अधिनियम के तहत उसी के संबंध में, उचित अधिकारी घर के लिए सामान की निकासी की अनुमति देने का आदेश दें

उपभोग:

X

XX "19

XXX

XXX

30. यह स्पष्ट है कि भारत में कुछ भी लाते समय

भारत के बाहर के स्थान से आम तौर पर "आयात" माना जाता है और आयातित माल वे सामान हैं जो भारत में बाहर के स्थान से लाए जाते हैं, लेकिन जब माल को घरेलू उपभोग के लिए साफ़ कर दिया जाता है, तो वे अब सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य से आयातित सामान नहीं हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, आयात की प्रक्रिया में, किसी भी माल के संबंध में, आयातक में कोई भी मालिक या कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है जो खुद को आयातक मानता है, लेकिन केवल उनके आयात के समय और घरेलू उपभोग के लिए उनकी मंजूरी के बीच। दूसरे शब्दों में, का शुद्ध परिणाम

" 30. आगमन मैनिफेस्ट या आयात मैनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट की डिलीवरी। (1) प्रभारी व्यक्ति

((i) एक पोत; या

((ख) एक विमान; या ((ग) एक वाहन,

आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाना जो निर्दिष्ट किया जाए केंद्र सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस में

आगमन मैनिफेस्ट या आयात मैनिफेस्ट से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करके पोत या विमान का आगमन, जैसा भी मामला हो, और एक मामले में

वाहन, सीमा शुल्क में आने के बारह घंटे के भीतर एक आयात रिपोर्ट

स्टेशन, ऐसे रूप और तरीके से जो निर्धारित किया जाए और यदि आगमन प्रकट हो

या आयात मैनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट या उसके किसी भी हिस्से को नहीं भेजा जाता है

इस उप-धारा में निर्दिष्ट समय के भीतर उचित अधिकारी और यदि उचित

प्रभारी या इस उप-धारा में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसा किया देरी, पचास हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करके आयात मैनिफेस्ट, उसी को वितरित करने की अनुमति दें किसी अन्य तरीके से।

(2) आगमन मैनिफेस्ट या आयात मैनिफेस्ट या आयात देने वाला व्यक्ति

रिपोर्ट के आधार पर एक घोषणा की जाएगी और उसकी सदस्यता ली जाएगी

इसकी सामग्री की सच्चाई।

(3) यदि उचित अधिकारी संतुष्ट है कि आगमन मैनिफेस्ट या आयात मैनिफेस्ट या आयात रिपोर्ट किसी भी तरह से गलत या अधूरी है, और कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं था, तो वह इसे संशोधित या पूरक करने की अनुमति दे सकता है। 19 उप-धारा (1) के परंतुक जिन्हें बाद में अंत:स्थापित और संशोधित किया गया और साथ ही उप-धारा (2) और इसके परंतुक, जिन्हें कई बार संशोधित किया गया था, वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक नहीं होने के कारण पुनः प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

"आयातक" अभिव्यक्ति की विस्तारित परिभाषा यह है कि जबकि कोई भी व्यक्ति

31. जैसा कि देखा गया है, सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य के लिए "आयातक" शब्द के अर्थ पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा है संपत राज दुगर (ऊपर) में निर्णय पर निर्भरता। हम संपत राज दुगर के मामले के तथ्यों और अनुपात की जांच कर सकते हैं,

वर्तमान मामले में शामिल प्रश्नों पर उसमें होने वाली टिप्पणियों के निहितार्थ, यदि कोई हो, की सराहना करें।

31.1 . संपत राज दुगर (उपरोक्त) के मामले में, प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू यह था कि दूसरी प्रतिवादी सुश्री रेणु पहलाज

दिल्ली में "एक्वेरियस" के नाम और शैली में व्यापार कर रहा था। जबकि पहला प्रतिवादी, विदेश में रहने वाला एक भारतीय नागरिक, UNISILK के नाम और शैली में हांगकांग में व्यवसाय कर रहा था। दूसरे प्रतिवादी ने कच्चे रेशम के आयात के लिए 20.05.1985 पर एक अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त किया जो 18 महीने के लिए वैध था। आयात लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि आयातित कच्चा रेशम होना चाहिए

जिनका निर्यात किया जाना चाहिए, उन वस्त्रों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अक्टूबर, 1985 के महीने से कुछ समय पहले, दूसरे प्रतिवादी को हांगकांग से पहले प्रतिवादी द्वारा भेजी गई तीन खेपें मिलीं, लेकिन आयात लाइसेंस की उक्त शर्त को पूरा नहीं किया। फिर, अक्टूबर-नवंबर, 1985 के महीनों के दौरान पहले उत्तरदाता ने भारत को चार लॉट में कच्चे रेशम की कुछ मात्रा भेजी, जिसे दूसरे उत्तरदाता को दिया जाना था। आवश्यक दस्तावेजों को दूसरे प्रतिवादी के बैंकर को भुगतान प्राप्त करने पर उन्हें वितरित करने के निर्देशों के साथ भेजा गया था। हालांकि,

जब तक माल बॉम्बे पहुँचा, तब तक सीमा शुल्क अधिकारियों को उपरोक्त शर्त मेसर्स वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम का पालन न करने के बारे में पता चल गया था।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

पहले की तीन खेपों के संबंध में लाइसेंस और अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त करते समय कथित गलत निरूपण का भी। तदनुसार, सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। दूसरी ओर, दूसरा प्रत्यर्थी भुगतान करने और स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने में विफल रहा और माल को साफ़ नहीं किया। जबकि सीमा शुल्क कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही लंबित थी, उक्त अग्रिम आयात लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था, लेकिन उक्त माल के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी, जो अपनी कार्यवाही में उपस्थित हुआ, ने कलेक्टर के समक्ष तर्क दिया कि माल का अधिकार दूसरे प्रत्यर्थी को नहीं दिया गया था; कि वह अभी भी माल का मालिक था; और इसलिए, उक्त माल को जब्त नहीं किया जा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा उल्लंघन, यदि कोई हो। उन्होंने कहा कि वह पहले के आयातों के दुरुपयोग में पक्षकार नहीं थे और न ही उन्हें अग्रिम आयात लाइसेंस प्राप्त करने में दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में पता था और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें हांगकांग को माल का पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। सीमा शुल्क कलेक्टर का विचार था कि पुनः निर्यात की अनुमति इस कारण से नहीं दी जा सकती है कि अग्रिम आयात लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उन वस्तुओं की निकासी के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं है; कि माल को पुनः निर्यात करने के लिए, एक वैध आयात लाइसेंस आवश्यक था जो वहाँ नहीं था; और यह भी कि दूसरे प्रतिवादी ने माल को छोड़ दिया था। उस आधार पर, सीमा शुल्क कलेक्टर ने पहले प्रतिवादी के दावों को खारिज कर दिया और रुपये का जुर्माना लगाया। 5 उस पर लाखों।

31.2 . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, पहले प्रतिवादी, जिसने हांगकांग से माल भेजा था, ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

अदालत। सीमा शुल्क कलेक्टर और भारत संघ का मामला यह था कि दूसरे प्रतिवादी को सीमा शुल्क का मालिक माना जाना चाहिए।

आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 5 (3) (ii) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा के आधार पर खेप। वर्ष 1985-86 के लिए जारी आयात और निर्यात नीति के पैरा 26 (iv) पर भी रिलायंस को रखा गया था और यह प्रस्तुत किया गया था कि माल प्रतिवादी के कृत्यों और चूक के लिए जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आयातित कच्चे रेशम धागे से निर्मित कपड़ों के निर्यात से संबंधित शर्त का पालन न करने को देखते हुए, दूसरे प्रतिवादी ने आयात लाइसेंस के दायरे में आने वाले सभी सामानों को जब्त कर लिया था। उच्च न्यायालय,

तथापि, रिट याचिका को अनुमति दी और प्रथम प्रत्यर्थी को माल के पुनः निर्यात का निर्देश दिया। इसलिए, यह मामला इस अदालत के समक्ष अपील में था।

31.3 . उक्त के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं पर एक नंगी नज़र

मामला यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य रूप से, आयात लाइसेंस में शर्तों का प्रभाव और उसका गैर-अनुपालन उसमें विचार का विषय था; और विशेष रूप से आयात लाइसेंस का खंड 5 (3) (ii), आयातित माल को लाइसेंसधारी की संपत्ति मानते हुए, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन था कि आयातित माल को आयातक द्वारा छोड़ दिया गया था और भुगतान करके और विक्रेता द्वारा भेजे गए स्वामित्व के दस्तावेजों को प्राप्त करके सीमा शुल्क से मुक्त नहीं किया गया था।

अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त और उसके प्रभाव की जांच करते हुए, यह न्यायालय

यह देखा गया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा वास्तव में स्वामित्व के प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं थी। न्यायालय ने भी आयात लाइसेंस के उक्त खंड 5 (3) (ii) के उद्देश्य की जांच की और पाया कि विचार लाइसेंसधारक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना था।

कुछ भी और सब कुछ जो आयात के समय से लेकर सीमा शुल्क के माध्यम से माल को साफ़ करने तक होता। अदालत ने पाया कि जब लाइसेंसधारी के कहने पर माल का देश में आयात किया गया था, तो आयात (नियंत्रण) आदेश ने एक कल्पना पैदा की कि ऐसा लाइसेंसधारी होगा

आयात के समय से लेकर सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक ऐसी वस्तुओं का मालिक माना जाता है और कहा कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस कल्पना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसका उपयोग आयातित वस्तुओं के स्वामित्व के लिए आयातक को जिम्मेदार ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है।

मामला जहाँ वह उन्हें छोड़ देता है। इस न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि अन्यथा ठहराना निर्यातक को माल खोने की स्थिति में डाल देगा।

आयातक पर मूल्य और नुकसान के लिए मुकदमा करने के लिए केवल उपाय के साथ भुगतान प्राप्त किए बिना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 में टिप्पणियों और विचार के प्रासंगिक भागों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

" 19. हम पहले उक्त माल के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। यदि हम कानून के उन प्रावधानों को अलग रखते हैं जिन पर हम निर्भर हैं अपीलार्थी अर्थात। , सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26), आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) के साथ-साथ आयात-निर्यात नीति के पैरा 26 (iv) में 'आयातक' की परिभाषा, स्थिति काफी

सरल है। चूँकि प्रत्यर्थी 2 ने स्वामित्व के दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं किया और प्राप्त नहीं किया, इसलिए वह उक्त माल की मालिक नहीं बनी, जिसका अर्थ है कि प्रत्यर्थी 1 मालिक बना रहा।

उपरोक्त प्रावधानों से इसमें कोई फर्क कैसे पड़ता है?

पद? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में 'आयातक' की परिभाषा वास्तव में स्वामित्व के प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं है।

यह केवल वेलांकी फ्रेम बनाम काम करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

'आयातक' अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। उत्तरदाता 1 आयातक होने का दावा नहीं करता है। वह प्रावधान जिस पर मजबूत निर्भरता है अपीलार्थियों द्वारा इस संबंध में आयात (नियंत्रण) आदेश के खंड 5 (3) (ii) में निहित किया गया है। खंड 5 का उपखंड (1) उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें आयात लाइसेंस के साथ जोड़ा जा सकता है।

इसके अनुदान के समय। उपखंड (2) में कहा गया है कि आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस निम्न में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा: आदेश की पाँचवीं अनुसूची। उपखंड (3) में (i), (ii) और (iii) के रूप में उल्लिखित तीन अन्य शर्तें निर्धारित की गई हैं जो आदेश के तहत दिए गए प्रत्येक आयात लाइसेंस से जुड़ी होंगी। इनमें से सबसे पहले

शर्तों में कहा गया है कि आयात लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय होगा सिवाय लाइसेंस प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकरण की लिखित अनुमति के। शर्त (ii)-जो यहाँ प्रासंगिक प्रावधान है-कहता है कि जिस माल के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है, वह आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से निकासी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। हालाँकि, यह शर्त एस. टी. सी., एम. एम. टी. सी. और अन्य समान संस्थानों पर लागू नहीं होती है जिन्हें आयात के कैनैलाइजेशन का काम सौंपा गया है। यह दूसरे प्रावधान में उल्लिखित कुछ योग्य निर्यात घरानों, व्यापारिक घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों पर भी लागू नहीं होता है। शर्त (iii) में कहा गया है कि जिन वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस दिया गया है, वे नई वस्तुएँ होंगी जब तक कि इसमें अन्यथा उल्लेख न हो।

लाइसेंस। अब शर्त (ii) पर वापस आते हुए, सवाल यह है कि इसका क्या अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या है जब यह कहा जाता है कि आयातित माल आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। यह आवश्यक है। उपखंड की भाषा पर ध्यान देना। इसमें कहा गया है कि "यह ऐसे प्रत्येक लाइसेंस की एक शर्त मानी जाएगी कि -

जिस आयात का लाइसेंस दिया जाता है, वह आयात के समय और उसके बाद सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी के समय तक लाइसेंसधारी की संपत्ति होगी। आदेश जारी करने वाले नियम बनाने वाले प्राधिकरण (केंद्र सरकार) को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि कई मामलों में आयातक आयात के समय आयातित माल का मालिक नहीं होता है और यह कि वह

केवल बाद के चरण में उनका मालिक बन जाता है, यानी जब वह भुगतान करता है

और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करता है। केंद्र ने ऐसा क्यों किया

सरकार घोषणा करती है कि ऐसी वस्तुएं आयात के समय से ही लाइसेंसधारी की संपत्ति होंगी। इसकी सराहना करने के लिए, किसी को

उक्त प्रावधान में अंतर्निहित उद्देश्य का पता लगाएं। व्याख्या [2021] 3 एस. सी. आर.

प्रावधान पर रखा जाना सुसंगत होना चाहिए और

इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह भी याद रखना चाहिए कि 'संपत्ति' और 'बनियान' जैसी अभिव्यक्तियों का कोई एकल सार्वभौमिक अर्थ नहीं है। उनकी विषय-वस्तु संदर्भ के अनुसार भिन्न होती है। यह कहावत कि एक शब्द क्रिस्टल नहीं है और यह संदर्भ से अपना रंग लेता है, के मामले में भी कम सच नहीं है।

ये शब्द। हमारी राय में खंड 5 (3) में अंतर्निहित शर्त (ii) का उद्देश्य आयात (नियंत्रण) आदेश और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। विचार यह है कि लाइसेंसधारी को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए और

सब कुछ जो आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से साफ होने तक होता है। निर्यातक देश से बाहर है, जबकि आयातक, यानी लाइसेंसधारी भारत में है। इस मामले में यह

अनुज्ञप्तिधारी कि इस देश में माल का आयात किया जाता है। चाहे वह कानूनी रूप से ऐसे सामान का मालिक हो या नहीं, आयात (नियंत्रण) आदेश एक कल्पना पैदा करता है कि उसे आयात के समय से सीमा शुल्क के माध्यम से मंजूरी मिलने तक ऐसे सामान का मालिक माना जाएगा। यह कल्पना उक्त आदेश और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाई गई है। हालांकि कल्पना को इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसका उपयोग आयातित माल के स्वामित्व का श्रेय आयातक को देने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही वह उन्हें छोड़ दे, यानी ऐसी स्थिति में जब वह स्वामित्व के दस्तावेजों के लिए भुगतान नहीं करता है और प्राप्त नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि परित्याग के ऐसे कार्य के लिए, उसके खिलाफ लाइसेंस के निलंबन/रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है, उसके खिलाफ कुछ अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे मामले में भी उसे माल के मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। अन्यथा धारण करने से निर्यातक बहुत कठिन स्थिति में आ जाता; वह भुगतान प्राप्त किए बिना माल खो देता है और उसका एकमात्र उपाय आयातक पर माल की कीमत और उस तरह के नुकसान के लिए मुकदमा करना है जो उसे उठाना पड़ा होगा। यह

यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। हम उन स्थितियों की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं जहां एक या दूसरे कारण से, एक आयातक आयातित माल के लिए भुगतान करने और डिलीवरी लेने में विफल रहता है। वह बस उन्हें छोड़ देता है। (हम दोहरा सकते हैं कि हम एक की बात कर रहे हैं मामला जहां आयात कानून के विपरीत नहीं है)। ऐसी स्थिति में ही हम इस मामले में चिंतित हैं और हमारा निर्णय भी ऐसी स्थिति तक ही सीमित है। खंड 5 के उपखंड (3) की शर्त (ii), हमारी राय में, ऐसी स्थिति में निर्यातक को उक्त माल पर उसके अधिकार से वंचित करने के लिए काम नहीं करती है। एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

31.4 . उपरोक्त चर्चा और टिप्पणियों पर बारीकी से नज़र डालें

उद्धृत यह स्पष्ट करता है कि मूल रूप से, आयात (नियंत्रण) आदेश के तहत बनाई गई कल्पना, इस प्रभाव के लिए कि लाइसेंसधारी को माना जाएगा

उनके आयात के समय से लेकर सीमा शुल्क के माध्यम से उन्हें मंजूरी दिए जाने तक माल का मालिक उस मामले में विचाराधीन था; और इस तरह की कल्पना के पीछे के उद्देश्य की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि यह आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए था और इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ताकि आयातक द्वारा उन्हें छोड़ने पर भी आयातित माल के स्वामित्व का श्रेय आयातक को दिया जा सके। इस न्यायालय की टिप्पणियों को जब उनके संदर्भ में पढ़ा और समझा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि उनका वर्तमान मामले के तथ्यों और इसमें शामिल प्रश्नों से कोई लेना-देना नहीं है। यह निर्धारित नहीं किया गया है कि संपत राज दुगर (ऊपर) में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसे भंडारण और घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के अपने बिल दाखिल करने के आधार पर आयातक दिखाया गया है, और साथ ही सीमा शुल्क के लिए उसका आकलन किया गया है, वह अभी भी सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा से बाहर होगा। संपत राज दुगर में उक्त निर्णय नहीं है।

अपीलार्थी के कारण को किसी भी तरह से आगे बढ़ाएँ। 32. जैसा कि देखा गया है, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 (26) में "आयातक" की परिभाषा, भले ही स्वामित्व के प्रश्न के बारे में प्रत्यक्ष रूप से निर्णायक न हो,

वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस कारण से प्रभाव पड़ता है कि अकेले अपीलार्थी ने भंडारण के साथ-साथ घर के उपयोग के लिए भी प्रवेश पत्र दाखिल किए। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30 के अनुसार आयात मैनिफेस्ट दाखिल करने की आवश्यकताओं का वर्तमान पर अपना प्रभाव है।

मामला। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी का नाम आई. जी. एम. में आयातक के रूप में परिलक्षित हुआ था। यदि, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, माल को गहरे समुद्र में बेचा गया था, तो आई. जी. एम. 0 की माल ढुलाई घोषणा में

आयातक के रूप में अंतिम उच्च समुद्र खरीदार के नाम को दर्शाता है और अन्य मामलों में, आई. जी. एम. को संशोधन की आवश्यकता होती क्योंकि उच्च समुद्रों पर माल के केवल अंतिम खरीदार को घोषित किया जाता है आई. जी. एम. में प्रेषक/आयातक। तथ्य यह है कि आई. जी. एम. में राधा (और अन्य अंत-खरीदारों) के नाम का उल्लेख आयातक/प्रेषक के रूप में नहीं किया गया था और न ही संबंधित आई. जी. एम. में संशोधन किया गया था, राधा (और अन्य अंत-खरीदारों) के पक्ष में दूसरी उच्च समुद्र बिक्री के बारे में सुझाव केवल अपीलार्थी का एक स्व-सेवारत सुझाव है, जिसकी कोई पुष्टि नहीं है।

20 आयात घोषणापत्र (पोत) विनियम, 1971 के विनियम 3 (सी) (iii) की आवश्यकताओं के अनुसार, आयात घोषणापत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रपत्र सं. III. इस तरह की 'माल ढुलाई

घोषणा' में, अन्य बातों के अलावा, 'माल ढुलाई के बिल' और 'माल लेने वाले/आयातक का नाम, यदि अलग हो' का विवरण होना आवश्यक है।

अभिलेख; बल्कि आधिकारिक अभिलेख अपीलार्थी के सुझाव को पूरी तरह से नकारते हैं।

32.1 . तथ्य यह है कि भले ही अपीलार्थी

उन्होंने सुझाव दिया है कि जब माल समुद्र में था तो लदान के बिलों का समर्थन राधा (और अन्य अंत-खरीदारों) के पक्ष में किया गया था, लेकिन इस गंजे दावे की पुष्टि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज से नहीं होती है जो माल के आयात, भंडारण और निकासी की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने उदाहरण के रूप में प्रवेश पत्रों में से एक के विवरण की ओर इशारा किया है, जिसमें विशिष्ट रूप से आई. जी. एम., चालान, माल के मूल्य आदि के सभी विवरण दिए गए हैं और उच्च न्यायालय ने पाया है कि प्रवेश पत्र में केवल अपीलार्थी का नाम था।

33. यही विचार इस दावे के खिलाफ काम करते हैं कि अपीलार्थी केवल अंतिम खरीदारों के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि सीमा शुल्क हाउस एजेंट एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति है जो केवल प्रवेश पत्र के तहत आयातित वस्तुओं की निकासी के लिए कागजात प्रस्तुत करने के लिए कार्य करता है। बेशक, धारा 147 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, एक व्यक्ति आयातक या मालिक की ओर से कार्य कर सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को माल के मालिक के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यदि अपीलार्थी केवल एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, तो प्रविष्टि पत्र आयातक के रूप में अंतिम खरीदार और आयातक के अभिकर्ता के रूप में अपीलार्थी का नाम दर्शाता; और इसके अलावा, उक्त अंतिम खरीदार का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता। यह.

ऐसा नहीं था। 34. पूर्वगामी चर्चा इस स्थिति की ओर ले जाती है कि हालांकि आयातक की परिभाषा में मालिक या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो खुद को अलग रखता है।

आयातक के रूप में; और आयातक की यह परिभाषा वास्तव में स्वामित्व के प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति जो खुद को आयातक मानता है; और जो घर के उपभोग के लिए प्रवेश का बिल दाखिल करता है; और जिसका सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता है; और जिसका किसी तीसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण के बारे में सुझाव किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड के किसी भी संदर्भ से स्थापित नहीं होता है, उच्च समुद्रों पर हस्तांतरण को केवल बिल के कथित समर्थन के बारे में सुझाव पर माना जा सकता है।

लेडिंग।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर

अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

34.1 . जब अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों के साथ-साथ

अपीलार्थी स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी आयातक था, जिसके परिणाम आने ही वाले हैं। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि जब

प्रविष्टि बिलों में आयातक के रूप में अपीलार्थी का नाम दर्ज किया गया था और केवल अपीलार्थी का सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन किया गया था, तथाकथित दूसरा उच्च समुद्र बिक्री समझौता जो कभी अमल में नहीं आया था।

क्या विचाराधीन बिक्री माल के आयात का कारण बनी:

35. जैसा कि देखा गया है, सी. टी. ओ. ने विशेष रूप से कहा कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं था कि विचाराधीन बिक्री आयात का कारण बनी।

देश में माल का आना। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष यह सुझाव देने का प्रयास किया गया कि पूरा आयात राधा के पक्ष में अंतिम बिक्री द्वारा किया गया था और इसलिए, यह मामला सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के पहले भाग में भी शामिल किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने देखा कि इस तरह की याचिका पहली बार नहीं उठाई जा सकती थी।

तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न होने के लिए रिट याचिका में समय। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह के सुझाव को भी इस तथ्य से झुठलाया गया है कि केवल अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में परिलक्षित होता है न कि राधा का। हमारे सामने भी यह तर्क दिया गया है कि चतुर्भुज समझौते ने विदेश से भारत में माल की आवाजाही को प्रेरित किया, न कि केवल आंध्र प्रदेश से अन्य राज्यों में।

भारत; और यह कि एकीकृत लेन-देन के भारतीय चरण को अलग नहीं किया जा सकता है ताकि सी. एस. टी. अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री के रूप में कर लगाया जा सके। ये सुझाव भी बुनियादी ढांचे के रूप में पूरी तरह से आधारहीन हैं।

36. हमने फैसले के पहले भाग में संकेत दिया था कि के. गोपीनाथन नायर (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को यहां भेजा जाएगा।

एक बाद का चरण। हम अपीलार्थी के उपरोक्त सुझावों से निपटने के लिए अब उक्त निर्णय का उल्लेख करने के लिए प्रेरित हैं। हालाँकि, हम यह देख सकते हैं कि यह सुझाव, कि विचाराधीन बिक्री ने देश में माल का आयात किया था, इस अन्य दावे के साथ असंगत है कि बिक्री माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित हुई थी।

36.1 . चाहे जो भी हो, चतुर्भुज के तहत लेन-देन की अंतर-संबद्ध प्रकृति के बारे में अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ समझौतों और बिक्री के बारे में सुझाव [2021] 3 एस. सी. आर.

आयात की स्थिति इस न्यायालय के निर्णय से प्रभावी रूप से पीछे हट गई

के. गोपीनाथन नायर (ऊपर)। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसलों से उत्पन्न अपीलों के समूह पर विचार किया और

कर्नाटक उच्च न्यायालय। पृष्ठभूमि पहलू यह था कि केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता वे व्यक्ति थे जो सीधे अफ्रीकी देशों से काजू का आयात करते थे, लेकिन आई. डी. 1 पर आयात व्यापार (नियंत्रण) आदेश जारी होने के बाद, काजू का आयात केवल एक नहर बनाने वाली एजेंसी, भारतीय काजू निगम (सी. सी. आई.) के माध्यम से किया जा सकता था। नतीजतन, उक्त अपीलकर्ताओं ने सी. सी. आई. के माध्यम से अफ्रीकी देशों से काजू का आयात किया। सी. सी. आई. वास्तविक उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करता था लेकिन उसके बाद आयात कर रहा था। काजू अपने दम पर विदेशी निर्यातकों के साथ स्वतंत्र अनुबंध करके और फिर, स्थानीय उपयोगकर्ताओं द्वारा माल प्राप्त किया जाता था। में।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न अपील, सी. सी. आई. स्वयं अपीलार्थी थी। कर अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ताओं का प्रमुख तर्क यह था कि सी. सी. आई. द्वारा वास्तविक उपयोगकर्ताओं को बिक्री का लेनदेन आयात के क्रम में था और इसलिए, राज्य बिक्री कर अधिनियम इस तरह के लेनदेन को शामिल नहीं कर सकता था। दलीलों को संबंधित कर न्यायाधिकरणों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए सामान्य प्रश्न यह था कि क्या सी. सी. आई. द्वारा अफ्रीकी निर्यातकों से कच्चे काजू का आयात आयात के क्रम में था और इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत छूट के लिए पात्र था। जैसा कि देखा गया है, इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अपने विचारों में भिन्न थे। बहुमत के निर्णय में, निर्धारक कारकों को चित्रित करने के बाद, न्यायालय ने मामले के तथ्यों और पक्षों के लेन-देन और लेन-देन की प्रकृति की जांच की और देखा कि स्पष्ट रूप से, दो लेन-देन थे: एक सी. सी. आई. द्वारा विदेशी निर्यातकों से कच्चे काजू के आयात का है और दूसरा सी. सी. आई. जैसी नहर बनाने वाली एजेंसी द्वारा स्थानीय उपयोगकर्ताओं के पक्ष में एक के बाद एक बिक्री का है, जिनके लिए माल की मांग की गई थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्र बिक्री जो स्थानीय उपयोगकर्ताओं को सी. सी. आई. द्वारा बिक्री के पूर्व समझौते पर भी आधारित हो सकती है, आयातक सी. सी. आई. और स्थानीय खरीदार के बीच एक स्वतंत्र लेनदेन बनी रहेगी, लेकिन स्थानीय उपयोगकर्ताओं और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध का अभाव था। इसलिए यह

न्यायालय ने अपीलार्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सी. सी. आई. द्वारा वास्तविक उपयोगकर्ताओं को बिक्री का लेन-देन निम्नलिखित में आयात के क्रम में था:

परिच्छेद:

" 19 ..... उपरोक्त सभी विशेषताएं जो अभिलेख पर अच्छी तरह से स्थापित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिक्री वेलांकी फ्रेम वर्क्स v के कारण है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

विदेशी निर्यातक द्वारा सी. सी. आई. को बताया कि कच्चा काजू भारत में आयात किया जाता है और आयातक सी. सी. आई. है न कि स्थानीय उपयोगकर्ता। यह स्थानीय उपयोगकर्ताओं की मांग है जिसने नहर बनाने वाली एजेंसी को प्रेरित किया जैसे सी. सी. आई. संबंधित मात्राओं के आयात के लिए आदेश देता है। लेकिन सी. सी. आई. अपने दम पर विदेशी निर्यातक के साथ सौदा करता है और काजू का थोक आयात प्राप्त करता है। यह विदेशी निर्यातक द्वारा सी. सी. आई. को की गई बिक्री है या इसके विपरीत सी. सी. आई. द्वारा कच्चे काजू की खरीद है।

विदेशी निर्यातक से जो अफ्रीकी देशों से भारत में कच्चे काजू की आवाजाही का अवसर देता है। आयातित काजू आयातक सी. सी. आई. के स्वामित्व में रहता है और केवल

स्थानीय उपयोगकर्ताओं द्वारा आवंटित काजू के मूल्य के भुगतान पर दस्तावेजों की सेवानिवृत्ति और सीमा शुल्क से माल को मंजूरी मिलने पर कि संबंधित आयातित वस्तुओं में संपत्ति सी. सी. आई. से स्थानीय उपयोगकर्ताओं को दी जाएगी। इस प्रकार दो स्पष्ट लेन-देन हैं। सी. सी. आई. द्वारा विदेशी निर्यातकों से कच्चे काजू का आयात एक लेन-देन है। दूसरा लेन-देन जो एक के बाद एक लेन-देन है, कैनालाइजिंग एजेंसी द्वारा बिक्री का है जैसे

सी. सी. आई. जो स्थानीय उपयोगकर्ताओं के पक्ष में थोक आयातक है, जिनके लिए माल की मांग की जाती है। वह स्वतंत्र बिक्री जो सी. सी. आई. द्वारा स्थानीय को बिक्री के पूर्व समझौते पर भी आधारित हो सकती है।

उपयोगकर्ता आयातक सी. सी. आई. और स्थानीय खरीदार, अर्थात् स्थानीय उपयोगकर्ता के बीच एक स्वतंत्र लेनदेन बने रहेंगे। एक ओर स्थानीय उपयोगकर्ता और दूसरी ओर विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं है। इन दोनों लेन-देनों को इतना अभिन्न रूप से आपस में जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है कि वे एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कच्चे काजू के आयात के दौरान समग्र लेन-देन जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की गई याचिकाकर्ता "।

36.2 . आगे की स्पष्टता के लिए, हम अयोग्यता के दृष्टिकोण के प्रासंगिक हिस्सों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें वस्तुओं के आयात और स्थानीय मालिकों को बिक्री को अटूट रूप से जोड़ा गया था, इसलिए, जिन तर्कों में कहा गया था कि अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित के साथ स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था:

वैशन:

" 48. आयात के मामले में ऐसा शायद ही कभी होता है जब स्थानीय विक्रेता किसी विशिष्ट स्थानीय खरीदार के विनिर्देशों के अनुसार माल का आयात करता है और स्थानीय खरीदार और स्थानीय विक्रेता के बीच आपसी समझ पर कि स्थानीय विक्रेता द्वारा इस तरह से आयातित माल स्थानीय खरीदार द्वारा खरीदा जाएगा। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट होती है

आयात ने एक बिक्री या दो बिक्री के बीच अंतर का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने धारा 5 द्वारा निर्धारित परीक्षण को लागू किया है: क्या आयात स्थानीय खरीदार और स्थानीय विक्रेता के बीच समझ/अनुबंध का परिणाम है? यदि ऐसा है, तो स्थानीय बिक्री धारा 5 के तहत आती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आयातक बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रस्तावक के पास पहुंचने के बाद अपना माल बेचता है, तो बिक्री धारा 5 के दायरे में नहीं आती है। यही कारण है कि आयात के बाद स्थानीय बिक्री को स्पष्ट रूप से कवर करने के लिए धारा 5 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 49. अब, यदि हम वर्तमान मामले में लेन-देन के लिए स्थानीय बिक्री और आयात के बीच अविभाज्य कड़ी के इस परीक्षण को लागू करते हैं, तो यह है

स्पष्ट करें कि स्थानीय बिक्री जो निर्धारिती और भारतीय काजू निगम के बीच है, वह भारतीय काजू निगम द्वारा काजू के आयात से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

56. हालाँकि, चूंकि पक्षकारों के बीच समझ की प्रकृति और काजू के आयात से संबंधित कैनालाइजिंग योजना के कारण माल की बिक्री और आयात के बीच एक सीधा और अविभाज्य संबंध है, इसलिए विचाराधीन बिक्री पर केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम या कर्नाटक सामान्य बिक्री कर अधिनियम के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

36.3 . वर्तमान अपीलार्थी का मामला, जहां तक चतुर्भुज समझौते के प्रभाव और बिक्री के बारे में सुझाव का संबंध है

के. गोपीनाथन नायर (ऊपर दिए गए) के मामले में अल्पमत के दृष्टिकोण में जैसा दिखाई देता है, उतना ही प्रासंगिक महत्व है। उक्त अल्पमत दृष्टिकोण इस न्यायालय का कथन नहीं है और बल्कि, विपरीत दृष्टिकोण कानून घोषित होने के कारण, अपीलार्थी की दलीलें विफल होनी चाहिए।

ये अंतर-राज्यीय बिक्री थीं।

37. अपीलार्थी द्वारा डेबिट नोटों को ऊपर उठाने का अंत में खरीदारों पर प्रभाव वर्तमान मामले में अपना प्रभाव डालता है। अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि ऐसे डेबिट नोट अंत में खरीदारों के लिए थे, लेकिन घर के उपयोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करके माल को साफ़ करने के बाद ही।

एक बार एम/एस वेलांकी फ्रेम काम करता है वी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

दूसरी उच्च समुद्री बिक्री के बारे में सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता है और यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता माल का आयातक था और उसने उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी थी, जो इस तरह की बिक्री बढ़ाने का स्वाभाविक परिणाम था।

अंत में डेबिट नोट-विभिन्न राज्यों में स्थित खरीदार और ऐसे अंत तक माल की आवाजाही-खरीदारों को इन लेनदेनों को सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के संदर्भ में अंतर-राज्य बिक्री की श्रेणी में लेना होगा। अपीलार्थी सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) की छूट का हकदार नहीं था और उसे अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर के लिए उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है।

38. अपीलार्थी द्वारा घर की खपत के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करके माल जारी करने के बाद, निर्विवाद रूप से, माल अंततः प्राप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में राधा द्वारा (और विभिन्न राज्यों में अन्य अंतिम खरीदार) और अपीलार्थी ने आंध्र प्रदेश राज्य से डेबिट नोट जुटाए। ये तथ्य यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही अपीलार्थी द्वारा अंतिम खरीदारों को की गई बिक्री के कारण हुई थी और ऐसी बिक्री अपीलार्थी द्वारा घर के उपभोग के लिए बंधुआ गोदाम से माल प्राप्त करने के बाद ही हुई थी।

39. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि एक बार जब अपीलकर्ता को घर के उपभोग के लिए प्रवेश पत्र दाखिल करने के बाद माल जारी कर दिया जाता है, तो आयात की धारा सूख जाती है और माल स्थानीय वस्तुओं में मिल जाता है। इसके बाद माल की कोई भी आवाजाही सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत बिक्री के लिए बाध्य थी और ऐसी आवाजाही आंध्र प्रदेश राज्य से दूसरे राज्य में होने के कारण, यह अंतर-राज्यीय बिक्री का मामला था। यह सिद्धांत कि वास्तविक बिक्री आवश्यक रूप से माल की आवाजाही से पहले नहीं हो सकती है, इसके वास्तविक प्रभाव में, माल को घर के उपभोग के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद अंतिम खरीदारों को बिक्री के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ काम करता है।

यदि अपीलार्थी को उपचार के लिए हटाने का कोई मामला है -

40. यह हमें अपीलार्थी की ओर से वैकल्पिक निवेदन की ओर ले जाता है कि इसमें शामिल तथ्य के विवादित प्रश्नों को देखते हुए, अपीलार्थी को अपील के उपचार के लिए निर्वासित किया जा सकता है। ये प्रस्तुतियाँ थोड़ा भी प्रभावित करने में विफल रहती हैं।

40.1 . अपीलार्थी, वैधानिक अपील के उपचार की उपलब्धता से अवगत होने के बावजूद, सचेत रूप से उपरोक्त मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर करने का विकल्प चुना और सचेत रूप से पूरी याचिका का विरोध किया। उच्च न्यायालय में मामला। उच्च न्यायालय, [2021] 3 एस. सी. आर. को नोटिस करने के बाद भी।

प्रमाणिक अधिकारिता की रूपरेखा, मामले के गुण-दोष की पूरी तरह से जांच की और यहां तक कि पहली बार किए गए प्रस्तुतिकरण की भी जांच की गई

रिट याचिकाओं में कहा गया है कि माल का आयात विचाराधीन बिक्री के कारण हुआ था। निस्सन्देह, उस संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में, इस तरह का प्रस्तुतिकरण इस तथ्य से गलत था कि अपीलार्थी का नाम आयातक के रूप में प्रवेश पत्र में परिलक्षित हुआ था न कि अंतिम खरीदार का। हम इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या दोष नहीं पा रहे हैं।

सचेत रूप से उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने और गुण-दोष के आधार पर मामले को लड़ने के बाद, अपीलार्थी को अब अपील में मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निर्णय का संदर्भ स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में यह न्यायालय पूरी तरह से अनुचित है। उस मामले में, 23.11.1987 दिनांकित एक प्रारूप आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहायक कलेक्टर को एक रिट याचिका में उसके समक्ष लंबित मामले को प्रेषित कर दिया, जिन्होंने तदनुसार, 30.05.1988 पर निर्णय दिया। सहायक कलेक्टर के इस आदेश को लंबित रिट याचिका में रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई थी और याचिका को अंततः 05.07.1993 पर निपटाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उत्पादन के बाद के खर्चों के रूप में कटौती से संबंधित दलीलें

माल ढुलाई सब्सिडी, अतिरिक्त व्यापार छूट और विशेष पैकिंग की लागत के लिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि दावे शामिल हैं तथ्य के विवादित प्रश्न की जांच, लेकिन वास्तव में, कथित उत्पादन के बाद की लागतों के उन शीर्षों के तहत दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया

इस आधार पर कि याचिकाकर्ता द्वारा कटौती के दावों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री नहीं रखी गई थी। उन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील करने की स्वतंत्रता प्रदान की:

" 4. मामले पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि सहायक कलेक्टर द्वारा किए गए निर्णय के खिलाफ, याचिकाकर्ता के पास अपील करने का एक प्रभावी अवसर होना चाहिए। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर सकता था, अगर उसके विचार में, मामले में विवादित तथ्यों की जांच शामिल थी और याचिकाकर्ता को वैधानिक रिकॉर्ड में भेज दिया गया था। लेकिन इसने सामग्री की अपर्याप्तता के आधार पर दावे को खारिज कर दिया-एक ऐसी स्थिति जो इसके दृष्टिकोण के साथ एक अपरिवर्तनीयता के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है कि इन कार्यवाही में तथ्य के विवादित प्रश्नों की जांच नहीं की जा सकती है।

एम/एस वेलांकी फ्रेम वर्क्स बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशाखापट्टनम [दिनेश माहेश्वरी, जे.]

5. इसलिए हम याचिकाकर्ता को दिनांक 30-5-1988 के सहायक कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देते हैं।

सी. ई. जी. ए. टी. जहां तक और कथित उत्पादन के बाद के खर्चों के लिए कटौती के तीन 'शीर्षों' तक सीमित है, अर्थात्:

(क) माल ढुलाई सब्सिडी; (ख) अतिरिक्त व्यापार छूट; और (ग) माल ढुलाई की लागत

विशेष पैकिंग "।

40.3 . उपर्युक्त टिप्पणियाँ और इसमें अनुमत पाठ्यक्रम

स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले के तथ्यों के समूह को वर्तमान मामले में नियोजित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी के खिलाफ निष्कर्ष सामग्री की अपर्याप्तता के आधार पर नहीं हैं, बल्कि अनिवार्य रूप से लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के विश्लेषण का परिणाम हैं। हमारे विचार में, असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग एक वादी द्वारा केवल मौका लेने और फिर उच्च न्यायालय के समक्ष मामले के मूल गुण-दोषों पर अपने प्रयास में विफल होने के बाद दूसरे उपाय का सहारा लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी मुकदमे को वादी की पसंद पर बिना किसी रुकावट के जीवित रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामले की एक और विशेषता

41. अलग होने से पहले, हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि कई पक्षों की भागीदारी के साथ ऐसे लेनदेन के बारे में अपीलार्थी के सुझाव

संबंधित सी. टी. ओ. द्वारा पूरी तरह से जांच की गई थी और उल्लेखनीय रूप से, इस तरह के चतुर्भुज समझौतों और व्यवस्थाओं के बारे में सुझाव कम से कम दो कथित अंत खरीदारों के संबंध में झूठे पाए गए थे, जहां अंतिम खरीदार फर्मों में से एक ने माल प्राप्त करने या अपीलकर्ता को जानने से भी इनकार किया था; और दूसरी अंत खरीदार फर्म 2 2 दिए गए पते पर भी नहीं मिली थी। जैसा कि देखा गया है।

इससे पहले, समग्र लेन-देन से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी की ओर से केवल तथ्यों को विकृत करने और कई लेन-देन का आरोप लगाने का प्रयास किया गया था, ताकि किसी भी तरह केंद्रीय बिक्री कर से संबंधित कानून के संचालन से बचा जा सके। इस तरह के प्रयास को सीटीओ और उच्च न्यायालय के हाथों अपनी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है। हमें उनके विचारों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।

21 एम/एस। पाइन एक्सपोर्टर्स, नई दिल्ली, तीसरे और चौथे लेनदेन में कथित अंतिम खरीदार। दिनांक 18.05.2010 के निर्धारण आदेश में (ऊपर दिए गए पैराग्राफ 10.3,11.1 और 11.2 के अनुसार)

22 एम/एस। एस्के इम्पेक्स, नई दिल्ली, दिनांक 18.05.2010 के मूल्यांकन आदेश में पांचवें और छठे लेनदेन में कथित अंतिम खरीदार (ऊपर दिए गए पैराग्राफ 10.4,11.1 और 11.2 के माध्यम से)

निष्कर्ष और निर्देश

42. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम स्पष्ट रूप से हैं

यह विचार कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दावा की गई छूट को अपीलार्थी को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है और उच्च न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में उचित ठहराया गया है। उच्च न्यायालय ने अभी तक विचार किया है और अपीलार्थी को कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए सी-फॉर्म जमा करने के लिए समय दिया है। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

43. अंत में, हम देख सकते हैं कि इन अपीलों में पारित आदेशों के संदर्भ में, अपीलार्थी ने रुपये की राशि जमा की है। 7,07,325 / (सात लाख सात हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) प्रत्यर्थी के साथ। चूंकि इन अपीलों को खारिज किया जा रहा है, इसलिए प्रत्यर्थी अपीलार्थी के बकाया के खिलाफ इसे समायोजित करने का हकदार होगा।

44. परिणामस्वरूप, ये अपील विफल हो जाती हैं और लागत और पूर्वगामी टिप्पणियों के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।